



थलसेना में गोला-बारूद प्रबंधन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए




संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थलसेना एंव आयुध निर्माणियां
2015 की संख्या पी ए 19
(निष्पादन लेखापरीक्षा)



विषय-वर्तु

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	iii
2	कार्यकारी सारांश	iv
3	अध्याय I - परिचय	1
4	अध्याय II - प्रावधान तथा वित्तीय प्रबंधन	7
5	अध्याय III - अधिप्राप्ति	21
6	अध्याय IV - विनिर्माण	29
7	अध्याय V - गुणवत्ता नियंत्रण एवं आश्वासन	35
8	अध्याय VI - आपूर्ति शृंखला प्रबंधन एवं डिपो क्रियाकलाप	45
9	अध्याय VII - निष्कर्ष	58
10	सिफारिशें	60
11	अनुलग्नक - I	63
12	अनुलग्नक - II	64
13	अनुलग्नक - III	67
14	अनुलग्नक - IV	69
15	अनुलग्नक - V	70
16	अनुलग्नक - VI	73
17	अनुलग्नक - VII	77
18	अनुलग्नक - VIII	80
19	अनुलग्नक - IX	84
20	परिशिष्ट - I - संक्षिप्तियों की सूची	87
21	परिशिष्ट - II - तकनीकी शब्दावली	95




प्राककथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में थलसेना में गोला-बारूद प्रबन्धन की समीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा में 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि ली गई है।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टान्त उल्लिखित किए गए हैं जो 2013-14 में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही ऐसे मामले जो पूर्ववर्ती वर्षों में सामने आए, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। 2012-13 की अवधि के परवर्ती मामले भी, जहाँ कहीं आवश्यक थे, सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है, और यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।



कार्यकारी सारांश

थलसेना की समग्र तैयारी में गोला-बारूद की तत्काल उपलब्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थलसेना मुख्यालय (ए एच क्यू) में आयुध सेवा महानिदेशक (डी जी ओ एस) थलसेना में गोला-बारूद के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है और वह वार्षिक प्रावधान एवं अधिप्राप्ति करता है। थलसेना हेतु अधिकांश गोला-बारूद आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) से अधिप्राप्त किया जाता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु ओ एफ बी के अधीन गोला-बारूद एवं विस्फोटक ग्रुप की दस निर्माणियां गोला-बारूद एवं विस्फोटकों के उत्पादन में लगी हैं। गोला-बारूद की शेष आवश्यकता व्यापार से और आयात द्वारा पूरी की जाती है।

हमने यह पुनरीक्षण क्यों किया?

परिचालनात्मक तैयारी एवं संसाधनों के उपयोग के विषय में थलसेना में गोला-बारूद के प्रबंधन से संबंधित कार्यविधियों, अभ्यस्तता तथा आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए यह पुनरीक्षण किया गया।

विद्यमान प्रणाली, जिसमें गोला-बारूद प्रबंध पर वर्तमान नीतियों का कार्यान्वयन, भंडारण नीतियां, उत्पादन/अधिप्राप्ति एवं आयात में कमियों का निहितार्थ, भंडारण तथा वितरण की समस्यायें और अप्रयोज्य/पुरानी गोला-बारूद के निपटान की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2008-2009 से 2012-2013 के लिए थलसेना मुख्यालय में, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्यू ए) और आयुध निर्माणी बोर्ड से संबद्ध अभिलेखों का पुनरीक्षण किया गया।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. गोला-बारूद की कमी

40 (आई) दिनों के युद्ध क्षति रिजर्व स्केल जिसके आधार पर डी जी ओ एस द्वारा गोला-बारूद का वार्षिक प्रावधान किया जाता था, की अवहेलना में ‘बॉटम लाइन’ अथवा ‘न्युनतम स्वकार्य जोखिम स्तर’ (एम ए आर एल) आवश्यकताओं के आधार पर ए एच क्यू द्वारा गोला-बारूद की अधिप्राप्ति के लिए मांगपत्र दिया गया, जो औसतन 20 (आई) दिनों के थे। इसके परिणामस्वरूप, बजटीय नियंत्रणों एवं ओ एफ बी की अपर्याप्त उत्पादन क्षमता

का कारण बताकर उत्तदायी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय संचय के परिमाण के लिए नीति का कार्यान्वयन नहीं किया गया। ऐसे आर एल पर भी गोला-बारूद का भंडारण सुनिश्चित नहीं किया गया, क्योंकि कुल 170 प्रकार की गोला-बारूद (74 प्रतिशत) में से 125 के संबंध में मार्च 2013 को गोला-बारूद की उपलब्धता ऐसे आर एल से भी कम थी। हमने पाया कि इन वर्षों में उपलब्धता कम हो रही थी, क्योंकि 10 दिनों (आई) से कम समय के लिए उपलब्ध महत्वपूर्ण गोला-बारूद के प्रकार में मार्च 2009 में 15 प्रतिशत से मार्च 2013 में 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। पांच वर्षों की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उच्च क्षमता की महत्वपूर्ण गोला-बारूद की प्रतिशतता 84 प्रतिशत तक थी। इन महत्वपूर्ण कमियों से थलसेना की परिचालनात्मक तैयारी तथा प्रशिक्षण रेजिमेन प्रभावित हुआ।

(अध्याय - II)

2. ओ एफ बी को दिए गए अधिप्राप्ति आदेशों का निष्फलन

भारतीय थलसेना को गोला-बारूद की आपूर्ति करने के लिए ओ एफ बी मुख्य स्रोत है। गोला-बारूद के भंडार स्तर को ऐसे आर एल तक पहुंचाने तथा कच्चे माल की अधिप्राप्ति के लिए ओ एफ बी को पर्याप्त लीड समय प्रदान करने और उत्पादन को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए ऐसे ओ डी ने जनवरी 2010 में ओ एफ बी को पांच वर्षीय रोल ऑन मांग पत्र दिया। हांलाकि रोल ऑन मांगपत्र में सम्मिलित गोला-बारूद की मांगें ओ एफ बी के साथ परामर्श करके तथा रोल ऑन मांगपत्र के अनुमोदन के समय मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकृत वार्षिक बजटीय मांगों के अनुरूप निकाली गई थीं, परंतु ओ एफ बी द्वारा निधि की जो मांग प्रक्षिप्त की गई, वह निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में काफी कम थी। अतः यह एक पूर्वनिश्चित निष्कर्ष था कि ओ एफ बी लक्षित परिमाण की आपूर्ति करने में विफल रहेगी। प्रथम रोल ऑन मांगपत्र में सम्मिलित गोला-बारूद की आपूर्ति हेतु लक्ष्यों की स्वीकृति के बावजूद, लक्षित परिमाण की आपूर्ति करने में ओ एफ बी विफल रहा और यह कमी कुल प्रकार की गोला-बारूद का 73 प्रतिशत तक थी।

(अध्याय - III एवं IV)

3. आयात को अंतिम रूप देने में विलंब

थलसेना पूँजीगत तथा राजस्व माध्यम से गोला-बारूद का आयात करती है। अधिप्राप्ति के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में आयात अत्यधिक धीमा सिद्ध हुआ, क्योंकि एकल विक्रेता की स्थिति, टी ओ टी में जटिलताएं, जी एस क्यू आर को अंतिम रूप देने में विलंब आदि के कारण 2008-2013 की अवधि के दौरान पूँजीगत माध्यम से अधिप्राप्ति हेतु उपक्रमित नौ मर्दों के प्रति गोला-बारूद की कोई भी अधिप्राप्ति नहीं की गई। राजस्व अधिप्राप्तियों के मामले में भी, संविदाओं के फलन की सफलता दर 20 प्रतिशत तक ही थी। इस प्रकार आयात के लिए संविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण गोला-बारूद का संचय बुरी तरह से बाधित हुआ।

(अध्याय - III)

4. गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आशासन प्रणालियों में कमियां

विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान डी जी क्यू ए की भूमिका अंतिम स्वीकृति जांच करने की है, जिसके लिए एस क्यू ए ई द्वारा प्रतिदर्श आधार पर सीमित जांच की जाती है। संबद्ध आयुध निर्माणियों को उनके द्वारा विनिर्मित किए जा रहे भण्डारों की गुणवत्ता के लिए 100 प्रतिशत जांच करने की आवश्यकता है जिसमें इनपुट सामग्री अंतर-चरण एवं अंतिम उत्पाद की जांच शामिल है। आयुध निर्माणियों द्वारा अप्रभावी गुणवत्ता नियंत्रणों के कारण गुणवत्ता आशासन चरण पर परिसर्जित उत्पादों को अस्वीकार किया गया। गुणवत्ता आशासन (क्यू ए) परिशोधन के लिए मामले वापस भेज रहा था (आर एफ आर), जो उसके मैनडेट में नहीं था। क्यू ए द्वारा स्वीकृत उत्पाद भी संतोषजनक नहीं पाए गए तथा निरंतर गुणवत्ता समस्याओं के कारण डिपो में ₹ 1,618 करोड़ मूल्य की गोला-बारूद अस्वीकृत रूप में पड़ी थी। खराब गुणवत्ता के कारण डिपो द्वारा ₹ 814 करोड़ मूल्य की गोला-बारूद को उसके सैल्फ लाइफ के अंदर ही अप्रयोज्य घोषित किया गया।

(अध्याय-V)

5. आपूर्ति शृंखला प्रबंधन एवं डिपो के कार्यकलापों में अपर्याप्तताएं

जब कोई गोला - बारूद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो थलसेना गोला-बारूद के उस विशेष लॉट के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देती है। ऐसी गोला-बारूद को आगे

उसके सेंटनिसिंग तक अलग करके रखा जाता है। हमने यह भी पाया कि ₹ 3,578 करोड़ मूल्य की गोला-बारूद सेंटनिसिंग की प्रतीक्षा में अलग की हुई दशा में पड़ी थी तथा ₹ 2,109 करोड़ मूल्य की गोला-बारूद भारी मरम्मत योग्य दशा में पड़ी थी।

थलसेना के विभिन्न सोपानकों में गोला-बारूद के संचलन को गोला-बारूद जारी करने में विलंब, डिपो द्वारा गोला-बारूद का लेखाकंन न करना, विनिर्दिष्ट विस्फोटक बंद वाहनों से भिन्न वाहनों द्वारा गोला-बारूद का परिवहन आदि जैसे अपर्यासताओं से जूझना पड़ा। इसके अतिरिक्त ये डिपो अग्नि दुर्घटना की जोखिम के साथ प्रकार्य कर रहे थे, क्योंकि अग्नि शामक उपकरण आवश्यकता/प्राधिकरण के अनुसार नहीं रखे गए थे।

परिसंपत्तियों का दृष्टिकोन बढ़ाने हेतु थलसेना मुख्यालय, डिपो एवं प्रयोक्ता इकाइयों के बीच ऑन लाइन संयोजकता कंप्यूटरीकरण के माध्यम से तेजी से निर्गम और प्राप्ति तथा प्रभावकारी समग्र गोला-बारूद प्रबंधन से थलसेना वंचित रही है, क्योंकि कंप्यूटरीकरण परियोजना 10 वर्षों से अधिक समय से विलंबित हुई।

(अध्याय – VI)

अध्याय I: परिचय

1 गोला-बारूद की परिभाषा

गोला-बारूद विस्फोटक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया हुआ एक बंद विस्फोटक पदार्थ है। गोला-बारूद में आग्नेयास्रों में प्रयुक्त गोलियां,¹ बम², मिसाइल,³ स्फोटक शीर्ष,⁴ लैंड माइन्स⁵ आदि सम्मिलित हैं।

1.2 गोला-बारूद का वर्गीकरण

कैलिबर जो बैरल का सन्निकट आंतरिक व्यास है या उसके द्वारा दागे जाने वाले अस्त्र का व्यास तथा शस्त्रों की अन्य विशेषताओं के आधार पर गोला-बारूद को पांच प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे तालिका 1 में दर्शाया गया है-

तालिका सं. 1 – गोला-बारूद का वर्गीकरण

प्रकार	व्यास रेज	मुख्य शस्त्र
लघु कैलिबर	5.56 से 12.7 मिलिमीटर (एम एम)	कारबाईन, राइफल, लाईट मशीन गन
मध्यम कैलिबर	14.5 से 40 एम एम	एंटी मेटीरियल राइफल, ग्रेनेड लांचर
उच्च कैलिबर	73 से 155 एम एम	रॉकेट लांचर, गन, टैंक
मोर्टार बम	-	मोर्टार
मिसाइल	-	टैंक एवं मिसाइल लांचर

(स्रोत- डी जी औ एस (ओ एस-15) का पत्र दिनांक-12.12.2013)

1.3 गोला-बारूद प्रबंधन की संकल्पना

थलसेना में गोला-बारूद प्रबंधन परिचालनात्मक सफलता की आधारशिला है, जिसके लिए अकाट्य सहक्रियाशील इंटरफेस की आवश्यकता है।

¹ धातु से बनी एक छोटी वस्तु, जो गन से दागी जाती है।

² एक ऐसा शस्त्र, जो एक विशिष्ट समय पर या जब उसे गिराया या फेंका जाता है, विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है।

³ हवा में प्रेषित एक शस्त्र, जो उस समय विस्फोट करता है, जब वह लक्षित वस्तु से टकराता है।

⁴ मिसाइल का विस्फोटक भाग

⁵ भूमि पर या उसके नीचे स्थापित बम, जो ऊपर से वाहनों या लोगों के चलने पर विस्फोट करता है।

युद्धकाल के आधोपांत अविच्छिन्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से, परिचालनात्मक आवश्यकताओं, संभरण, अधिप्राप्ति, विनिर्माण, परिवहन, भंडारण, आग्रहीय परिदान और निपटान को शामिल करने हेतु गोला-बारूद प्रबंधन के गुणवत्तात्मक एवं परिमाणात्मक पहलुओं के लिए उसके उत्पादन और अधिप्राप्ति से लेकर अंतिम निपटान तक एक निकाय दृष्टिकोण आवश्यक है। तत्वतः गोला-बारूद प्रबंधन में एक पूर्वनिर्दिष्ट युद्धकाल तक बने रहने के लिए गोला-बारूद के पर्याप्त भंडारों को रखना आवश्यक होता है जो किसी भी युद्ध की विजय के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।

1.4 थलसेना में गोला-बारूद प्रबंधन एजेंसियां और उनके दायित्व

गोला-बारूद का प्रबंधन अनेक नीति निर्माण निकायों एवं विनियामक प्राधिकरणों द्वारा कार्य करता है, जो धारण की जानेवाली गोला-बारूद के प्रकार और परिमाण का निर्धारण करता है तथा उनके संचलन, स्थापन, भंडारण और छांट के संबंध में प्राचलों को विनिर्दिष्ट करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नयी रणनीतियां ठीक समय पर कार्यान्वयन की जाती हैं, शीर्ष स्तर पर प्रभावकारी समन्वय अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

थलसेना में गोला-बारूद भंडार के प्रबंधन में सम्मिलित रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) के अंतर्गत आनेवाली विभिन्न एजेंसियों की सूची उनके दायित्वों के साथ नीचे तालिका 2 में दी गई है:-

तालिका सं. 2 : एजेंसियां और उनके दायित्व

क्रम सं.	प्राधिकरण	दायित्व
1.	सामान्य स्टाफ (जी एस) शाखा	उपस्करों और गोला-बारूद के अधिष्ठापन एवं अनधिष्ठापन आयात, भंडारण, संचलन और स्थापन के विषय में नीति निर्माता तथा विनियामक प्राधिकारी
2.	मास्टर जनरल आयुध (एम जी ओ)	नीतियों, बजट और निधियों के आंबटन की सामान्य मॉनीटरिंग तथा अधिप्राप्ति एजेंसियों के साथ इंटरफेस
3.	गोला-बारूद योजना ग्रुप (ए पी जी)	गोला-बारूद प्रबंधन के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एम जी ओ के अधीन शीर्षस्थ निकाय
4.	महानिदेशक आयुध सेवा (डी जी ओ एस)	संभरण, अधिप्राप्ति, भंडारण अनुरक्षण और निपटान
5.	आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी)	विभिन्न निर्माणियों द्वारा विनिर्मित गोला-बारूद का मुख्य आपूर्तिकर्ता

क्रम सं.	प्राधिकरण	दायित्व
6.	महानिदेशक गुणवत्ता आशासन (डी जी क्यू ए)	अर्थारिटी होलिडिंग सील्ड पर्टिकुलर्स, प्रूफ एवं निरीक्षण, गुणवत्ता आशासन एवं स्वदेशीकरण
7.	रक्षा मंत्रालय (वित्त)	बजटीय और वित्तीय नियंत्रण
8.	केंद्रीय गोला-बारूद डिपो (सी ए डी) पुलगाँव, महाराष्ट्र	आयुध निर्माणियां, व्यापार स्रोत आदि जैसी विभिन्न अधिप्राप्ति एजेंसियों से मर्दे प्राप्त होने के पश्चात गोला-बारूद विस्फोटक एवं, एन ई एस मर्दों की अखिल भारतीय आपूर्ति तथा इन मर्दों को उनके भंडार की पुनर्पूर्ति हेतु गोला-बारूद डिपो/फील्ड गोला-बारूद डिपो को जारी किया जाना
9.	गोला-बारूद डिपो (ए डी)	गोला-बारूद डिपो उसको आवंटित आपूर्ति के क्षेत्र के अंदर पड़ने वाली इकाइयों/फार्मेशनों को आपूर्ति करने के लिए गोला-बारूद एवं विस्फोटकों का भंडार रखने के लिए है।

(स्रोत: डी जी ओ एस (ओ एस 6 ए) का दिनांक 21.11.2013 का पत्र)

थलसेना में गोला-बारूद प्रबंधन के लिए संगठन का ढांचा अनुलग्नक-I मे दिया गया है।

1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह आशासन प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षण किया गया कि-

- मांग विशेषण की विद्यमान कार्यविधियाँ और मंगाने और संभरण की प्रणाली प्रभावकारी है।
- गोला-बारूद की अधिप्राप्ति के लिए निधियों का प्रावधान पर्याप्त था।
- गुणवत्ता से युक्त गोला-बारूद की अपेक्षित मात्रा की सामयिक अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु ठोस पद्धति विद्यमान थी।
- आयुध निर्माणियों ने निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार गोला-बारूद का विनिर्माण और आपूर्ति की।
- आयुध निर्माणियों ने डी जी क्यू ए विनिर्देशों के अनुसार और अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप थलसेना को गोला-बारूद की आपूर्ति की।
- एक कार्यक्रम, प्रभावी और किफायती आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अस्तित्व में है।

1.6 लेखापरीक्षा के मापदंड

निम्नलिखित से निकाले गए मापदंडों के प्रति निष्पादन का मूल्यांकन किया गया:-

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं सहित इकाईयों को प्राधिकृत गोला-बारूद के संभरण तथा गोला-बारूद के स्केलों के संबंध में समय-समय पर जारी थलसेना आदेश/थलसेना अनुदेश और डी जी ओ एस के तकनीकी निर्देश। युद्ध क्षति रिजर्व⁶ (डब्ल्यू डब्ल्यू आर)।
- पंचवर्षीय रोल-ऑन मांगपत्र, वार्षिक संभरण समीक्षा (ए पी आर) और 2008-09 से 2012-13 तक दिए गए मांगपत्र।
- मंत्रालय द्वारा बनाई गई रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी), रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम) और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) में समाविष्ट क्र्य संबंधी कार्यविधियां।
- डी जी क्यू ए और डी जी ओ एफ की विभागीय नियम पुस्तकें।
- ओ ए बी के पास उपलब्ध क्षमता, थलसेना के वर्षवार बकाया आदेश, ओ एफ बी द्वारा निर्धारित उत्पादन का लक्ष्य और थलसेना को गोला-बारूद की पूर्ण गश्त का निर्गम।
- ओ एफ बी द्वारा तैयार की गई लक्ष्य एवं उपलब्धि रिपोर्ट/तिमाही उत्पादन प्रगति/समीक्षा रिपोर्ट।
- अर्थात् होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स का विनिर्देश अथवा थलसेना की सामान्य स्टाफ गुणात्मक आवश्यकताएं (जी एस क्यू आर), प्रूफ अस्वीकृति का विवरण विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान असाधारण अस्वीकृति का विवरण, परेषिती की ओर से अंतिम उत्पादों की अस्वीकृति की संख्या।
- आयुध निर्माणियों से केंद्रीय गोला-बारूद डिपो (एफ ए डी) में और ए डी/एफ ए डी से इकाईयों में गोला-बारूद मर्दों के परिवहन पर मंत्रालय की नीति तथा परिवहन हेतु हस्ताक्षरित संविदाएं/अनुबंध।
- गोला-बारूद के भंडारण के लिए डिपो में प्राधिकृत कुल स्थान।
- निपटान के संबंध में गोला-बारूद अनुरक्षण निर्देश।

⁶ युद्ध क्षति रिजर्व (डब्ल्यू डब्ल्यू आर) दरें 30 दिनों की तीव्र (आई) और 30 दिनों की साधारण संघर्ष अवधि की संकल्पना पर है, जो 40 (आई) में अंतरित होती है, जब एक दिन की तीव्र दर को तीन दिनों की साधारण दर के समतुल्य के रूप में लिया जाता है।

1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रतिदर्श लेखापरीक्षित

2008-09 से 2012-13 तक की अवधि से संबंधित यह पुनरीक्षण मई 2013 से अगस्त 2013 तक डी जी ओ एस, डी जी क्यू ए (आर्मामेंट), सी ए डी पुलगाँव, 14 में से सात⁷ ए डी/ एफ ए डी, सभी छह⁸ फिलिंग निर्माणियों, 17 में से आठ⁹ संघटक विनिर्माण, सी क्यू ए (ए) किरकी एवं आयुध निर्माणी बोर्ड पर किया गया। जहाँ भी आवश्यक था, 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित विषय को भी सम्मिलित किया गया है।

मार्च 2013 के अनुसार थलसेना 170 प्रकार के गोला-बारूद को धारण कर रही थी। इनमें से, हमने पुनरीक्षण के लिए 69 प्रकार का चयन किया (अनुलग्नक-II)। यह चयन निम्न दो मापदंडों के आधार पर था:

- (1) कवचित युद्ध वाहनों (ए एफ वी) और आर्टिलरी (49 प्रकार के गोला-बारूद) की उच्च कैलिबर गोला-बारूद की संपूर्ण श्रेणी।
- (2) भंडार < 20 आई की उपलब्धता वाली ए एफ वी और आर्टिलरी से भिन्न गोला-बारूद अर्थात डब्ल्यू डब्ल्यू आर स्तर का 50 प्रतिशत, जो थलसेना ने 2015 तक प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव किया (20 प्रकार के गोला-बारूद)।

जांच के लिए चयनित वर्ग-वार प्रतिदर्श को नीचे तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 3 : संख्या एवं प्रतिदर्श का विवरण

गोला-बारूद का वर्ग	मार्च 2013 के अनुसार कुल प्रकार के गोला-बारूद	लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल प्रकार के गोला-बारूद
कवचित युद्ध वाहन (ए एफ वी)	22	15
आर्टिलरी (आर्टि)	69	34
हवाई रक्षा आर्टिलरी (ए डी आर्टि)	16	1
विध्वंस एवं विस्फोटक (डेमो एवं एक्स्प)	22	6
लघु शस्त्र गोला-बारूद एवं इंफन्ट्री (एस ए ए एवं इन्फ)	28	11
नयी पीढ़ी (न्यू जेन)	7	2

⁷ ए डी भटिंडा, ए डी दप्पर, ए डी भरतपुर, 19 एफ ए डी, 24 एफ ए डी, 18 एफ ए डी और 15 एफ ए डी

⁸ आयुध निर्माणी चंदा (ओ एफ सी एच), आयुध निर्माणी बड़मल (ओ एफ वी एल), आयुध निर्माणी खमारिया (ओ एफ के), आयुध निर्माणी देहू रोड (ओ एफ डी आर), गोला-बारूद निर्माणी किरकी (ए एफ के), आयुध निर्माणी, वारंगाँव (ओ एफ वी)

⁹ आयुध निर्माणी अंबाझारी (ओ एफ ए जे), आयुध निर्माणी कानपुर (ओ एफ सी), गन एवं शेल निर्माणी कासीपुर (जी एस एफ), आयुध निर्माणी इटारसी (ओ एफ आई), कोरडाइट निर्माणी अरुवन्काडु (सी एफ ए), आयुध निर्माणी भंडारा (ओ एफ वी ए), आयुध निर्माणी कटनी (ओ एफ के ए टी) और हेवी एलोय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट (एच ए पी पी)

गोला-बारूद का वर्ग	मार्च 2013 के अनुसार कुल प्रकार के गोला-बारूद	लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल प्रकार के गोला-बारूद
थलसेना विमानन (ए वी एन)	6	0
कुल	170	69

(स्रोत: 31 मार्च 2013 की अखिल भारतीय उपलब्धता रिपोर्ट)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित 69 प्रकार के गोला-बारूद में से 48 प्रकार के गोला-बारूद (अनुलग्नक-II की क्रम सं. 1 से 48 तक) 2008-13 के दौरान आयुध निर्माणियों की उत्पादन लाइन में थे। अतः इन 48 प्रकार के गोला-बारूद को पुनरीक्षण के दौरान आयुध निर्माणियों में विस्तृत जांच के लिए चयनित किया गया।

1.8 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

ए एच क्यू तथा सी ए डी पुलगाँव पर सूचनाओं का संग्रहण और प्रारंभिक अध्ययन करने के पश्चात 17 मई 2013 को मंत्रालय के साथ एक एन्ट्री कान्फेरेन्स का आयोजन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और कार्यप्रणाली की चर्चा की गई तथा मापदंडों पर सहमति हुई। लेखापरीक्षा मापदंडों के प्रति निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मई 2013 से अगस्त 2013 की अवधि के दौरान प्रतिदर्श कवरेज के लिए चयनित इकाइयों में एक विस्तृत लेखापरीक्षा जांच की गई, जैसा कि उपरोक्त पैरा 1.7 में इंगित किया गया है। फ़िल्ड लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जांच, लेखापरीक्षा जापनों और प्रश्नावलियां जारी करके सूचना का संग्रहण आदि सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा ने ए एच क्यू और डिपुओं में प्रयुक्त कंप्यूटरीकृत पैकेजों से निकाले गए आंकड़ों का विश्लेषण भी किया।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए तथा उन उत्तरों को सम्मिलित करने के पश्चात 20 फरवरी 2014 को प्रतिवेदन का मसौदा मंत्रालय को जारी किया गया। उत्तर देने हेतु छह हफ्तों की निर्धारित समय सीमा के बावजूद, वह अभी प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)। इस पुनरीक्षण पर एक्सिट कान्फ्रैंस 6 अगस्त 2014 को किया गया तथा इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय एक्सिट कान्फेरेन्स के दौरान किए गए विचार विमर्श को ध्यान में लिया गया है। प्रतिवेदन के मसौदे में प्रदत्त संस्तुतियों को एग्जिट कान्फेरेन्स के दौरान मंत्रालय द्वारा स्वीकार भी किया गया।

1.9 आभार

हम मंत्रालय, ए एच क्यू, ओ एफ बी, डी जी क्यू ए तथा फ़िल्ड डिपुओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रयुक्त संक्षिप्तियों की तालिका परिशिष्ट-I में दी गई है।

अध्याय II : प्रावधान एवं वित्तीय प्रबंधन

लेखापरीक्षा का उद्देश्य


यह सुनिश्चित करना कि:

- आवश्यकता विक्षेपण तथा प्रावधन एवं मांग प्रणाली की वर्तमान पद्धतियां प्रभावी हैं।
- गोला-बारूद की अधिप्राप्ति हेतु निधियों का प्रावधान पर्याप्त था।

2.1 गोला-बारूद प्रबंधन

सेना में गोला-बारूद, तीन स्तरों, अर्थात् सेवा गोला-बारूद, रिजर्व तथा प्रशिक्षण गोला-बारूद, में रखा जाता है, जैसा कि चार्ट-1 में दर्शाया गया है। सेवा गोला-बारूद यूनिटों द्वारा प्रथम पंक्ति गोला-बारूद के रूप में रखा जाता है जबकि आरक्षित एवं युद्ध क्षति रिजर्व (डब्ल्यू डब्ल्यू आर) द्वितीय पंक्ति में होते हैं। प्रशिक्षण गोला-बारूद सैन्य टुकड़ियों तथा इकाईयों की कुशलता बनाए रखने के लिए प्रत्येक यूनिट को अधिकृत है।

चार्ट सं. 1



प्रथम पंक्ति गोला-बारूद

यह सेवा गोला-बारूद है, जो युद्ध/शान्ति संस्थापनाओं को अधिकृत हथियारों हेतु प्रदत्त मानकों पर किसी इकाई को अधिकृत किए जाते हैं। यह संबंधित इकाईयों द्वारा

धारित किया जाता है। यह दो गहन लड़ाइयों हेतु अपेक्षित गोला-बारूद का मानक है।

द्वितीय पंक्ति गोला-बारूद

यह एक फार्मेशन की समस्त इकाईयों के लिए प्रदत्त मानक पर अधिकृत एक फार्मेशन के साथ आवश्यक गोला-बारूद का आकस्मिक रिजर्व है। यह एक गहन लड़ाई हेतु आवश्यक गोला-बारूद का मानक होता है। यह फार्मेशन के गोला-बारूद गोदामों में फार्मेशन की व्यवस्था के अन्तर्गत रखा जाता है।

युद्ध क्षति रिजर्व (डब्ल्यू डब्ल्यू आर) गोला-बारूद

यह सैन्य कार्यवाही की संभावित अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अथवा घरेलू उत्पादन न होने तक अथवा गोला-बारूद की अधिप्राप्ति हेतु अन्य प्रबंध किये जाने तक के लिए अभिप्रेत आरक्षण होता है। डब्ल्यू डब्ल्यू आर स्तर 'दिनों में' दर्शाया है तथा युद्ध अवधि की पूर्ति हेतु रखे गए भंडार की मात्रा को इंगित करता है। डब्ल्यू डब्ल्यू आर प्रावधानिक पुनरीक्षा के दौरान गोला-बारूद की आवश्यकताओं की गणना हेतु आधार है।

अप्रैल 1979 में सरकार ने 30 दिवस की गहन अवधि और अन्य 30 दिवस सामान्य दर की धारणा पर डब्ल्यू डब्ल्यू आर के प्राधिकार को अनुमोदित किया। इस प्राधिकार की पुनरीक्षा की गई और मंत्रालय ने अक्टूबर 2010 में डब्ल्यू डब्ल्यू आर दरों की गहन अवधि को 40 दिनों अर्थात् 40 (I) में संशोधित किया। यह संशोधन अप्रैल 1979 की डब्ल्यू डब्ल्यू आर दरों के संदर्भ में तथा एक दिन की गहन दर को तीन दिन की सामान्य दर के समतुल्य के रूप में लेते हुए किया गया।

प्रशिक्षण गोला-बारूद

प्रशिक्षण गोला-बारूद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेना युद्ध हेतु उपयुक्तः तैयार रहे, सैन्य ट्रुकिंगों तथा फार्मेशनों की कुशलता बनाए रखने के लिए प्रत्येक इकाई को अधिकृत किया जाता है।

2.2 प्रावधान पद्धति

गोला-बारूद वर्ग 'ए' भंडारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका प्रावधान मंत्रालय की अनुमति से 1970 में जारी डी जी ओ एस तकनीकी अनुदेश (टी आई) के द्वारा नियंत्रित है। वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा (एपीआर) का उद्देश्य प्रावधान अवधि के लिए दायित्वों एवं संपत्तियों का आकलन करना तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न आपूर्तिकर्ता एजेन्सियों को नई/अनूपूरक/अल्प मार्गें प्रदान करना है। यह कार्यवाही डी जी ओ एस द्वारा प्रावधान अवधि के पूर्व वर्ष की जुलाई माह में की जाती है और

गोला-बारूद भण्डारण डिपुओं से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती है। गोला-बारूद मर्दों का प्रावधान इकाई हकदारी (यू.ई) (यदि इन्हें प्रश्नाधीन प्रावधान अवधि के दौरान किए जाने की संभावना हो) किया जाता है, अन्यथा इकाईयों द्वारा हथियारों की धारिता पर (यू.एच)। टी आई आगे व्यक्त करता है कि एक बार शुद्ध आवश्यकता आकलित हो जाती है तो ओ एफ बी की उत्पादन क्षमता अथवा गत मांगों के प्रति आपूर्तियों में कमी को वृष्टीगत किए बिना, डी जी औ एफ पर संपूर्ण दायित्व को पूरा करने के लिए डी जी औ एस द्वारा मांगे जारी कर दी जाती हैं।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

2.3.1 आवश्यकता के प्रति कम मांग

लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि जैसा कि टी आई में निर्धारित है ए पी आर में आकलित संपूर्ण दायित्व के लिए मांग-पत्र देने की अपेक्षा मांग-पत्र डी जी औ एस द्वारा मात्र आंशिक मात्राओं के लिए दिये जा रहे थे जिनका आकलन न्यूनतम स्वीकार्य जोखिम स्तर (एम ए आर एल)¹⁰ की संकल्पना पर किया गया। ए एच क्यू द्वारा 1999 में आरम्भ की गयी यह निम्नतर आवश्यकता, परिचालनात्मक तैयारियों की पूर्ति हेतु सभी समय पर अनुरक्षण किए जाने वाले गोला-बारूद की न्यूनतम अपरिहार्य आवश्यकता मानी गई। डी जी औ एस द्वारा ए पी आर में सृजित मांगों की केवल आंशिक मात्राओं हेतु मांग-पत्रों का दिया जाना मंत्रालय की अनुमति से जारी इसके अपने ही अनुदेशों के विरुद्ध था। हमने पाया कि ए एच क्यू ने एम. ए. आर. एल. की संकल्पना को अपनाने से पूर्व मंत्रालय से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

गोला-बारूद की धारिता में निरंतर कमी, भंडारण स्थान में कमी, ओ एफ बी की उत्पादन क्षमता में बाधाओं और उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति करने के लिए ओ एफ बी को पर्याप्त समय की कमी को देखते हुए, मंत्रालय ने जनवरी 2010 में 5 वर्षों के दायित्व को संकलित करने तथा 5 वर्षों की अवधि के लिए रोल-ऑन-इंडेट जारी करने का निर्णय लिया। प्रथम पाँच वर्षीय रोल-ऑन-इंडेट (2009-2014) की अनुमति रक्षा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2010 में प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप ए एच क्यू द्वारा पाँच वर्षों के लिए गोला-बारूद की अधिप्राप्ति की गई। आवश्यकता आकलन का आधार 40 (I) डब्ल्यू डब्ल्यू आर का प्राधिकार था। 40 (I) डब्ल्यू डब्ल्यू आर पर 2009-2014 के लिए आकलित शुद्ध दायित्वों के होते हुए भी हमने देखा कि ए एच क्यू ने ए एम ए आर एल अर्थात् 20 (I) दिवसों (औसत) जो कि अधिकृत डब्ल्यू डब्ल्यू आर का 50 प्रतिशत था, की संकल्पना पर ओ एफ बी को मांग-पत्र देना जारी रखा। अधिप्राप्ति में यह निम्न-मानक इस बहाने

¹⁰ एम ए आर एल – गोला-बारूद की न्यूनतम अपरिहार्य आवश्यकता जो सैन्य कार्यवाही की तैयारी की पूर्ति हेतु हर समय बनाए रखे जाना होता है। गोला-बारूद की विभिन्न श्रेणियों हेतु एम ए आर एल 15 दिवस से 26 (I) दिवस तक होता है।

से हुआ था कि एक बार स्टॉक भंडारण एम.ए.आर.एल. पर हो जाए, उसके बाद गोला-बारूद का भंडारण डब्ल्यू डब्ल्यू आर तक कर लिया जाएगा।

2.3.2 गोला-बारूद की अत्याधिक कमी

गोला-बारूद की प्रावधान पद्धति के जाँच से पता चला कि 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान सभी प्रकार के गोला-बारूद की अखिल भारतीय उपलब्धता¹¹ (ए.आई.ए), अधिकृत 40 (I) डब्ल्यू डब्ल्यू आर से काफी नीचे थी। जहाँ तक गोला-बारूद की स्टॉक उपलब्धता का संबंध है, हमने पाया कि एम.ए.आर.एल. 20 (I) के घटे हुए मानक भी प्राप्त नहीं किये गए।

2009-2013 के बीच मार्च के महीनों में रखे गए गोला-बारूद के स्टॉक की कमी नीचे तालिका 4 में चित्रित है:

तालिका सं. 4 : डब्ल्यू डब्ल्यू आर की तुलना में रखे गए स्टॉक में कमी

(वर्ष के 31 मार्च तक स्थिति)

दिवस (I) की सीमा	उपलब्ध गोला-बारूद के प्रकारों की संख्या				
	2009	2010	2011	2012	2013
<10	15	57	62	77	85
>=10 से <15	15	22	12	14	21
>=15 से <20	17	14	17	22	19
>=20 से <25	14	15	16	8	9
>=25 से <30	8	6	7	7	7
>=30 से <35	4	6	7	3	6
>=35 से <40	4	3	11	4	6
>=40	24	22	13	18	17
कुल	101	145	145	153	170


(स्रोत: डी जी ओ एस (ओ एस 6ए) का पत्र दिनांक जनवरी 2013 तथा जून 2013)

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान गोला-बारूद की कम होती उपलब्धता भी नीचे चार्ट-2 में दिखाई गई है: (श्रेणीवार स्टॉक स्थिति अनुलग्नक - III में दी गई है)

¹¹ अखिल भारतीय उपलब्धता, डब्ल्यू डब्ल्यू आर गोला-बारूद हेतु दिवसों की संख्या में देश के भीतर उपलब्ध गोला-बारूद के कुल स्टॉक के रूप में परिभाषित है।

चार्ट सं. 2

वर्ष 2009 से 2013 के 31 मार्च को दिवसों की संख्या में उपलब्ध
गोला-बारूद की प्रतिशतता



उपरोक्त तालिका एंव चार्ट से यह देखा जा सकता है कि:-

- ❖ 40 (I) डब्ल्यू डब्ल्यू आर के प्राधिकार के संदर्भ में मार्च 2013 तक गोला-बारूद के 170 प्रकारों में से केवल 17 में उपलब्धता पूर्ण थी (10 प्रतिशत) जबकि मार्च 2009 को गोला-बारूद के 101 प्रकार में से 24 में (24 प्रतिशत) उपलब्धता पूर्ण थी। यह धारिता इंगित करती है कि डब्ल्यू डब्ल्यू आर के प्रति उपलब्धता वर्ष दर वर्ष कम हो रही थी। 31 मार्च 2013 तक रखे गये गोला-बारूद के कुल प्रकारों में डब्ल्यू डब्ल्यू आर के प्रति कमी 90 प्रतिशत थी। पुनरीक्षण हेतु चुने गए गोला-बारूद के 69 प्रकारों में से हमने देखा कि सभी

69 प्रकारों के संबंध में 31 मार्च 2013 को धारिता 40 (I) डब्ल्यू डब्ल्यू आर स्तर से नीचे थी।

- ❖ पहले एम ए आर एल प्राप्त करने की अवधारणा के बावजूद मार्च 2013 को 170 प्रकार के गोला-बारूद (74 प्रतिशत) में से 125 के संबंध में गोला-बारूद की उपलब्धता एम ए आर एल से नीचे थी। मार्च 2009 से भंडारण स्थिति कम हो रही थी। जब कि एम ए आर एल से नीचे स्टॉक उपलब्धता 101 प्रकारों के गोला-बारूद (46 प्रतिशत) में से 46 में थी। गिरती हुई भंडार उपलब्धता का प्रारूप इंगित करता है कि ए एच क्यू द्वारा 1999 में प्रारम्भ किए गये एम ए आर एल की न्युनतम सीमा से भी कोई सुधार नहीं हुआ। एम ए आर एल के प्रति धारिता के संबंध में भी स्थिति वास्तव में खराब हो रही थी।
- ❖ 10 दिवस (I) से कम उपलब्धता वाले को 'महत्वपूर्ण' माना जाता है और ऐसे गोला-बारूद की संख्या में कोई भी वृद्धि अत्यधिक का क्षेत्र होना चाहिए। न्युनतम महत्वपूर्ण धारिता होते हुए भी चिंता उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से यह देखा जा सकता है कि मार्च 2013 तक 10 दिवस (I) से कम के लिए उपलब्ध गोला-बारूद के प्रकारों की संख्या कुल 170 प्रकारों के गोला-बारूद के प्रति 85 अर्थात् 50 प्रतिशत थी। महत्वपूर्ण गोला-बारूद की यह संख्या 2008-09 (कुल का 15 प्रतिशत) में 15 प्रकारों से 2012-13 में 85 (कुल का 50 प्रतिशत) तक बढ़ गई थी।

2.3.2.1 उच्च क्षमता के गोला-बारूद के भंडारण की स्थिति

उच्च गोलाबारी बनाए रखने हेतु आर्टिलरी गनों (आर्टी) और कवचित युद्ध वाहनों (टैंक) के लिए गोला-बारूद उच्च क्षमता की होती है। हमने देखा कि अधिकतर उच्च क्षमता के गोला-बारूद का धारिता स्तर महत्वपूर्ण स्तर से नीचे था। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान आर्टी तथा ए एफ वी में उच्च क्षमता प्रकार के महत्वपूर्ण गोला-बारूद के प्रकार नीचे तालिका-5 में दिखाए गए हैं:



130 मि.मी. एच ई

तालिका सं. 5 : उच्च क्षमता की गोला-बारूद में कमी

(31 मार्च तक)

वर्ष	आर्टी एवं कवचित युद्ध वाहन (ए एफ वी) के उच्च क्षमता वाले गोला-बारूद के कुल प्रकार	महत्वपूर्ण उपलब्धता वाले आर्टी एवं ए एफ वी के उच्च क्षमता वाले गोलाबारूद के कुल प्रकार (<10(I))	महत्वपूर्ण उपलब्धता वाले आर्टी एवं ए एफ वी के उच्च क्षमता वाले गोलाबारूद की प्रतिशत
1	2	3	4
2009	36	12	33
2010	46	18	39
2011	45	29	64
2012	43	36	84
2013	49	32	65

(स्रोत: ए आई ए रिपोर्टें)

उपरोक्त तालिका 5 से यह देखा जा सकता है कि 2009 से 2013 के दौरान आर्टी एवं कवचित युद्ध वाहन (ए एफ वी) श्रेणी का 33 प्रतिशत से 84 प्रतिशत अर्थात् 10(I) से कम भड़ारण महत्वपूर्ण क्षेत्र में था जो उच्च गोलाबारी को बनाए रखने हेतु गोलाबारूद की अत्यधिक कमी की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

जून 2013 में गोला-बारूद की कमी का मामला मंत्रालय एवं ए एच क्यू के ध्यान में लाया गया तथा उनका उत्तर मागा गया जबकि मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया (अप्रैल 2015) ए एच क्यू ने बताया (सितम्बर 2013) कि गोला-बारूद की कमी मंत्रालय को मौखिक रूप से समय-समय पर सूचित की गई थी तथा हाल में ए आई ए की एक प्रति भी मंत्रालय को प्रदान की गयी थी। आगे यह बताया गया कि गोला-बारूद की अनुपलब्धता प्रावधान में कमियों के कारण नहीं थी अपितु (I) ओ एफ वी द्वारा लक्ष्यों में स्लिपेज (II) ओ एफ वी हेतु अपर्यास बजटीकरण और (III) विभिन्न स्तरों पर आयात के माध्यम से अधिप्राप्ति के मामलों में विलम्ब के कारण थी। यह भी बताया गया कि जब तक ओ एफ वी द्वारा स्वीकृत लक्ष्य पूरे नहीं होते तथा ओ एफ वी को प्रर्यास बजट नहीं प्रदान किया जाता, गोला-बारूद के डब्ल्यू डब्ल्यू आर भंडार कम होते ही रहेंगे।

गोला-बारूद की अनुपलब्धता के संबंध में ए एच क्यू द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निम्नलिखित कारणों से लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है;

- ए एच क्यू ने गोला-बारूद की धारिता में प्रचंड कमी के गम्भीर मामलों को मंत्रालय से मात्र मौखिक रूप में लिया जो गंभीरता का अभाव और ए एच क्यू द्वारा इस मामले में प्रदान की गई प्राथमिकता में कमी को इंगित करता है।
- 2009 से 2013 के दौरान ओ एफ बी द्वारा स्लिपेज 31 मार्च 2013 तक डब्ल्यू डब्ल्यू आर के प्रति 90 प्रतिशत कुल कमी के प्रति मात्र 28 से 37 प्रतिशत (तालिका 8 के संदर्भ में) के बीच में थी। इसलिए कमी पूर्णतः ओ एफ बी पर आरोपित नहीं की जा सकती।
- लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान बजट आवंटन ओ एफ बी द्वारा प्रस्तुत मांगों से अधिक था, जो इंगित करता है कि ओ एफ बी हेतु बजट पर्यास था। इस प्रतिवेदन की तालिका 8 एवं पैराग्राफ 2.4 से यह स्पष्ट होता है।
- 2009 से 2013 के दौरान आपूरित किये गये कुल गोला-बारूद में औसत आयातित तत्व 8 प्रतिशत से कम था और इसलिए आयात में विलंब का कुल कमी पर सीमित प्रभाव था।

इसी दिशा में एक लेखापरीक्षा प्रश्न ओ एफ बी को, उनके उत्तर (अगस्त 2013) का नियेदन करते हुए भी जारी किया गया। ओ एफ बी ने बताया (अगस्त 2013) कि यद्यपि एम ए आर एल मांगों पर, थलसेना द्वारा रोल ऑन मांग पत्र दिया गया, लेकिन उस समय ओ एफ बी की क्षमता एम ए आर एल आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्यास नहीं थी। ओ एफ बी युक्ति संगत नहीं था क्योंकि ए एच क्यू द्वारा रोल ऑन मांग-पत्र ओ एफ बी की क्षमता एवं मार्च 2014 तक उत्पादन नियोजन का विचार करते हुए ओ एफ बी से विस्तृत विचार-विमर्श करने के उपरांत ही दिया गया था।

2.3.2.2 प्रशिक्षण पर कमी का प्रभाव

हमने देखा कि गोला-बारूद के समग्र अभाव को ध्यान में रखते हुए ए एच क्यू ने सभी श्रेणियों के लिए लागू प्रशिक्षण गोला-बारूद पर प्रतिबंध लगा दिया। 2008-09 से 2012-13 तक के प्रशिक्षण वर्षों के दौरान प्रशिक्षण गोला-बारूद पर प्रतिबंध के सार का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका 6 में दिया गया है:-

तालिका सं. 6 : वर्ष की समाप्ति पर वर्ष-वार प्रतिबंध का विवरण

वर्ष	प्रशिक्षण हेतु अधिकृत गोला-बारूद के कुल प्रकार	प्रतिबंध सहित प्रशिक्षण हेतु अधिकृत गोला-बारूद के कुल प्रकार	50 प्रतिशत से कम प्रतिबंध सहित गोला-बारूद के प्रकार	50 प्रतिशत प्रतिबंध सहित गोला-बारूद के प्रकार	75 प्रतिशत प्रतिबंध सहित गोला-बारूद के प्रकार	100 प्रतिशत प्रतिबंध सहित गोला- बारूद के प्रकार
2008-09	101	18	00	06	01	11
2009-10	145	31	09	11	06	05
2010-11	145	66	02	04	35	25
2011-12	153	93	07	20	39	27
2012-13	170	136	16	17	47	56

(स्रोत: 2009-13 के 31 मार्च तक गोला-बारूद की अखिल भारतीय उपलब्धता पर डी जी ओ एस प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रतिबंधित गोला-बारूद की कुल संख्या 2008-09 से 2012-13 तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर थी। हमने आगे देखा कि तीन लगातार वर्षों के लिए (2010-11 से 2012-13) 16 प्रकार के गोला-बारूद (जिनमें से 10 उच्च क्षमता के थे) में 100 प्रतिशत प्रतिबंध था। ऐसे गोला-बारूद का विवरण नीचे तालिका 7 में दिया गया है:

तालिका सं. 7 : 2010 -11 से 2012-13 के दौरान लगातार रूप से प्रशिक्षण पर 100 प्रतिशत प्रतिबंध युक्त गोला-बारूद

क्र.सं.	गोला-बारूद	क्षमता का प्रकार
1	125 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस (सोफ्ट, यू एस एस आर)	उच्च
2	125 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस	उच्च
3	122 मि.मी. एच ई ए टी	उच्च
4	बी एम सी एस (एल जेड)	उच्च
5	बी एम सी एस (एच जेड)	उच्च
6	300 मि.मी. 9 मी. 55 के	उच्च
7	300 मि.मी. 9 मी. 55 एस	उच्च
8	300 मि.मी. 9 मी. 55 एफ	उच्च
9	300 मि.मी. 9 मी. 528	उच्च
10	रॉकेटे 214 मि.मी. एच ई पी एफ	उच्च
11	23 मि.मी. एच ई/टी	मध्यम
12	20 मि.मी. एस ए पी एच ई आई (एस ए)	मध्यम

क्र.सं.	गोला-बारूद	क्षमता का प्रकार
13	राठड 40 मि.मी. एच ई एपी (एस ए)	मध्यम
14	राठड 40 मि.मी. एच ई आरपी (एस ए)	मध्यम
15	राठड 40 मि.मी. एच ई डीपी (एस ए)	मध्यम
16	40 मि.मी. वी ओ जी- 25 (यू बी जी एल)	मध्यम

गोला-बारूद की पतनोन्मुखी स्टॉक स्थिति के संबंध में पुनरीक्षण के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापन, जिसमें प्रशिक्षण गोला-बारूद भी शामिल था, के उत्तर में ए एच क्यू ने सितम्बर 2013 में बताया कि ओ एफ बी से कुल प्रशिक्षण आवश्यकता ₹5,900 करोड़ थी। इन वर्षों में बजट आर्बेटन अधिकतम ₹4,000 करोड़ तक था, जिसके द्वारा डब्ल्यू डब्ल्यू आर भंडारण में व्यय तथा गोला-बारूद की उपलब्धता में कमी हुई। ए एच क्यू ने आगे बताया कि यह थल सेना के प्रशिक्षण में बाधक भी थी क्योंकि परिचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए गोला-बारूद बचाके रखने के लिए प्रशिक्षण प्रतिबंध लगाने पड़े।

2.4 वित्तीय प्रबंधन

जनवरी 2010 से पूर्व (जब प्रथम रोल-ऑन-मांग पत्र लागू नहीं था) थल सेना ने वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व, ओ एफ बी को वार्षिक लक्ष्य जारी कर दिया था। हालांकि जनवरी 2010 के उपरान्त, मंत्रालय की अनुमति से, 5 वर्षों (2009-10 से 2012-13) के लिए एक समेकित मांग-पत्र इस अवधि में थल सेना को आपूरित किए जाने वाले गोला-बारूद की मात्राओं हेतु ओ एफ बी को प्रस्तुत किया गया था।

रोल-ऑन-मांग पत्र के आधार पर, ओ एफ बी को ए एच क्यू (एफ पी निदेशालय एवं एम जी ओ शाखा) से विचार-विमर्श के उपरांत बजट अनुमान/संशोधित अनुमान (बी ई/ आर ई) के समय मंत्रालय के वित्त विभाग को अपनी वित्तीय आवश्यकताएं आकलित और व्यक्त करनी थी। रोल-ऑन-मांग पत्र के प्रति निधियों की आवश्यकता ओ एफ बी द्वारा बी ई के माध्यम से व्यक्त की गई, मंत्रालय द्वारा निधियों का वास्तविक आवंटन तथा ओ एफ बी द्वारा आपूरित गोला-बारूद की कुल कीमत नीचे तालिका 8 में दिखाई गई है:

तालिका सं. 8: लक्ष्य, निधियों का आबंटन एवं ओ एफ बी द्वारा आपूर्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रोल-ऑन-मांग-पत्र के अधीन स्वीकृत लक्ष्य	ओ एफ बी द्वारा प्रक्षेपित बी ई	मंत्रालय द्वारा वास्तविक आबंटन	ओ एफ बी की आपूर्ति का मूल्य	लक्ष्य के प्रति बी ई की प्रतिशतता	लक्ष्य के प्रति आपूर्तियों का प्रतिशतता	स्लिपेज की प्रतिशतता [स्तम्भ 2- स्तम्भ 5) / स्तम्भ 2] X 100
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	4,278.75	2,734.83	2,796.78	2,746.00	64	64	36
2010-11	5,141.87	3,557.94	3,696.67	3,688.00	69	72	28
2011-12	5,631.02	3,858.00	4,109.08	3,720.00	69	66	34
2012-13	5,873.06	3,773.00	3,948.44	3,677.00	64	63	37

(स्रोत: डी जी ओ एस (गोला-बारूद अधिप्राप्ति) का पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2013)

हमने देखा कि, हालांकि रोल-ऑन-मांग पत्र के अधीन शामिल गोला-बारूद की आवश्यकताएं ओ एफ बी से विचार-विमर्श करके तथा रोल ॲन मांग पत्र के अनुमोदन के समय मंत्रालय द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजटीय मांगों के अनुरूप आकलित की गई थीं। ओ एफ बी द्वारा निधियों की आवश्यकता की प्रक्षिप्त लक्षित मात्राओं से मेल नहीं खाती थी। लक्ष्यों की स्वीकृति के बावजूद, ओ एफ बी ने स्वीकृत लक्ष्य के प्रति 31 से 36 प्रतिशत तक कम बजट मांग प्रस्तुत की। ओ एफ बी ने इसी तथ्य को जिम्मेदार बताया कि बी ई प्रस्तुति ए एच क्यु से विचार-विमर्श करके की गई तथा बताया कि निर्णय समग्र निधि की उपलब्धता के आधार पर और विभिन्न गोला-बारूद मदों की वास्तविक भंडार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

हालांकि ए एच क्यू का इस मामले पर एक भिन्न दृष्टिकोण था तथा सितम्बर 2013 में बताया कि ओ एफ बी द्वारा प्रस्तुत की गयी बजटीय आवश्यकता उसकी क्षमता पर आधारित थी। जब तक ओ एफ बी की क्षमताओं में वृद्धि नहीं की जाती, बजट के मामले में उनकी प्रक्षिप्तियां भी सीमित होंगी।

इस उत्तर के होते हुए भी, तथ्य यह है कि लक्ष्यों की कीमत में भारी अन्तर तथा ओ एफ बी द्वारा बी ई प्रक्षिप्तियों को देखते हुए यह आवश्यक था कि पूर्व में ही कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु मंत्रालय एवं थल सेना मुख्यालय दोनों स्तरों पर उचित पटल पर विश्लेषित किया जाना चाहिए था क्योंकि आपूर्ति में स्लिपेज पहले से ही पता था। हालांकि जुलाई 2013 में गोला-बारूद रोड मैप बनाने के अलावा कोई प्रभावी एवं समयोचित उपाय नहीं किया गया था। रोड मैप में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता की चर्चा आगामी पैराग्राफ में की गई है।

2.5 गोला-बारूद रोड मैप

गोला-बारूद किसी भी युद्ध छेड़ने की क्षमता का निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। किसी भी प्रकार की शस्त्र प्रणाली की प्रभावकारिता एवं सहनशीलता मुख्य रूप से गोला-बारूद की समय पर उपलब्धता तथा उसकी गुणवता पर निर्भर होती है। हालांकि, गोला-बारूद के पंचवर्षीय रोल-ऑन-मांग पत्र के मध्यावधि मूल्यांकन (जूलाई 2012) के दौरान, अपर महानिदेशालय (टी एस) ने देखा कि स्लिपेज/अनुमोदित मात्रा को पूरा करने में ओ एफ बी की अक्षमता के कारण कमी का स्तर चौंकाने वाले निम्न स्तर तक गिर गया था।

ए एच क्यू ने मंत्रालय को (जुलाई 2012) एक प्रगतिशील योजना (गोला-बारूद रोड मैप) का प्रस्ताव रखा जिसमें मार्च 2015 तक सरकार द्वारा अनुमोदित स्केल का 50 प्रतिशत तक का स्टॉक के स्तर का निर्माण करना और शेष कमी को बाद में मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था। प्रस्ताव मौजूदा गोला-बारूद धारिता के निम्नस्तर को कम करने के लिए किया गया था जिसका थल सेना की परिचालनात्मक की तैयारियों पर एक निर्णायक प्रभाव था।

जुलाई 2013 में मंत्रालय ने गोला-बारूद रोड मैप को मंजूरी दे दी और साथ ही ओ एफ बी से ₹963 करोड़ के और आयात के माध्यम से ₹16,593.91 करोड़ के गोला-बारूद की अधिप्राप्ति को मंजूरी दे दी। ओ एफ बी को 19 जुलाई 2013 में मांग पत्र जारी किया गया।

हमने गोला-बारूद रोड मैप के कार्यान्वयन की जांच की और पाया कि गोला-बारूद के आयात के 17 मामलों में, जिसे जुलाई 2013 में आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई थी, (ए ओ एन) दिसम्बर 2014 तक कोई भी अनुबंध नहीं किया जा सका। मामलों की स्थिति नीचे तालिका 9 में दी गई है:

तालिका संख्या 9: आयात के मामलों की स्थिति

क्रम संख्या	मामलों की संख्या	स्थिति
1	7	आर एफ पी चरण
2	6	टी ई सी चरण
3	3	सी एन सी चरण
4	1	कैपिटल रूट के माध्यम से खरीदा जाना है

(डी जी ओ एस का पत्र)

डी पी एम के अनुसार रोड मैप के गोला-बारूद का आयात राजस्व मार्ग के माध्यम से और 20 से 23 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि, उसमें पहले से ही 40 सप्ताह की देरी हो चुकी थी (नवम्बर 2014 तक)।

आयात अनुबंध को समय पर अंतिम रूप न देने के प्रभाव को नीचे तालिका 10 में दिया गया है:

तालिका संख्या 10: गोला-बारूद के स्टॉक की उपलब्धता

क्रम सं.	गोला-बारूद का नाम	30.09.2014 तक दिनों में (I) स्टॉक की उपलब्धता
1	30 मि.मी. वी ओ जी-17	5
2	125 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस/टी	(-)6
3	125 मि.मी. एच ई	17
4	125 मि.मी. एच ई ए टी	13
5	रातण्ड 122 मि.मी. एच ओ डब्ल्यू एच ई एफ सी	0.12
6	रातण्ड 122 मि.मी. एच ओ डब्ल्यू एच ई आर सी	(-)0.17
7	रातण्ड 122 मि.मी. एच ओ डब्ल्यू एफ सी एस एम के डब्ल्यू पी	3
8	रातण्ड 122 मि.मी. एच ओ डब्ल्यू आर सी एस एम के डब्ल्यू पी	0
9	रातण्ड 122 मि.मी. एच ओ डब्ल्यू आई एल एल जी एफ सी	0
10	40 मि.मी. एम जी एल एच ई टी एम	0
11	40 मि.मी. एम जी एल एच ई ए पी एम 848	(-)4(I)
12	40 मि.मी. एम जी एल एच ई डी पी एम 9115	0
13	40 मि.मी. एम जी एल एच ई आर पी एम 8931	0
14	7.62 मि.मी. पी के टी (एस सी)	0
15	7.62 मि.मी. पी के टी (बी-32)	0
16	7.62 मि.मी. पी के टी (टी-46)	0
17	रॉकेट 122 मि.मी. जी आर ए डी बी एम-21 एच ई (ई आर)	0

(स्रोत: गोला-बारूद की अखिल भारतीय उपलब्धता पर डी जी औ एस का प्रतिवेदन)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी 17 प्रकार के गोला-बारूद की उपलब्धता एम ए आर एल से नीचे थी, जिसमें से 15 प्रकार में उपलब्धता महत्वपूर्ण थी। तालिका से यह भी पता चलता है कि उन 15 मामलों में से 12 में स्टॉक की

उपलब्धता या तो ‘शून्य’ थी या ‘ऋणात्मक’¹² थी। इस प्रकार अनुबंध को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण, गोला-बारूद की उपलब्धता में भारी कमी को हल नहीं किया जा सका।

₹ 963 करोड़ की ओ एफ बी आपूर्ति के संबंध में, हमने देखा कि 82 मर्दों को 2014-19 की अवधि के रोल ऑन मांग पत्र में शामिल किया गया था। मत्रांलय ने दूसरे रोल ऑन मांग पत्र के लिए अक्टूबर 2013 में मंजूरी दी थी। उसका प्रभाव कम-से-कम 2014-15 यानी दूसरे रोल ऑन मांग पत्र के प्रथम वर्ष के पूरा होने के बाद ही ज्ञात हो सकेगा।

ए एच क्यू ने सितम्बर 2013 में कहा कि 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए कुल आवश्यकता ₹ 40,771 करोड़ आंकी गई थी। प्रारंभिक चरण में ही ओ एफ बी ने आवश्यकता को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और केवल 50 प्रतिशत आवश्यकता की आपूर्ति को स्वीकार किया। इसलिए दूसरा रोल ऑन मांग पत्र ₹20,381 करोड़ के लिए तैयार किया गया। पिछले रोल ऑन मांग पत्र की ₹5,998 करोड़ की कमी को भी इसमें शामिल किया गया। ओ एफ बी ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ₹26,378 करोड़ के कुल लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था।

हमने देखा कि मार्च 2015 तक सरकार द्वारा अनुमोदित स्केल के 50 प्रतिशत तक स्टॉक के स्तर का निर्माण करना और गोला-बारूद धारिता के वर्तमान निम्न स्तरों को दूर करने हेतु मार्च 2019 तक शेष कमी की पूर्ति रोड मैप के अनुसार प्राप्त किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

¹²(-) डिपो स्तर पर इयूस आऊट के कारण स्टॉक।

अध्याय-III अधिप्राप्ति

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना कि:

- गुणवत्ता वाले गोला-बारूद की आवश्यक मात्रा की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पद्धति विद्यमान थी।

3.1 अधिप्राप्ति के स्रोत

थल सेना के लिए गोला-बारूद की आवश्यकताओं को ओ एफ बी से और आयात और व्यापार के माध्यम से पूरा किया जाता है। आपूर्ति का मुख्य हिस्सा ओ एफ बी से आता है। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों आपूर्ति की हिस्सेदारी का डाटा नीचे तालिका-11 में दिखाया गया है:

तालिका संख्या 11 : गोला-बारूद की आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ओ एफ बी	आयात	व्यापार ¹³	कुल	ओ एफ बी की आपूर्ति की प्रतिशतता	आयात की प्रतिशतता	व्यापार आपूर्ति की प्रतिशतता
2008-09	2,451.00	13.16	91.84	2,556.00	95.89	0.51	3.59
2009-10	2,746.00	5.46	172.49	2,923.95	93.91	0.19	5.90
2010-11	3,688.00	313.19	87.09	4,088.28	90.21	7.66	2.13
2011-12	3,720.00	660.13	28.57	4,408.70	84.38	14.97	0.65
2012-13	3,677.00	360.58	102.80	4,140.38	88.81	8.71	2.48
कुल	16,282.00	1,352.52	482.79	18,117.31			

(स्रोत:- डी जी ओ एस (ओ एस गोला-बारूद अधिप्राप्ति) पत्र दिनांक 12 जून 2013 तथा 19 जून 2013)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ओ एफ बी थल सेना के लिए गोला-बारूद की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है, जिसने 2008-09 से 2012-13 वर्ष के दौरान 84

¹³ चूँकि व्यापार कुल आपूर्ति का केवल 3 प्रतिशत था निष्पादन लेखा परीक्षा में उसकी जांच नहीं की गई थी।

से 96 प्रतिशत गोलाबारूद की आवश्यकता की पूर्ति की है। शेष आवश्यकता को अधिकतर आयात और स्थानीय व्यापार के द्वारा पूरा किया जाता है।

3.2 ओ एफ बी से अधिप्राप्ति

ओ एफ बी द्वारा थल सेना को आपूर्ति किये जाने वाला गोला-बारूद हेतु पाँच वर्ष (2009-10 से 2013-14) के लिए मात्रा का एक समेकित रोल-ऑन-मांग पत्र मंत्रालय द्वारा जनवरी 2010 में अनुमोदित किया गया था। मंत्रालय की मंजूरी में यह उल्लेख किया गया था कि यह पाँच वर्षों के लिए एक दृढ़ समेकित मांग पत्र है, जिसे नीचे की ओर संशोधित नहीं किया जाएगा और वर्षिक प्रावधान समीक्षा (ए पी आर) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। सभी ए पी आर प्रधान आई एफ ए (ओ) की सहमति से एम जी ओ शाखा में की जाएगी। आगे, जैसा कि ए पी आर द्वारा ज्ञात हो तो मांग पत्र को प्राप्त करने में ओ एफ बी उत्पादन में किसी की कमी को अन्य स्रोतों से पूरा किया जाएगा जिसके लिए मंत्रालय की आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एम जी ओ द्वारा समय पर कारवाई शुरू की जाएगी।

यद्यपि, थल सेना द्वारा ओ एफ बी पर मांग पत्र उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर दिया गया था, ओ एफ बी लक्षित मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा। गोला-बारूद के प्रकार में यह कमी 54 से 73 प्रतिशत तक थी (तालिका-16 देखें) और धन के मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2009-10 से 2012-13 (तालिका-8 देखें) के दौरान 28 से 37 थी। पुनरीक्षण के लिए नमूना के रूप में लिए गए गोला-बारूद के संबंध में कमी का गोला-बारूद वार व्यौरा नीचे (अनुलग्नक-VI) में दिया गया है। हाई कैलिबर गोला-बारूद में अधिक कमी के व्याख्या मामलों को नीचे तालिका-12 में दिखाया गया है:

तालिका 12 :- 2008 से 2013 के दौरान हाई कैलिबर गोला-बारूद की आपूर्ति में विलंब को दर्शानेवाला व्यौरा

क्र. सं.	गोला-बारूद का नाम	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13	
		लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता	लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता	लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता	लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता	लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता
1.	155 मि.मी. ई आर एफ बी आई एल एल जी	1900	शून्य/100	1000	105/90	1000	0/100	1000	0/100	1000	0/100
2.	125 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस/टी	45000	1018/98	15000	1280/91	30000	9000/70	30000	429/99	30000	0/100

क्र. सं.	गोला-बारूद का नाम	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13	
		लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता	लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता	लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता	लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता	लक्ष्य (संख्या में)	मुद्दे (संख्या) कमी की प्रतिशतता
3.	120 मि.मी. मोर्टर आई एल एल जी	3000	1011/66	-	-	2000	1005/50	-	-	-	-
4.	105 मि.मी. एस एम के ऑरेंज	8000	1181/85	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	125 मि.मी. एच ई ए टी	-	-	16000	2004/87	20000	1997/90	30000	0/100	30000	18702/38
6.	120 मि.मी. एस एम के पी डब्ल्यू पी	-	-	10000	1969/80	5000	0/100	5000	2000/60	5000	0/100
7.	105 मि.मी. एस एम के रेड	-	-	-	-	1000	0/100	-	-	-	-
8.	फ्यूज डी ए 117	-	-	304403	1978/99	300000	139884/53	160000	121797/24	150000	56470/62
9.	81 मि.मी. एस एम के पी डब्ल्यू पी	-	-	75000	47836/36	100000	23967/76	150000	15950/89	150000	43941/71

(स्रोत: अनुलग्नक-VI)

उपरोक्त हाई कैलिवर गोला-बारूद की आपूर्ति में बार-बार कमी से स्टॉक की उपलब्धता पर सीधा प्रभाव पड़ा था जिसको पैरा 2.3.2.1 में विस्तार से बताया गया है।

ओ एफ बी ने रोल ऑन मांग पत्र के तहत लक्ष्य को पूरा करने में हुई विफलता के कारणों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए, 1 जुलाई 2014 को कहा कि यद्यपि उस समय तक ओ एफ बी की क्षमता मांगों में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, फिर भी व्यापार/आयात से उत्पाद समर्थन पर विचार करते हुए उपलब्ध क्षमता की तुलना में कुछ अधिक लक्ष्यों के स्वीकार किया, जो कि अंततः साकार नहीं हुआ।

हमने देखा कि जबकि ओ एफ बी थल सेना के लिए गोला-बारूद की लगभग समूची आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाध्य है, परन्तु वह उसके द्वारा स्वीकार किये गये लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता के बावजूद, 2009-13 के दौरान 43 से 71 प्रतिशत तक (गोला-बारूद के प्रकार के संदर्भ में) अधिक लक्ष्य की स्वीकृति के कारण कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप गोला-बारूद की उपलब्धता में कमी हुई (तालिका-4 देखें)।

3.3 आयात तथा व्यापार से अधिप्राप्ति

3.3.1 कैपिटल अधिप्राप्ति

अधिप्राप्ति पर व्यय को 'कैपिटल' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब सभी मर्दों का मूल्य प्रत्येक के लिए ₹10 लाख या उससे अधिक है तथा साथ में उसकी लाईफ सात वर्ष या उससे अधिक है और जब यह शर्तें लागू नहीं होतीं तब 'राजस्व' के रूप में माना जाता है। थलसेना में, कैपिटल अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी पी पी) में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है। डी पी पी का उद्देश्य आंबटिट बजटीय संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा, निर्धारित समय सीमा और मांग की क्षमताओं को मामले में, सशस्त्र बलों को मंजूर की गई आवश्यकताओं के प्रति भंडारों की अधिप्राप्ति को सुनिश्चित करना है। डी पी पी 2008 में अनुबंध को अंतिम रूप देने की समय सीमा 20-34 महीने दी गई है। डी पी पी 2011 में आवश्यकता की स्वीकृति के पश्चात अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए 80-137 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है।

हमने देखा कि 2008-13 (2008-09:01, 2009-10:01 तथा 2011-12:07) की अवधि के दौरान, नौ मर्दों को 'कैपिटल श्रेणी' के तहत अधिप्राप्ति की शुरुआत की गई। इनमें से छ मर्दे आयात से तथा तीन मर्दे स्थानीय व्यापार से शामिल हैं। तथापि हमने, देखा कि इन नौ मामलों के प्रति, 'कैपिटल श्रेणी' में गोला-बारूद की कोई भी खरीद नहीं की गई थी (मार्च 2013)। यह इस तथ्य के बावजूद कि 155 मि. मी. गर्नों के लिए इलैक्ट्रॉनिक फ्यूज के सिवाय सभी मामलों में स्टॉक की उपलब्धता क्रिटिकल स्तर से भी नीचे थी। कुल संस्वीकृत राशि ₹ 10,992 करोड़ के प्रति अनुबंध होने के लिए प्रतीक्षित मामलों का विवरण नीचे तालिका -13 में संक्षेप में दिया गया है:-

तालिका संख्या 13: कैपिटल अधिप्राप्ति के लंबित मामले

क्र.सं.	गोला-बारूद का नाम	ए ओ एन की तिथि @	आर एफ पी के जारी होने की तिथि @@	टी ई सी की तिथि	थलसेना द्वारा विलंब हेतु बताए गए कारण
					वर्तमान स्थिति
1.	न्यू जेन एम्यूनिशन फॉर 84 मि. मी. आर एल के एम के III	फरवरी 2009	दिसम्बर 2011	मार्च 2013	एकल विक्रेता मामला और टी ओ टी
					सी एन सी प्रगति
2.	125 मि. मी. एफ एस ए डी पी एस राउण्डस ए एम के 339 फॉर टी-90 टैक	दिसम्बर 2010	मई 2011	फरवरी 2012	एकल विक्रेता मामला और टी ओ टी
					27/03/2014 को अनुबंध हुआ

क्र.सं.	गोला-बारूद का नाम	ए ओ एन की तिथि @	आर एफ पी के जारी होने की तिथि @@	टी ई सी की तिथि	थलसेना द्वारा विलंब हेतु बताए गए कारण
					वर्तमान स्थिति
3.	हाई जॉन मोड्यूल ऑफ बी एम सी एस 155 मि.मी. गन	अप्रैल 2011	नवम्बर 2011	जुलाई 2012	जी एस क्यू आर को अतिंम रूप देने में विलंब
					30/01/2014 को सी एन सी और सी एफ ए अनुमोदन प्रतीक्षित
4.	एमयूनिशन फॉर 300 मि. मी. स्मर्च एम बी आर एल एस स्मर्च रॉकेट्स	सितम्बर 2011	फरवरी 2012	उपलब्ध नहीं	एकल विक्रेता मामला और जी एस क्यू आर में परिवर्तन
					18/11/2014 को अनुबंध हुआ
5.	टी जी टी एस एम	सितम्बर 2011	अभी जारी करना है	-	एकल विक्रेता मामला और जी एस क्यू आर परिवर्तन
					टी ई सी प्रगति में है।
6.	अपग्रेडेशन ऑफ बी एम पी-2 टू बी एम पी-2 एम	जुलाई 2011	अभी जारी करना है	-	एकल विक्रेता मामला, टी ओ टी और जी एम क्यू आर परिवर्तन
					मामला फॉर क्लोज हो गया
7.	इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज फॉर 105 मि. मी. गन	अक्टूबर 2011	अगस्त 2012	अप्रैल 2013	जी एस क्यू आर परिवर्तन, बोलियों की प्राप्ति में विलंब
					सी एन सी गठित की जा रही है।
8.	इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज फॉर 130 मि. मी. गन	अक्टूबर 2011	अगस्त 2012	अप्रैल 2013	परीक्षण मूल्यांकन प्रगति में है
9.	इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज फॉर 155 मि. मी. गन	अक्टूबर 2011	अगस्त 2012	अप्रैल 2013	पुष्टि परीक्षण किया जाना है।

@ आवश्यकता की स्वीकृति, @@ प्रस्ताव के लिए अनुरोध, #तकनीकी मूल्यांकन समिति।

(स्रोत: डब्ल्यू ई निदेशालय (डब्ल्यू ई -8) का पत्र दिनांक 8 जून 2013 और स्टॉक के लिए ए
आई ए प्रतिवेदन)

नौ मामलों में से केवल दो मामले अर्थात् 125 मि. मी. एफ एस ए पी टी एस और
300 मि. मी. स्मर्च एम बी आर एल एस के लिए गोला-बारूद सी एन सी चरण में
पहुँचे। दो महीने की निर्धारित समय सीमा के प्रति आर एफ पी जारी करने में तीन
महीने से 32 महीने का विलंब था। नौ महीने की निर्धारित समय सीमा के प्रति टी ई

सी के पूरा होने में आठ महीने तक का विलंब था। उपरोक्त मामलों में देरी के कारण (एक या एक से अधिक) नीचे तालिका-14 में दिए गए हैं:

तालिका संख्या 14 : कैपिटल अधिप्राप्ति में विलंब के कारण

क्र.सं.	विलंब के कारण	मामलों की संख्या
1	एकल विक्रेता स्थिति	5
2	प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में जटिलताएं	3
3	जी एस क्यू आर को अंतिम रूप देने में देरी	5
4	बोलियां प्राप्त होने में विलंब	1

80-137 सप्ताहों की निर्धारित अवधि को पालन करने की विफलता ने थलसेना में उपरोक्त गोला-बारूद की तत्काल उपलब्धता को प्रतिकूल प्रभावित किया, जैसा कि तालिका -13 में दिखाया गया है।

3.3.2 राजस्व अधिप्राप्ति

राजस्व व्यय उन मदों पर किया गया खर्च है जो स्केलड हैं और रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डी पी एम) के प्रावधानों का पालन करते हुए, उनकी कमी को पूरा करने के लिए वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा (ए पी आर) के अनुसार खरीदा जाता है।

जबकि मार्ग से ज्यादातर अधिप्राप्ति ए एच क्यु द्वारा ओ एफ बी के से की जाती है (जैसा कि पैरा 3.1 में चर्चा की गई है), अधिप्राप्ति के 35 मामले थे जो लेखापरीक्षा की पाँच वर्षों की अवधि के दौरान आरम्भ की जहाँ एक्स-आयात खरीद की जानी थी। हमने पुनरीक्षण में देखा कि 2008-09 से 2012-13 वर्षों के दौरान ₹ 1364.30 करोड़ मूल्य के 15 मदों के सात आयात अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया। विवरण अनुलग्नक IV में प्रदान किया गया है। अधिकांश मामलों में ओ एफ बी सहित स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध न होने के कारण आयात करना आवश्यक हो गया था।

3.3.2.1 एक्स आयात अनुबंधों को अंतिम रूप देने में विलंब

2008-09 से 2012-13 वर्षों के दौरान एक्स-आयात को राजस्व अधिप्राप्ति के 28 मामलों की चालू अधिप्राप्ति का विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया है।

2008-09 से 2012-13 के दौरान 28 मामलों की वर्ष वार शुरूआत नीचे तालिका-15 में दी गई है:

तालिका संख्या 15 : आयात मामलों की वर्ष वार शुरूआत

वर्ष	मामलों की संख्या
2008-09	06
2009-10	01
2010-11	05
2011-12	08
2012-13	08

डी पी एम 2009 में निहित प्रावधान के अनुसार दो बोली प्रणाली के तहत अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा मामले की शुरूआत होने से 20 से 23 सप्ताह है।

हमने देखा कि 2008-09 से 2012-13 अवधि के दौरान शुरू किए गए मामलों के संबंध में अनुबंधों (मार्च 2013) को अंतिम रूप देने में 13 सप्ताह से 337 सप्ताहों का विलंब था। ये मामले विभिन्न चरणों पर रुके हुए हैं जैसा कि अनुलग्नक -v में दर्शाया गया है।

3.3.2.2 फ्यूज की राजस्व अधिप्राप्ति -प्रकरण अध्ययन

फ्यूज आर्टिलरी गोला-बारूद का दिमाग है। फ्यूज को शैल में असेम्बली/फायरिंग करने से बिल्कुल पहले फिट किया जाता है और मुख्य रूप से आर्टिलरी गोलाबारूद अर्थात्, 105 मि. मी., 120 मि. मी., 130 मि. मी. और 155 मि. मी. कैलिबर के लिए आवश्यक होता है। इसका मुख्य कार्य शैल में भरे हुए विस्फोटक को सुलगाना है। फ्यूज की कमी परिचालन आवश्यकताओं के समय में गोला-बारूद को अनुपयोगी बना देता है। 2012 की अपनी रिपोर्ट में रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने आर्टिलरी गोलाबारूद में फ्यूजों की आवश्यकता की गंभीर समस्या पायी है। पी ए के दौरान हमने यह भी देखा कि विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद में फ्यूजों की स्टॉक स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। ए आई ए के अनुसार 31 मार्च 2013 तक फ्यूजों के संबंध में 89 प्रतिशत की कमी थी, जैसा नीचे दिया गया है:

- गोला-बारूद की उपलब्धता-67.78 लाख राऊंड्स
- फ्यूजों की वास्तविक धारिता -7.76 लाख संख्या
- फ्यूजों की धारिता में कमी -89 प्रतिशत

हमने अधिप्राप्ति में कमियों के कारणों का जिनकी वजह से मर्दों की क्रिटिकल कमी और इसका परिचालन तैयारियों पर क्या प्रभाव था, का विश्लेषण किया। मामला, संक्षेप में इस प्रकार है:

1993 में, मैकेनिकल फ्यूज से इलैक्ट्रॉनिक फ्यूज में बदलने का निर्णय लिया गया। अपेक्षित जी एस क्यू आर बनाने के बाद 1999 से मेसर्स इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड से 105 मि. मी., 130 मि. मी. और 155 मि. मी. गोला-बारूद के लिए इलैक्ट्रॉनिक फ्यूजों को खरीदा गया था।

2008 में, ई सी आई एल ने इलैक्ट्रॉनिक फ्यूज की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और सभी प्रकार के फ्यूज की कमी एक खतरनाक अनुपात पर पहुँच गई। इसी बीच में, आर्टिलरी निदेशालय ने मैकेनिकल फ्यूज को अप्रचलित (ओ बी टी) (मार्च/अप्रैल 2009) घोषित कर दिया और ओ एफ बी से अधिप्राप्ति बंद कर दी जिसके कारण फ्यूज की उपलब्धता में एक बड़ा संकट हो गया। इस प्रकार, यद्यपि 1993 में मैकेनिकल फ्यूज से इलैक्ट्रॉनिक फ्यूज में बदलने का निर्णय लिया गया था, फिर भी मेसर्स ई सी आई एल के सिवाय कोई अन्य स्रोत का विकास नहीं किया गया था।

इलैक्ट्रॉनिक फ्यूज की आपूर्ति के स्रोतों को सुनिश्चित किए बिना, मैकेनिकल फ्यूज को अप्रचलित घोषित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप ओ एफ बी से मैकेनिकल फ्यूज की आपूर्ति बंद हो गई जिसके कारण फ्यूज की कमी हो गई। कमी को दूर करने के लिए ओ बी टी से वर्तमान दर्जा वापस देने के लिए आर्टिलरी निदेशालय ने शस्त्र एवं उपस्कर निदेशालय (डब्ल्यू ई निदेशालय) से संपर्क किया। तदनुसार, डी जी क्यू ए ने मई/जून 2011 में ओ बी टी से वर्तमान का दर्जा दे दिया। ओ एफ बी, में मैकेनिकल फ्यूज के निर्माण के बुनियादी ढांचे को फिर से स्थापित होने पर उत्पादन प्रारंभ कर दिया और 2012-13 में 59,306 मैकेनिकल फ्यूज की आपूर्ति कर दी गई थी।

अध्याय IV : विनिर्माण

लेखा परीक्षा के उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना कि:

- आयुध निर्माणियों ने निर्धारित समय सारणी के अनुसार गोला-बारूद का विनिर्माण और आपूर्ति की।

4.1 सामान्य

आयुध निर्माणियाँ (ओ. एफ) ओ एफ बी के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करते हुए थलसेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गोला-बारूद का विनिर्माण करती हैं। 39 आयुध निर्माणियाँ पाँच उत्पाद आधारित प्रचालन समूहों¹⁴ के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं। गोला-बारूद और विस्फोटक (ए एवं ई) निर्माणियों का समूह 10 आयुध निर्माणियों¹⁵ के नेटवर्क के माध्यम से लघु शस्त्र, वायुयान-रोधी, टैंक रोधी और आर्टिलरी गन, मोर्टार, रॉकेट, माइन, डिमॉलिशन स्टोर्स, मिसाइल, पाइरोटेकनिक्स के साथ-साथ प्रणोदक और विस्फोटकों के लिए गोला-बारूद के उत्पादन में लगा हुआ है।

4.2 उत्पादन योजना

4.2.1 ओ एफ बी में क्षमता की कमी

आयुध निर्माणियों में उत्पादन क्षमताएं रक्षा बलों द्वारा प्रक्षिप्त युद्ध के समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं। आयुध निर्माणियों में क्षमता उपयोग मुख्य रूप से रक्षा बलों की वास्तविक वार्षिक मांग पर निर्भर करता

¹⁴ प्रचालन समूहों और उनकी उत्पादन की बड़ी मुख्य मर्दें:-

- सामग्री और संघटक डिवीजन-कारतूस कैंस, पीतल कप, बैरल फोर्जिंग आदि।
- हथियार, वाहन और उपकरण डिवीजन-शैल बॉडी, बैरल, आयुध, मोर्टार आदि।
- गोला- बारूद एवं विस्फोटक डिवीजन-गोला बारूद, विस्फोटक, कारतूस, शैल, बम आदि की फिलिंग।
- कवचित वाहन यूनिट - टैंक की असेंटिल, ऑप्टिकल उपकरण।
- आयुध उपस्कर ग्रुप - वस्त्र, पैराशूट और विविध मर्दें।

¹⁵ आयुध निर्माणी चंदा (ओ एफ सी एच), आयुध निर्माणी बड़मल (ओ एफ बी एल), आयुध निर्माणी खामरिया (ओ एफ के), आयुध निर्माणी देहू रोड (ओ एफ डी आर), गोला बारूद निर्माणी किरकी (ए एफ के), आयुध निर्माणी वारनगांव (ओ एफ बी), आयुध निर्माणी भंडारा (ओ एफ बी ए), आयुध निर्माणी इटारसी (ओ एफ आई), कोरडाइट निर्माणी अर्स्वांकाडु (सी एफ ए) और उच्च विस्फोटक निर्माणी किरकी (एच ई एफ)

है। जनवरी 2010 से पहले जब रोल ऑन मांगपत्र रोल प्रस्तुत नहीं किया गया था, ओ एफ बी और थलसेना वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले आपसी सहमति से लक्ष्य तय करते थे। जैसाकि पैरा 3.2 में उल्लेखित है, रोल ऑन मांगपत्र आयुध निर्माणियों की बेहतर योजना और क्षमताओं की उपयोगिता के लिए प्रस्तुत किया गया था। हालांकि हमने देखा कि ओ एफ बी में दोनों फिलिंग निर्माणियों तथा फीडर निर्माणियों में क्षमता स्पष्ट रूप से थलसेना की एम ए आर एल आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। ओ एफ की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसकी नीचे चर्चा की गयी है, ए एच क्यू या ओ एफ बी स्तरों पर अब तक (दिसम्बर 2014) कोई ठोस प्रयास नहीं किये गये हैं:

- जनवरी 2010 में थलसेना में पंचवर्षीय रोल-ऑन-मांगपत्र के प्रवर्तन के बाद, थलसेना की 16 प्रकार के गोला-बारूद¹⁶ की मांग में हुई 50 से 100 प्रतिशत की वृद्धि आयुध निर्माणियों की मौजूदा क्षमता द्वारा पूरी नहीं होगी।
- ओ.एफ.बी. द्वारा गठित (अप्रैल 2010) एक सात सदस्यीय समिति¹⁷ ने गोला-बारूद और विस्फोटक दोनों निर्माणियों की मौजूदा क्षमता की समीक्षा के लिए थलसेना की एम ए आर एल की आवश्यकता के संदर्भ में फीडर निर्माणियों की 30 गोला-बारूद मर्दों के लिए क्षमता वृद्धि/नई रचना क्षमता के लिए (दिसम्बर 2010) सिफारिश की। अध्यक्ष/ओ एफ बी ने कुछ संशोधनों के साथ रिपोर्ट को (मार्च 2011) में अनुमोदित किया। हालांकि, रिपोर्ट न तो आयुध निर्माणी बोर्ड के समक्ष रखा गया था और न ही समिति की सिफारिश के अनुसार निर्माणियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी।
- बाद में गोला-बारूद की कमी का एक विस्तृत विश्लेषण के आधार पर डी जी ओ एस ने (जुलाई 2013) अगले पाँच से 10 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में 76 प्रकार के गोला-बारूद (दिसम्बर 2010 में समिति द्वारा पहले से विचारित 30 प्रकार के गोला-बारूद में से 22 सहित) से संबंधित नयी आवश्यकता के लिए क्षमता पैदा करने के लिए अनुरोध किया। तदుसार, ओ. एफ. बी ने ओ.एफ. की क्षमता बढ़ाने से पहले 76 गोला-बारूद की आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए सितम्बर 2013 में डी जी ओ एस के पास प्रस्ताव भेजा, जिसकी (दिसम्बर 2014) तक डी जी ओ एस ने पुष्टि नहीं की थी।

ओ एफ की क्षमता की वृद्धि में विलंब के बारे में लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के उत्तर में, ओ. एफ बी. ने कहा कि (सितम्बर 2013) एक बार दीर्घकालिक आवश्यकता प्राप्त

¹⁶ 155 मि. मी. एम- 107, 130 मि. मी. एफ बी सी एण्ड आर बी सी, 125 मि. मी. एच ई एण्ड एच ई ए टी, 120 मि. मी. एच ई एस एच, एफ एस ए पी डी एस, मोर्टर एच ई, एस एम के पी डब्ल्यू पी, 84 मि. मी. एच ई ए टी, 81 मि. मी. मोर्टर, एच ई, एस एम के पी डब्ल्यू पी, 30 मि. मी. ए पी/टी एण्ड एच ई/आई, चार्ज डिमोलिशन न0, 1 एण्ड बैंगलोर टार्पांडो

¹⁷ श्री बी. एन. सिंह, वरिष्ठ जी एम, गोला-बारूद निर्माणी किरकी की अध्यक्षता में

होने पर क्षमता वृद्धि की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। हालांकि, दिसंबर 2014 तक क्षमता वृद्धि में आगे कोई प्रगति नहीं देखी गई।

हमने देखा कि मंत्रालय ने ओ एफ बी के साथ परामर्श से ओ एफ बी पर दीर्घकालिक मांग के लिए एक पंचवर्षीय रोल-ऑन-मांगपत्र देने के लिए फैसला किया था। लेकिन थलसेना और ओ एफ बी के बीच समन्वित निर्णय की कमी के कारण आयुध निर्माणियों की क्षमता बढ़ाने के लिए थलसेना के 76 प्रकार के गोला-बारूद की दीर्घकालिक आवश्यकता को अंतिम रूप नहीं दिया गया। निर्माणियों की अपर्याप्त क्षमता स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण कारक था जिससे थलसेना की गोला-बारूद की मांगों को पूरा करने के लिए ओ एफ बी की क्षमता पर प्रभाव पड़ा।

4.3 उत्पादन निष्पादन

थलसेना के साथ लक्ष्य निर्धारण बैठक में (2008-09) परस्पर सहमत लक्ष्यों/2009-14 के लिए थलसेना के रोल-ऑन-मांगपत्र के आधार पर ओ एफ बी ने सभी प्रकार के गोला-बारूद के निर्माण के लिए फिलिंग निर्माणियों का वार्षिक लक्ष्य आंबटित किया। फिलिंग निर्माणियों के लिए तय किए गए इन लक्ष्यों के आधार पर, ओ एफ बी ने आवश्यक संघटकों के लिए संघटक बनाने वाली निर्माणियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। फिलिंग निर्माणियों के लिए वित्तीय वर्ष के भीतर थलसेना के लिए अपेक्षित गोला-बारूद उत्पादन लक्ष्य को पूरा करना और जारी करना आवश्यक है।

हमने थलसेना द्वारा 48 प्रकार के चयनित गोला-बारूद के लिए आंबटित उत्पादन लक्ष्य की समीक्षा की और पाया कि 2008-09 से 2013-14 के दौरान गोला-बारूद जिसमें उच्च क्षमता गोला-बारूद¹⁸ शामिल था के 10 से 20 प्रकार के गोला-बारूद के लिए थलसेना द्वारा कोई लक्ष्य नहीं दिया गया था।

लक्ष्यों के गैर-निर्धारण के बारे में लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के उत्तर में, ए एच क्यू ने कहा (सितम्बर 2013) कि इन मर्दों के लिए एक विशेष वर्ष के लिए लक्ष्य नहीं दिया गया था क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। यह तथ्य के बावजूद था कि 10 दिन से कम के लिए उपलब्ध गोला-बारूद के प्रकार की संख्या 170 प्रकार के गोला-बारूद के प्रति 85 थी यानि 50 प्रतिशत थी (मार्च 2013), जैसा कि पैराग्राफ 2.3.2 में वर्णित है।

हमने उत्पादन लक्ष्यों के प्रति शेष (28 से 38) प्रकार के गोला-बारूद के लिए थलसेना को गोला-बारूद जारी करने की जाँच की और पाया कि के 15 से 27 प्रकार

¹⁸ उच्च क्षमता गोला बारूद जैसे 130 मि. मी. एफ बी सी, 125 मि. मी. एच ई ए टी, 120 मि. मी. एच ई एस एच, एफ एस ए पी डी एस मोर्टार, एच ई, स्मोक पी डब्ल्यू पी, 105 मि. मी. टी के एफ एस ए पी डी एस/टी, आई एफ जी एच ई एस एच, स्मोक (रेड), आई एफ जी एस/चार्ज, 81 मि. मी. स्मोक पी डब्ल्यू पी आदि।

के गोला-बारूद के जारी करने में वार्षिक कमी थी (अनुलग्नक-VI)। गोला-बारूद को जारी करने में वार्षिक स्लिपेज तालिका-16 में वर्णित है।

तालिका संख्या 16: चयनित गोला-बारूद का उत्पादन/जारी करने में कमी का विश्लेषण

वर्ष	गोला-बारूद की संख्या				
	विश्लेषित	जिसके लिए थलसेना ने लक्ष्य आबंटित किया	जिसके लिए थलसेना की मांग पूरी नहीं हुई	स्लिपेज की प्रतिशतता (कॉलम 4/3)*100	50 प्रतिशत से अधिक की कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2008-09	48	28	15	54	4
2009-10	48	34	20	59	9
2010-11	48	37	27	73	11
2011-12	48	37	25	68	8
2012-13	48	38	26	69	10

(स्रोत: रोल-ऑन-मांगपत्र, उत्पादन निष्पादन रिपोर्ट और वार्षिक लेखे)

इस तालिका से देखा जा सकता है कि 2008-13 के दौरान थलसेना की मांग 54 से 73 प्रतिशत प्रकार के गोला-बारूद के संबंध में पूरी नहीं हुई। इसके अलावा, 50 प्रतिशत से अधिक की कमी, जो 100 प्रतिशत तक भी बढ़ी, चार से 11 प्रकार के गोला-बारूद में पाई गई।

4.4 स्लिपेज के कारक

❖ क्षमता से अधिक तय लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि

हमने देखा कि ओ एफ बी ने 2008-13 के दौरान क्षमता से अधिक 21 प्रकार के गोला-बारूद के लिए लक्ष्यों को स्वीकार कर लिया। हालांकि आयुध निर्माणियों ने इसी अवधि के दौरान 37 मामलों में 18 प्रकार के गोला-बारूद के लिए थलसेना की मांगों को पूरा नहीं किया।

❖ व्यापार स्रोतों से खरीद में विफलता

ओ एफ बी ने अगस्त 2013 में कहा कि उसने व्यापार स्रोतों (स्वदेशी और आयातित) से उत्पाद समर्थन की प्रत्याशा में कुछ गोला-बारूद मदों के उच्च लक्ष्य को स्वीकार किया, परंतु ओ एफ बी द्वारा दिए गए निम्न कारणों की वजह से लक्ष्य पूरा नहीं हुआ:

- मंत्रालय द्वारा कुछ विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध;
- विदेशी विक्रेताओं से सामग्री की विलंब से प्राप्ति;

- मंत्रालय में खरीद के फैसले को अंतिम रूप न देना/अंतिम रूप देने में विलंब;
- एकल विक्रेता स्थिति और कीमतों में वृद्धि की वजह से ओ एफ वी और निर्माणियों द्वारा खरीद का अंतिम रूप न देना; और
- डी आर डी ओ द्वारा कुछ विकास मर्दों का अंतिम रूप देने में देरी।

❖ फीडर निर्माणियों से कम आपूर्ति

हमने पाया कि 15 से 27 प्रकार के गोला-बारूद (तालिका 17 में देखें) के संबंध में उत्पादन में स्लिपेज मुख्य रूप से फीडर निर्माणियों द्वारा घटकों की कम आपूर्ति की वजह था। नौ गोला-बारूद¹⁹ के मामलों में, फीडर निर्माणियों के पास फिलिंग निर्माणियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिलान क्षमता या खाली शैल, फ्लूज और प्रणोदक या कारतूस केस नहीं थीं। विवरण अनुलग्नक - VII के आधार पर नीचे दी गई तालिका- 17 में दिए गए हैं:

तालिका संख्या 17: फिलिंग और संघटक बनाने की निर्माणियों के बीच क्षमताओं में बेमेल

गोला-बारूद का प्रकार	फिलिंग क्षमता (संख्या)	घटक विनिर्माण क्षमता (संख्या)			
		खाली शैल	फ्लूज	प्रणोदक	कारतूस केस
155 मि. मी. एम 107	40,000	20,000	क्षमता का पता नहीं	40,000	आवश्यक नहीं
130 मि. मी. एफ वी सी एण्ड आर वी सी	1,00,000	1,20,000	50,000	1,00,000	1,68,000
125 मि. मी. एच ई	50,000	70,000	80,000	शून्य	45,000
125 मि. मी. एच ई ए टी	30,000	20,000	20,000	शून्य	20,000
125 मि. मी. एफ एस ए पी डी एस	50,000	30,000	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	30,000
81 मि. मी. मोर्टार एच ई	5,50,000	3,90,000	4,20,000	शून्य	आवश्यक नहीं
81 मि. मी. एस एम के पी डब्लू पी	1,00,000	75,000	1,00,000	एन ए	आवश्यक नहीं
84 मि. मी. एच ई ए टी	30,000	शून्य	30,000	शून्य	77,000

(स्रोत : अनुलग्नक VII)

¹⁹ 155 मि. मी. एम- 107, 130 मि. मी. एफ वी सी एण्ड आर वी सी, 125 मि. मी. एच ई, एच ई एटी एण्ड एफ एस ए पी डी एस, 84 मि. मी. एच ई ए टी, 81 मि. मी. एम ओ आर एच ई एण्ड एस एम के पी डब्ल्यू पी.

4.5 निगरानी

गोला बारूद और संघटकों का कुशल उत्पादन बड़े पैमाने पर निर्माणियों और ओ एफ बी के स्तर पर निगरानी पर निर्भर करता है। ओ एफ बी ने उत्पादन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए निर्माणियों के स्तर पर सासाहिक/मासिक उत्पादन की समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए एक प्रणाली बनाई। ओ एफ बी प्रचालन समूहों के सदस्यों के स्तर पर निर्माणियों द्वारा भेजी गई मासिक उत्पादन निष्पादन रिपोर्टों की समीक्षा भी करता है।

हमने संघटक बनाने और फिलिंग क्षमताओं का बेमेल, संघटकों की आपूर्ति और सभी प्रकार के गोला बारूद में कमी और उत्पादन लक्ष्यों के संदर्भ में ओ एफ बी और निर्माणियों के स्तर पर उत्पादन समीक्षा बैठकों में ठीक से संबोधित नहीं करने की कमियां पायीं। इसके अलावा, 2008-13 के दौरान हुई बोर्ड की 60 बैठकों में किसी में भी संघटक बनाने वाली और फिलिंग निर्माणियों की क्षमता की वृद्धि करने में विचार-विमर्श नहीं किया गया अथवा थलसेना की माँग के अनुसार थलसेना के लिए गोला-बारूद की आपूर्ति में कमियों को ठीक करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की सिफारिश नहीं की।

अध्याय V: गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आशासन

लेखापरीक्षा का उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना कि:


- आयुध निर्माणियों ने थलसेना को विभिन्न गोलाबारूदों की आपूर्ति डी जी क्यू ए के विनिर्देशन के अनुसार गुणवत्ता की मांग के अनुरूप की थी।

5.1 गुणवत्ता नियंत्रण एवं आशासन ढांचा

गोलाबारूद पर गुणवत्ता आशासन एक बहु-स्तरीय नियंत्रण ढांचे जो कि वरिष्ठ महाप्रबंधक/महाप्रबंधक कि अध्यक्षता में आयुध निर्माणियों के गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग (क्यू सी) व डी जी क्यू ए के तहत गुणवत्ता आशासन नियंत्रणालय (आर्ममेंट) (सी क्यू ए (ए)) के प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है, में प्रदान किया जाता है। निर्माणी का क्यू सी अनुभाग विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान नामित नियंत्रण बिन्दुओं पर जाँच करता है, प्राप्ति पर घटकों का निरीक्षण एवं उन्हें स्वीकार करता है; और अन्त में तैयार उत्पादों की 100 प्रतिशत जांच करता है। सी क्यू ए का प्रत्येक निर्माणी में वरिष्ठ गुणवत्ता आशासन स्थापनाओं के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो गुणवत्ता आशासन (क्यू ए) प्रदान करता है, उत्पादों को या तो अस्वीकार करता है या जारी करने की घोषणा करता है। गतिविधियों एवं जिम्मेदार एजेंसी का फलो चार्ट नीचे दिए गए चार्ट संख्या 3 में दिखाया गया है:

चार्ट संख्या 3

आयुध निर्माणियों में गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का फलो चार्ट



(स्रोत: (1) स्थायी आदेश (डी जी क्यू ए संगठन का तकनीकी)

(2) मंत्रालय का परिपत्र संख्या 16 (2)/04/डी (क्यू ए) दिनांक 15.06.2005)

परिशोधन हेतु वापसी (आर एफ आर)

डी जी क्यू ए के अनुदेशों (दिसम्बर 2010) में प्रावधान है कि, चूंकि गुणवत्ता विनिर्माता की जिम्मेदारी होती है, मानक गुणवत्ता प्रबंधन की पद्धति के अनुसार, सभी क्यू सी गतिविधियाँ 100 प्रतिशत के आधार पर विनिर्माता द्वारा की जानी चाहिएं जो उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ, गैर-अनुरूप उत्पादों को साफ करने में मदद करती है। 100 प्रतिशत निरीक्षण में सामान्यतया गुणवत्ता मांग अनुसार जाँच किए जाने हेतु 100 प्रतिशत मापदण्डों के लिए एक बैच/लॉट में प्रत्येक मद सम्मिलित की जाएगी। फलस्वरूप, ऐसे सभी क्यू सी गतिविधियों के सफल समापन के आधार पर, विनिर्माता को ऐसे सभी सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ एक गुणवत्ता अनुरूपता प्रमाण पत्र जैसे की जाँच रिपोर्ट, एस क्यू ए ई को प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुदेशों में यह भी प्रावधान है कि अंतिम मंजूरी के लिए केवल दो विकल्प रहते हैं, एस क्यू ए ई द्वारा उत्पाद की स्वीकृति या अस्वीकृति। यहाँ अनिवार्य रूप से आर एफ आर का तीसरा विकल्प हटा दिया गया है जिसके द्वारा निर्माणी को त्रुटियों को

सुधारने एवं एस क्यू ए ई द्वारा निरीक्षण के लिए फिर से इसे प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो जाता है। जुलाई 2011 में मंत्रालय, ओ एफ बी और डी जी क्यू ए की एक संयुक्त बैठक में इस मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अनुदेश लागू रहेंगे। तर्क यह था कि डी जी क्यू ए केवल एक नमूने के निरीक्षण के आधार पर अन्तिम मंजूरी प्रदान करता है और यह निर्माणी क्यू सी के लिए था, जो 100 प्रतिशत जाँच करती है, कि एक उत्पाद को आर एफ आर के लिए उत्पादन शॉप को वापस करे।

इसके अलावा हमने देखा कि एस क्यू ए ई ने आर एफ आर के तहत घटकों को अस्वीकृत करना जारी रखा। 2008-13 के दौरान 123 उदाहरणों में से 71 में, आर एफ आर की प्रतिशतता गोलाबारूद के कई प्रकारों में 20 से 100 प्रतिशत तक ऊँची थी। नीचे दी गई तालिका -18 ऐसे उदाहरण बताती है जिनमें आर एफ आर वर्ष के दौरान निरीक्षित गोलाबारूद की 20 से 100 प्रतिशत थी। आर एफ आर के तहत घटकों को अस्वीकृत किए जाने के कारणों में से कुछ (I) प्रणोदक का रिसाव, (II) ड्राइविंग बैंड (जहाँ भरने के उपरान्त गोला दांगा जाता है) का घूर्णन न करना (III) अनुचित कोटिंग (फास्पेटिंग) (IV) गोले की काया में कैविटिज या अतिरिक्त वार्निश या खरोंच या गोले पर कई जगहों पर गढ़े होने जैसे गढाई की त्रुटियां (V) जैसे कि गोले की उंचाई एवं लम्बाई में आयामी विचलन, टैल पिन की मोटाई विनिर्दिष्ट मोटाई से ज्यादा होना, इत्यादि थे। स्पष्टतया इन दोषों को विशेषतः गोले की काया में अपूर्णताएं अथवा आयामी विचलन आदि का क्यू सी द्वारा निरीक्षण में पूर्णतया पता लगाया जाना चाहिए था। यह तथ्य कि इन संघटकों को क्यू ए अवस्ता आर एफ आर घोषित कर दिया था इस बात की ओर इशारा करता है कि निर्माणी क्यू सी में कमियां थीं एस क्यू ए ई अपनी मेन्डेट के साथ समझोता कर रहा था।

तालिका-18 संघटकों के आर एफ आर की उच्च प्रतिशतता

क्रम सं	निर्माणी	गोलाबारूद/संघटक	2008-09 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)	2009-10 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)	2010-11 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)	2011-12 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)	2012-13 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)
1	ओ. एफ. अम्बाझारी	(यू.ए. 670 एम)	42914 10696 (25)	-	21360 10656 (50)	-	-
2	-वही-	प्राईमर जी यू वी 7	10255 2051 (20)	14357 10255 (71)	47173 16403 (35)	-	-
3	-वही-	गोला 105 एम एम आई एफ जी एच ई	32670 7050 (22)	53660 13580 (38)	500 500 (100)	1510 500 (33)	-

क्रम सं	निर्माणी	गोलाबारूद/संघटक	2008-09 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)	2009-10 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)	2010-11 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)	2011-12 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)	2012-13 निरीक्षित मात्रा आर एफ आर मात्रा (आर एफ आर की प्रतिशतता)
4	-वही-	गोला 125 एम एम एच. ई.	46622 17734 (38)	47048 16634 (35)	49671 30333 (61)	40020 11104 (28)	-
5	ओ. एफ. कानपुर	गोला 130 एम एम एच. ई.	18000 8000 (44)	20000 10000 (50)	32000 16000 (50)	60000 30000 (50)	-
6	-वही-	गोला 125 एम एम एच. ई. -	-	-	16400 6200 (38)	24000 12000 (50)	-
7	-वही-	गोला 120 एम एम टी. के. एच. ई. एस. एच	-	-	17000 9500 (56)	8000 40009 (50)	-
8	-वही-	गोला 105 एम. एम. टी. के. एच. ई. एस. एच.	-	24000 12000 (50)	-	-	-
9	-वही-	गोला 105 एम एम ई. एफ. जी. एच. ई.	256000 82000 (32)	260000 124000 (48)	220000 104000 (47)	196000 108000 (55)	-
10	जी. एस. एफ. कोलकाता	बम्ब 81 एम. एम. मोटार सी...	-	12078 6039 (50)	-	40260 8052 (20)	46299 21143 46
11	-वही-	फ्लूज डी. ए. एस. ए. (51 एम. एम. एच. ई.)	51324 30707 (60)	49244 24587 (50)	-	54711 14375 (26)	48744 18429 (38)
12	-वही-	गोला 40 एम. एम. एच. ई./टी.	21052 15036 (71)	3008 3008 (100)	75174 21032 (28)	39104 15040 (38)	24068 18048 (75)
13	-वही-	फ्लूज ए 670 एम (30 एम. एम. एचई/आई)	77000 35578 (46)	76290 40770 (53)	-	45949 15000 (33)	75482 50669 (67)

(स्रोत: सी क्यू ए (ए) किरकी, ओ एफ अम्बाइज़री, जी एस एफ कोलकाता, एस क्यू ए ई (ए)
कानपुर के पत्र)

5.2 भरे गोलाबारूद एवं संघटकों की अस्वीकृति

हमने देखा कि 2008-13 की अवधि के दौरान, 205 उदाहरणों में से 43 में एस क्यू ए ई ने भरे गोलाबारूद/संघटक स्वीकृत किए जो कि ₹234 करोड़ के थे, जो इस अवधि के दौरान जारी किये गये गोलाबारूद का लगभग 2 प्रतिशत था। कुल

अस्वीकृत के उच्चतम उदाहरणों के 93 प्रतिशत उदाहरण आयुध निर्माणी चन्दा (ओ एफ सी एच) एवं आयुध निर्माणी बड़मल (ओ एफ बी एल) से थे। तालिका-19 समीक्षा अवधि के दौरान सामने आये ₹ 10 करोड़ से अधिक की अस्वीकृति के उदाहरण दर्शाती हैं।

तालिका संख्या-19: भरे गोलाबारूद/संघटकों की प्रमुख अन्तिम अस्वीकृतियाँ

क्रम संख्या	गोलाबारूद	निर्माणी	अस्वीकृत मात्रा	अस्वीकृति का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	155 एम एम ई आर एफ बी बी बी के बी बी यू	ओ. एफ. चन्दा	22363	60
2	155 एम एम ई आर एफ बी गोला	ओ. एफ. चन्दा	3797	25
3	155 एम एम, एच ई ई आर एफ बी (बी टी) गोला	ओ. एफ. बड़मल	6000	24
4	130 एम. एम. आर बी. सी. गोला	ओ. एफ. चन्दा	6000	24
5	81 एम. एम. एच. ई. बम	ओ. एफ. चन्दा	40221	25
6	81 एम. एम. पी. डब्ल्यू पी बम	ओ. एफ. चन्दा	24060	14
7	फ्यूज बी 429 (भरा)	ओ. एफ. चन्दा	18952	12
	कुल			184

(स्रोत: अनुलग्नक-VIII)

इसके अतिरिक्त एस क्यू ए ई ने 2008-13 के दौरान तीन संघटक बनाने वाली निर्माणियाँ (ओ एफ ए जे, ओ एफ सी एवं जी एस एफ) द्वारा विनिर्मित ₹ 94 करोड़ के गोलाबारूद के खाली संघटकों को भी अस्वीकृत कर दिया। अस्वीकरण इसी अवधि के दौरान निर्माणियाँ में हूँ इन संघटकों के उत्पादन का सात प्रतिशत थे। उच्च मूल्य अस्वीकरणों में से कुछ नीचे तालिका-20 में संक्षेप में दर्शाये गये हैं।

तालिका संख्या 20 : गुणवत्ता आशासन द्वारा उच्च मूल्य के गोला-बारूद संघटकों का अस्वीकरण

गोलाबारूद घटक	आयुध निर्माण	अस्वीकृति का मूल्य (₹ करोड़ में)	अस्वीकृति का कारण
खाली फ्यूज ए 670 एम खाली फ्यूज बी 429	ओ एफ ए जे जी एस एफ ओ एफ ए. जे	6.83 6.61 3.20	फ्यूज का अपरिपक्व एवं अप्रकार्यात्मक होना ब्लाइंड होना, गैर/मिसफायर होना
टेल यूनिट 1 ए टेल यूनिट 2 ए	ओ एफ ए जे ओ एफ सी	3.32 4.17	टेल यूनिट के संबंध में ब्लाइंड एवं मानक विचलन का उच्च होना
30 एम एम ए पी/टी खाली गोला	जी एस एफ	3.41	खाली गोले के संबंध में सीमा से परे ऊर्ध्वोघर एवं पार्श्व छितरान होना
155 एम एम एच ई ई आर एफ बी (बी बी) खाली गोला	ओ एफ ए जे	20.08	खाली गोला के संबंध में ड्राइविंग बैंड तथा नब के ऊपर काया पर लैंड एनग्रेविंग होना,
	कुल	47.62	


(स्रोत: अनुलग्नक-LX)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 155 एम एम एच ई ई आर एफ बी (बी. बी) खाली गोले में काया पर लैंड एनग्रेविंग होना एक दोष है जिसका निर्माणी क्यू सी द्वारा दृश्य निरीक्षण में पता लगाया जा सकता था। इसका क्यू सी अवस्था में पता न लगाया जा सकना निर्माणी क्यू सी में समझौते की और इंगित करता है।

5.2.1 अस्वीकरणों/दोषों की जाँच-पड़ताल

मार्च 2007 में मंत्रालय (डी. जी. क्यू. ए.) द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अस्वीकरण/दोषों की जाँच पड़ताल को तीन महीने के अन्दर पूरा किया जाना आवश्यक है। जाँच-पड़ताल के घोषित उद्देश्य मूल कारणों की पहचान करना था जिससे उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा सके हैं। लेकिन निर्माणी में जाँच में लगा अत्याधिक समय, निर्माणी को समय पर सुधारात्मक उपायों हेतु प्रतिपुष्टि से वंचित करता है, जिससे अस्वीकरण की पुनरावृत्ति होती है। विलम्ब से अनायास ही गलत संदेश भी जाता है कि ओ. एफ. बी. में अस्वीकरण को गंभीरता से नहीं लिया जाता है।

उदाहरण के लिए 2008-13 के दौरान आयुध निर्माणी बड़मल में निर्मित ₹ 60 करोड़ मूल्य के 155 एम एम²⁰ गोलाबारूद के प्रणोदक एवं ओ एफ सी एच व ए एफ के में उत्पादित ₹ 39 करोड़ मूल्य के 81 एम एम बम²¹ के प्रूफ अस्वीकृत किये गये। ये अस्वीकरण अभी भी निर्माणियों तथा एस क्यू ए ई द्वारा (जनवरी 2015) संयुक्त जाँच के तहत थे। जैसा अनुलग्नक-VIII में वर्णित है विलम्ब के कारण बार-बार अस्वीकरण हुए।



संक्षारण के कारण अस्वीकृत 155 मि.मी. गोला-बारूद

अस्वीकरण अनेक कारणों से थे जिनमें, गोलाबारूद द्वारा अपेक्षित रेज कवर न कर पाना, संघटकों का अप्रकार्यात्मक/अप्रक्रियात्मक होना, कुछ गुणवत्ता प्राचलों पर विनिर्दिष्ट से अधिक मानक विचलन, आंशिक/कम दर्जे के प्रस्फोटन को सम्मिलित

²⁰155 एम. एम. ई. आर. एफ. बी. बी.- बढाई गई रेज फुल बोर-बेस ब्लीड

²¹एच. ई. और पी. डब्ल्यू. पी. -की उच्च विस्फोटक एवं प्लास्टिकृत सफेद फास्फोरस 81 एम एम बम

करते हुए फ्यूज में दोष, इलुमिनेटिंग गोलाबारूद की पैराशूट का नहीं खुलना सम्मिलित थे।

अभिलेखों की संविक्षा से मालूम हुआ कि अस्वीकरण कभी-कभी प्रक्रिया में किए गए समझौतों के कारण भी हुऐ थे। हमनें देखा कि ओ एफ बी एल ने तीन खाली लोट्स में से दो में बिना निरीक्षण नोट/क्यू ए प्रमाण-पत्र (क्यू ए सी) प्राप्ति के खाली गोले (105 एम एम आई एफ जी एच ई)²² के चार लोट्स को स्वीकृत किये तथा भरे। गोलाबारूद के प्रमाण परीक्षण (जनवरी 2010 से जनवरी 2011) के दौरान ये चार लोट्स (8,000 भरे गोले) के साथ गन की नाल दुटने के कारण दुर्घटनाएं हुई। परिणामस्वरूप, ₹ 8 करोड़ मूल्य के 8,000 भरे गोले अस्वीकृत²³ कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा टिप्पणी (23 मई 2013) के जवाब में ओ एफ बी एल में कहा (जून 2013) कि खाली गोले कभी-कभी श्रमशक्ति के लाभकारी उपयोग के लिए सिस्टर निर्माणीयों से निरीक्षण नोट्स तथा क्यू ए सी की प्राप्ति के बिना उपयोग में लाए गए थे। यह उत्तर निर्धारित गुणवत्ता प्रतिमान के उल्लंघन को स्वीकार करता है जो अततः गोले की अस्वीकृति का कारण बना।

5.2.2 अस्वीकृत गोलाबारूद

हमनें पाया कि 31 मार्च 2013 को ₹ 1617.94 करोड़ मूल्य के 13 प्रकार के गोलाबारूद 856 लोट्स में विनिर्माण दोषों के कारण अस्वीकृत पड़े थे, जिसमें से 632 लोट्स पाँच वर्ष से अधिक के थे। अस्वीकृत गोलाबारूद का व्यौरा नीचे तालिका 21 में दिया गया है।

तालिका 21: विनिर्माण दोषों के कारण डिपुओं में पड़े अस्वीकृत गोलाबारूद का व्यौरा

क्रम सं.	नाम	मात्रा (संख्या)	मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	5.56 मि.मी. आई एन एस ए एस	190000	34.02
2.	फ्यूज 162 एम के 8 एवं 9	242943	29.50
3.	फ्यूज 117 एम के 20	733667	825.71
4.	14.5 मि. मी.एपीआई/एपीआईटी	263695	12.58
5.	इगनाईटर सेट 4 सैंकेंड विलम्ब	30396	1.54
6.	आर डी 23 मि.मी.	13036	4.46
7.	40 मि.मी. एल/70	14000	5.57

²²भारतीय फील्ड गन 105 एम एम के लिए उच्च विस्फोटक गोलाबारूद

²³लोट्स की विफलता के कारण जाँच करने के लिए एक टास्क फोर्स का (जनवरी 2011) गठन किया गया। लेकिन टास्क फोर्स ने हथियार, धातुक्रमिंय, प्रणोदक एवं प्रमाण पहलुओं को दुर्घटना के किसी भी सम्मानित कारणों होने की संभावना से इनकार कर दिया (अक्तुबर 2012)। तथापि उन्होंने दुर्घटना का संभावित कारण खाली गोले में जंग लगने के साथ-साथ खराब/अनुचित गांठ पड़ना बताया जिससे प्रोजेक्टाईल के गति में होने के दौरान ड्राईविंग बैंड उछड़ सकता है तथा दुर्घटना हो सकती है।

क्रम सं.	नाम	मात्रा (संख्या)	मूल्य (₹ करोड़ में)
8.	125 मि.मी. एचई/एचईएटी	1754	8.34
9.	125 मि.मी. एफएसएपीडीएस/टी	82000	590
10.	कार्टरिज 130 मि.मी. आरवीसी/ एफवीसी	6575	30.73
11.	आरडी 130 मि.मी. एचई	2899	14.10
12.	माईन ए/टीके एनडी	102805	47.29
13.	कार्टरिज 105 मि.मी. आईएफजी एन/चार्ज	14905	14.10
		योग	1617.94

(स्रोत: ए एच क्यू द्वारा प्रेषित व्यौरे)

हमनें उनके जारी करने से पहले किए गए गुणवत्ता नियंत्रण एवं आशासन के बाद भी हुए अस्वीकरण के कारणों को मालूम करने के लिए कुछ मामलों का विश्लेषण किया। इन पर नीचे चर्चा की गई है:

125 एम एच ई 1 ए गोला

ओ एफ बी एल ने 2011-12 के दौरान थल सेना को गोलाबारूद के पाँच लोट्स जारी किए जिनमें ओ एफ कटनी द्वारा आपूरित आब्चुरेटिंग बैंड तथा ट्रेड फर्म द्वारा आपूरित पैंट का उपयोग किया गया था। गोले के बाद के तीन बैचों के निरीक्षण के दौरान एस क्यू ए ई. अम्बाझरी ने पाया (फरवरी 2013) कि आब्चुरेटिंग बैंड सामग्री दोषपूर्ण थी तथा पैंट आवश्यकता के अनुरूप नहीं था फलस्वरूप ₹ 75 करोड़ मूल्य के तैयार 125 एम एच ई 1 ए गोलाबारूद के आठ लोट्स को अस्वीकृत कर दिया गया।



125 मि.मी. एच ई 1 ए

125 एम एच ई/एच ई ए टी गोलाबारूद

सी क्यू ए किरकी ने फरवरी 2012 में पाया कि गोलाबारूद के निर्माण हेतु दिसम्बर 2011 में मैसर्से रोजोबोरोनएक्सपोर्ट से आयातित गोंद निम्न ग्रेड का था। हालांकि ओ एफ बी एल ने उसी गोंद का प्रयोग करते हुए गोलाबारूद का निर्माण करना तथा सेना जारी करना लगातार जारी रखा। 2012-13 में उक्त गोंद के उपयोग से निर्मित गोलाबारूद के 16 लोट्स सेना को आपूरित किए गये। अगस्त/सितम्बर 2012 में थल सेना ने ₹ 157 करोड़ मूल्य के 16 लोट्स को पृथक करने के निर्देश जारी किये जो कि डिपो में पड़े हुए हैं।

105 एम एम आई एफ जी एन सी गोलाबारूद

₹ 17.28 करोड़ मूल्य के 19639 105 एम एम आई एफ जी एन सी गोलाबारूद प्रासि निरीक्षण के दौरान पाये गये काले दाग/धब्बों के कारण विभिन्न थलसेना डिपुओं में पृथक्कृत स्थिति में पड़े थे। गोलाबारूद का विनिर्माण ओ एफ सी एच और ओ एफ बड़मल द्वारा किया गया था। कारणों की जाँच हेतु सितम्बर 2012 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत की जानी थी।



105 मि.मी. आई एफ जी एन सी में काले धब्बे

फ्यूज-117

नवंबर 2008 से पहले ओ एफ चन्दा द्वारा आपूरित 7,33,000 फ्यूज-117 मई 2011 में उपयोगकर्ताओं द्वारा त्रुटियां देखे जाने के उपरान्त उपयोग में नहीं लाए जा सके। 132338 फ्यूजों के पुनर्मूल्यन के दौरान, 41 फ्यूज अस्वीकृत कर दिए गए। अस्वीकृत फ्यूजों के कारण आपरेशन/प्रशिक्षण के दौरान घातक दुर्घटनाएं हो सकती थी। छ: लाख फ्यूजों का पुनर्मूल्यन किए जाने तक ₹ 924 करोड़ मूल्य के छ: लाख गोले परिचालनात्मक उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लाये जा सके।

5.2.3 शेल्फ लाईफ के अन्दर गोलाबारूद का अवश्रेणीकरण

हर प्रकार के गोलाबारूद की अपनी एक निर्धारित शेल्फ लाईफ होती है। यदि गोलाबारूद दोषपूर्ण पाया जाता है और इसको शैल्फ लाईफ के अन्दर अवश्रेणीकृत कर दिया जाता है तो ओ एफ बी दोषों को दूर करने या वारण्टी/गारण्टी खंड के अंतर्गत अवश्रेणीकृत गोला-बारूद को निःशुल्क बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रतिस्थापित गोलाबारूद के लिए परिवहन लागत को भी ओ एफ बी द्वारा वहन किया जाएगा।

हमनें सितम्बर 2013 में देखा कि डी जी ओ एस. शेल्फ लाईफ के अन्दर ₹ 814 करोड़ मूल्य के अवश्रेणीकृत गोला-बारूद के निःशुल्क प्रतिस्थापन हेतु ओ एफ बी के साथ सम्पर्क बनाए हुए था। डी जी ओ एस ने भी इस बात पर जोर दिया था कि गैर सेवा योग्य गोला-बारूद खराब होता जा रहा था और विभिन्न डिपुओं के लिए एक सम्भावित अग्नि जोखिम था। मामले को दिसम्बर 2007 और फरवरी 2012 के मध्य बार-बार दोहराया गया था तथा ओ एफ बी ने (नवम्बर 2014) ₹ 2.44 करोड़ के कुल अवश्रेणीकृत गोला-बारूद के प्रति ₹ 18.78 लाख के केवल एक गोला-बारूद

(5.56 मि.मी.) को ही निःशुल्क बदला। शेष गोला-बारूद का निःशुल्क प्रतिस्थापन किया जाना अभी तक (सितम्बर 2013) शेष था।

तथ्य इस प्रकार यह है कि शेल्फ लाईफ के अन्दर गोलाबारूद को अवश्रेणीकृत करने से राज्य को हानि होती है और इसके निःशुल्क प्रतिस्थापन में अत्याधिक विलंब से सेना की सामरिक तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

अध्याय VI: आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एवं डिपो क्रियाकलाप

लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह पता लगाना कि:

- एक दक्ष, प्रभावी तथा मितव्ययी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विद्यमान है।

6.1 सामान्य

गोला-बारूद सूची के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ओ एफ बी, आयात, सी एडी पुलगांव पर व्यापार तथा पी एस यू जैसी विभिन्न आपूर्ति एजेंसियों से गोला-बारूद मर्दाँ की प्राप्ति, विभिन्न एडीज़/एफएडीज़ तथा मंडल आयुध इकाईयों (डीओयूज) ²⁴ को उनका वितरण तथा परिचालनात्मक तथा प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए निर्भर इकाईयों को उनका वितरण शामिल है। अधिकतर गोला-बारूद का उनके अन्तिम उपयोग से काफी समय पहले उत्पादन किया जाता है, अतः गोला-बारूद का भण्डारण एक महत्वपूर्ण संभारतंत्र विचार है। गोला-बारूद का वह स्टॉक जो अप्रचलित घोषित कर दिया गया है, अथवा वह जो खराब हो गया है तथा जिसे नष्ट करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, उसे निपटान के माध्यम से यथाशीघ्र प्रणाली से हटा दिया जाना चाहिए।

6.2 गोला-बारूद की उपयोज्यता की स्थिति

पुनरीक्षण के दौरान हमने देखा कि विभिन्न गोला-बारूद डिपुओं में काफी मात्रा में गोला-बारूद, पृथक्कृत तथा अनुपयोज्य स्थिति में पड़ी हुई थी। 31 मार्च 2013 को विभिन्न स्थितियों में थलसेना के पास गोला-बारूद की कुल उपलब्धता नीचे तालिका-22 में दर्शाई गई है:

तालिका सं. 22 : 31 मार्च 2013 को गोला-बारूद की उपलब्धता

श्रेणी	मे.ट. में मात्रा	कुल मात्रा की प्रतिशतता
उपयोज्य	3,40,693	82.57
पृथक्कृत	28,771	6.97

²⁴ एक छोटे गोला-बारूद डिपो/इकाई से संबद्ध गोला-बारूद स्थानों को नियंत्रित करने के लिए एक आयुध इकाई।

श्रेणी	मे.ट. में मात्रा	कुल मात्रा की प्रतिशतता
मरम्मत योग्य मुख्य	30,862	7.48
अप्रचलित	27	0.007
पुराना	141	0.034
अनुपयोज्य	12,080	2.93
कुल	4,12,574	-

(स्रोत: डीजीओएस (ओएस-6 ए पत्र दिनांक 5 सितम्बर 2013)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 31 मार्च 2013 को थलसेना के पास पड़े 4,12,574 मे.ट. गोला-बारूद में से 71,881 मे.ट.(17.5 प्रतिशत) या तो “अनुपयोज्य”, “पृथक्कृत”²⁵ अथवा “मरम्मत-योग्य प्रमुख”²⁶ श्रेणी में थे। हमने यह भी पाया कि ए एच क्यू द्वारा पिछले वर्ष के लिए श्रेणी-वार आंकड़ों और न ही पृथक्कृत/मरम्मत-योग्य गोला-बारूद के किन्हीं आयु-वार आंकड़ों का अनुरक्षण किया गया था। इन आंकड़ों का अभाव पृथक्कृत/मरम्मत योग्य गोला-बारूद के उपचार/सेंटेन्सिंग के प्रति एचक्यू की उदासीनता का सूचक था।

6.2.1 पृथक्कृत गोला-बारूद

दोषपूर्ण गोला-बारूद, दोषपूर्ण शस्त्र, दोषपूर्ण ड्रिलों आदि के कारण होने वाले किसी दोष/दुर्घटना के बाद, सभी की सुरक्षा के लिए गोला-बारूद पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाता है और यह केवल डीजीक्यूए के दोष की जांच के बाद अन्तिम सेंटेन्सिंग देने तथा गोला-बारूद के उपयोज्य अथवा यदि अनुपयोज्य है तो उसके निपटान करने के बाद ही गोला-बारूद के प्रयोग पर प्रतिबंध हटाया जाता है। जब तक यह किया जाता है, तब तक समस्त गोला-बारूद पृथक्कृत स्थिति में रखा जाना है।

हमने देखा कि 31 मार्च 2013 को 28,771 मे.ट. गोला-बारूद थलसेना के विभिन्न गोला-बारूद होलिंग विभागों में “पृथक्कृत” पड़े हुए थे। 2008 से 2013 की पांच वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित गोला-बारूद का मूल्य ₹ 3,578 करोड़ था। इसमें से, ₹ 1320 करोड़ मूल्य का गोला-बारूद उच्च क्षमता का था।

²⁵ दोषपूर्ण गोला-बारूद, दोषपूर्ण शस्त्र, दोषपूर्ण ड्रिलों, आदि के कारण होने वाले किसी दोष/दुर्घटना के बाद, सभी की सुरक्षा के लिए गोला-बारूद पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाता है और यह केवल डीजीक्यूए के दोष की जांच के बाद अन्तिम सेंटेन्सिंग तथा गोला-बारूद के उपयोज्य अथवा यदि अनुपयोज्य है तो उसके निपटान करने के बाद ही गोला-बारूद के प्रयोग पर प्रतिबंध हटाया जाता है। जब तक यह किया जाता है, तब तक समस्त गोला-बारूद को पृथक्कृत स्थिति में रखा जाता है।

²⁶ यदि गोला-बारूद के वार्षिक निरीक्षण, अनुरक्षण, टर्न-ओवर, प्रभाव, दोष जांच आदि के दौरान उसकी मात्रा में कोई प्रमुख दोष पाया जाता है, तो सभी पैकेजों के संघटकों की 100 प्रतिशत जांच की जाएगी। यदि जांची गई मात्रा में चार प्रतिशत अथवा कम प्रमुख दोष हों तो देखे गए दोषों के समाप्त होने के पश्चात ही लॉट/खेप उपयोज्य माने जाएंगे, अन्यथा उन्हें मरम्मत योग्य प्रमुख (आरएमजे) माना जाएगा।

6.2.1.1 दोष जांच के समापन में अत्यधिक विलम्ब

डीजीक्यूए नीति के अनुसार, पृथक्कृत गोलाबारूद की दोष-जांच सीक्यूए (ए) द्वारा तीन महीने के अन्दर पूरी की जानी निर्धारित है। तथापि, हमने देखा कि जांच को पूरा करने में हुई प्रगति बहुत धीमी थी। मार्च 2013 तक, दोष-जांच के 241 लम्बित मामलों में से, 167 मामले एक वर्ष से अधिक से लम्बित थे। वर्ष-वार बकाया मामले नीचे तालिका-23 में दर्शाए गए हैं:

तालिका सं. 23: दोष-जांच के बकाया मामले (मार्च 2013 को)

दुर्घटना का वर्ष	बकाया मामलों का संख्या
2008	09
2009	07
2010	36
2011	41
2012	74
2013	74
कुल	241

(स्रोत: डीचीओएस (ओएस-6सी) पत्र दिनांक 12 जुलाई 2013)

डीजीक्यूए द्वारा सितम्बर 2013 में दोष-जांच के पूरा होने में विलम्ब के जो कारण बताए गए थे वे थे: कमान से एमजीएओसी रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, नमूनों की समय पर अनुपलब्धता, नमूनों की प्रोसेसिंग तथा प्रेषण में आयुध निर्माणियों द्वारा दी गई कम प्राथमिकता, वास्तविक परिवहन समय, अन्य महत्वपूर्ण निर्दिष्ट कार्य-भार के कारण विलम्ब तथा सीक्यूए पर समस्त जांच रिपोर्टों की प्राप्ति न होने कारण रिपोर्ट को अन्तिम रूप न देना आदि।

स्पष्ट है कि ऊपर बताए गए विलम्ब के समस्त कारण, दोष-जांच का समय पर समापन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समुचित स्तर पर नियंत्रित किए जा सकते थे।

हमने यह भी देखा कि एक समय में दुर्घटना के कारणों के अधिक वस्तुपरक निर्धारण के लिए, डीजीक्यूए ने 2005 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 18 में की गई एक सिफारिश के आधार पर एक ही छत के नीचे सभी जांच सुविधाओं के सृजन हेतु एक भविष्यसूचक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (पीटीएल) की स्थापना को स्वीकार किया। डीजीक्यूए द्वारा दिए गए वचन के बावजूद, पीटीएल का निर्माण कार्य पीटीएल की परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने से सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद

भी पूरा नहीं किया जा सका (दिसम्बर 2005)। हमने देखा कि सितम्बर 2013 तक परियोजना के निर्माण हेतु सिविल निर्माण कार्य भी पूरे नहीं किए गए थे।

6.2.2 मरम्मत योग्य प्रमुख (आरएमजे) गोला-बारूद

हमने देखा कि 31 मार्च 2013 तक विभिन्न गोला-बारूद डिपुओं में 30,862 मे.ट. गोला-बारूद “आरएमजे” स्थिति में पड़े थे। 2008 से 2013 तक की पांच वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित आरएमजे गोला-बारूद का मूल्य ₹ 2,109 करोड़ था, जो मरम्मत की प्रतीक्षा में था। इसमें से, ₹ 437 करोड़ का गोला-बारूद पहले ही पुराना हो चुका था।

मरम्मत संघटकों की व्यवस्था वार्षिक आधार पर ओएस निदेशालय द्वारा की जाती है। तद्वारा मरम्मत संघटकों की आपूर्ति के लिए मांगपत्र ओएफबी को दिए गए थे। हमने देखा कि ओएफबी 2009-2010, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान, मांग की गई मात्रा के अनुसार मरम्मत संघटकों की आपूर्ति करने में विफल रही।

6.3 गोला-बारूद जारी करने में विलम्ब

गोला-बारूद रखने वाले डिपो निर्भर प्रयोक्ता इकाईयों को उनके द्वारा की गई मांग के आधार पर गोला-बारूद जारी करते हैं। गोला-बारूद का अन्तर-डिपो हस्तांतरण, थलसेना मुख्यालय द्वारा जारी थलसेना लदान आदेश (एएलओ)²⁷ के आधार पर किया जाता है। ऑपरेशन (ओपी), प्राथमिकता तथा समान्य मांगों के मामले में डिपुओं द्वारा गोला-बारूद जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा, नई बनाई गई इकाईयों में रखने के लिए क्रमशः 7, 14 तथा 21 दिन है। तथापि, विद्यमान इकाईयों के लिए गोला-बारूद जारी करने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई थी।

जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, गोला-बारूद जारी करने के लिए आठ डिपुओं द्वारा सामान्यतः 21 दिन के प्रति लिया गया औसत समय नीचे तालिका 24 में दिया गया है:

²⁷ थलसेना लदान आदेश, कमानों के बीच गोला-बारूद जारी करने के लिए थलसेना मुख्यालय द्वारा जारी प्राधिकार है।

तालिका सं. 24: डिपुओं द्वारा जारी करने में विलम्ब

वर्ष	कुल जारी वाऊचर	समय के अन्दर जारी किए गए (अर्थात् अधिकतम 21 दिन के अन्दर)	जारी करने में विलम्ब				कुल जारी के मामलों के संदर्भ में विलम्ब से जारी की प्रतिशता
			22 दिन से 3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	>12 महीने	
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	16,106	6,869	6,481	979	1,735	42	57%
2009-10	19,818	8,654	8,691	894	1,560	19	56%
2010-11	20,850	7,671	10,021	1,156	1,549	453	63%
2011-12	24,952	8,735	10,884	2,777	2,513	43	65%
2012-13	21,838	10,459	9,129	1,101	1,138	11	52%

(स्रोत: गोला-बारूद डिपुओं/क्षेत्र गोला-बारूद डिपुओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार विवरणी)

हमने देखा कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान गोला-बारूद जारी करने में 52 से 65 प्रतिशत के बीच का असाधारण विलम्ब था। इकाईयों को समय पर गोला-बारूद जारी न करने के परिणामस्वरूप उनके गोला-बारूद का स्टॉक कम हो जाता है जिससे युद्ध की तैयारी पर प्रभाव पड़ता है। गोला-बारूद जारी करने में विलम्ब से संबंधित टिप्पणी के उत्तर में, डिपुओं ने विलम्ब का कारण परिवहन की अनुपलब्धता बताया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि विभिन्न विभागों पर परिवहन प्रबंधन थलसेना का आन्तरिक उत्तरदायित्व था।

6.4 गोला-बारूद का परिवहन

6.4.1 विस्फोटक वैनों द्वारा ले जाए जाने के लिए निर्दिष्ट गोला-बारूद का अनियमित परिवहन

अग्नि, पर्यावरण तथा विस्फोटक सुरक्षा केन्द्र की विस्फोटक समिति (एस टी ई सी) के भण्डारण तथा परिवहन द्वारा जारी ‘सड़क द्वारा थलसेना विस्फोटकों तथा गोला-बारूद के परिवहन हेतु नियमावली (एक डीआरडीओ प्रयोगशाला), 1995, जिसका बाद में 2011 में संशोधन हुआ, में गोला-बारूद के प्रेषण का विस्फोटक वैनों में परिवहन किए जाने का प्रावधान था। ए ओ सी के गोला-बारूद विभागों की शांति उपस्कर तालिका (पी ई टी)/युद्ध उपस्कर तालिका (डब्ल्यू ई टी) में विस्फोटक वैनों को मापने के लिए मामला विवरणी (एस ओ सी), ओ एस निदेशालय द्वारा गई मई 2013 में शुरू की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि 1995 से गोला-बारूद विस्फोटक वैनों में ले जाया जाना अपेक्षित था, तथापि गोला-बारूद विभागों के पीईटी/डब्ल्यू ई टी में विस्फोटक वैनों का प्रस्ताव शुरू करने में ए ओ सी ने 18 वर्ष से अधिक का समय लिया। इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई टिप्पणी के उत्तर में, डी जी ओ एस ने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे की काफी प्रशंसा हुई थी तथा नई 12वीं योजना में गोला-बारूद डिपुओं के लिए विस्फोटक वैनों को प्राधिकृत कराने के सभी प्रयास किए जाएंगें।

हमने देखा कि गोला-बारूद का परिवहन उन सामान्य थलसेना वाहनों में किया जा रहा था जो उस उद्देश्य के लिए डिजाईन नहीं किए गए थे। विस्फोटक वैनों की अधिग्रासि में विलम्ब के परिणामस्वरूप सुरक्षा के लिए मानक प्रतिमानों का पालन किए बिना ही विस्फोटकों का परिवहन करना पड़ा।

6.4.2 गोला-बारूद का लेखा-जोखा

रक्षा लेखा विभाग, कार्यालय नियमपुस्तिका भाग VI के पैराग्राफ 455 में यह प्रावधान है कि आयुध निर्माणियों से अपेक्षित है कि वे मांगकर्ताओं को भण्डार/गोला-बारूद जारी करने के लिए निर्गम वाऊचरों की छ: प्रतियां तैयार करें, जिनमें से तीन प्रतियां प्रेषणों के साथ थलसेना डिपुओं को भेजनी होती हैं। इन तीन प्रतियों में से, विधिवत प्राप्त एक प्रति थलसेना डिपुओं द्वारा प्रेषक आयुध निर्माणी को वापिस भेजनी होती है।

रक्षा लेखा विभाग कार्यालय नियमपुस्तिका (डी ए डी ओ एम) भाग-VI, खण्ड-I के पैराग्राफ 503 (बी) (एन) में भी यह प्रावधान है कि आयुधशाला, डिपुओं को जारी किए जाने वाले भण्डार के लिए, विभिन्न फार्मेशनों के लिए आई ए एफ ज़ेड - 2014 में पृथक सूचियां जारी की जाएंगी जिनमें परेषिती का पद तथा अग्रेषित वाऊचरों की संख्याएं और तिथियां प्रविष्ट की जाएंगी। समर्थित वाऊचरों के साथ ये सूचियां, भण्डार-गृह हेतु आवश्यक क्रेडिट तथा उनकी प्राप्ति पावती की जांच के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारीयों (एल ए ओज़) को भेजी जाएंगी।

हमने देखा कि पुनरीक्षण के लिए चुने गए दस आयुध निर्माणियों में से, तीन निर्माणियाँ ओ एफ के, ओ एफ सी एच तथा ओ एफ बी एल, 2008-2013 के दौरान, थलसेना डिपुओं द्वारा विधिवत प्राप्त ₹ 2,347 करोड़ मूल्य के 639 निर्गम वाऊचर प्राप्त करने में विफल रहीं। इन निर्गम वाऊचरों का काल-वार व्यौरा नीचे तालिका- 25 में दिया गया है:

तालिका सं. 25: लम्बित निर्गम वाऊचरों का काल-वार विश्लेषण

वर्ष	लम्बित निर्गम वाऊचरों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
2008-09	18	65.42
2009-10	35	118.12
2010-11	45	163.59
2011-12	118	515.90
2012-13	423	1483.88
कुल	639	2346.91

परिणामतः थलसेना डिपुओं द्वारा इन परेषणों की वास्तविक प्राप्ति हमारे द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकी। तथापि, थलसेना डिपुओं से उन निर्गम वाऊचरों को लेने के लिए तीनों निर्माणियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसे बताए जाने पर, ओ एफ सी एच तथा ओ एफ के ने कहा (अगस्त/सितम्बर 2013) कि निर्गम वाऊचरों की प्राप्ति को लेने तथा मिलान के लिए थलसेना डिपु के साथ मामला उठाया जाएगा। तथापि, उत्तर में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार थलसेना डिपुओं को सभी परेषणों की सुपुर्दग्गी के साक्ष्य के रूप में आयुध निर्माणियाँ से सभी निर्गमों की प्राप्ति की पावती समय पर प्राप्त हो गई थी।

इस प्रकार, डिपुओं द्वारा 2008-09 से 2012-13 के दौरान तीनों आयुध निर्माणियों को जारी ₹ 2,347 करोड़ मूल्य के गोला-बारूद की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी (सितम्बर 2013)।

6.5 थलसेना में भण्डारण स्थान

पर्यावरण तथा विस्फोटक सुरक्षा केन्द्र (सी एफ ई ई एस) डी आर डी ओ के अधीन एक निकाय है, जो भण्डारण परिवहन एवं विस्फोटक समिति (एस टी ई सी) विनियम तथा सं. रा. वर्गीकरण के आधार पर विस्फोटकों के भण्डारण हेतु प्रतिमान निर्धारित करता है। सी एफ ई ई एस के अनुसार अस्थायी स्थान पर गोला-बारूद के किसी भण्डारण की कोई गुंजाई नहीं है।

हमने देखा कि सी एफ ई ई एस प्रतिमानों के उल्लंघन में थलसेना ने 31 मार्च 2013 को 18 प्रतिशत गोला-बारूद अस्थायी स्थानों पर रखा हुआ था। व्यौरे नीचे दिए गए हैं:

रखा गया कुल गोला-बारूद (मे.ट)	स्थायी स्थान पर रखा गया गोला-बारूद (मे.ट.)	अस्थायी स्थान पर रखा गया गोला-बारूद (मे.ट.)
391303	320086	71217

18 प्रतिशत गोला-बारूद, सी एफ ई ई एस विनियमों का उल्लंघन करते हुए अस्थायी स्थानों पर रखा गया था।

इसके अतिरिक्त, 40 (I) के डब्ल्यू डब्ल्यू आर के प्राधिकार के संदर्भ में गोला-बारूद के भण्डारण स्थान में कमी 31 मार्च 2014 को 57 प्रतिशत थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

40(I) की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत कुल गोला-बारूद (मे.ट.)	गोला-बारूद के लिए रखा गया कुल स्थान (मे.ट.)	गोला-बारूद के लिए स्थायी स्थान की कमी (मे.ट.)
742736	320086	422650

6.5.1 गोला-बारूद डिपुओं के सुरक्षा क्षेत्र के अन्दर अनियमित सिविल निर्माण कार्य होना

भारतीय रक्षा निर्माण कार्य अधिनियम, 1903 की धारा 3 के अनुसार, मंत्रालय, किसी गोला-बारूद ढेर की परिधि के आस-पास किसी भी क्षेत्र की अनिर्माण क्षेत्र (सुरक्षा क्षेत्र) के रूप में घोषणा कर सकता है। अधिनियम के अनुसार, उक्त घोषणा की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर सार्वजनिक सूचनाएं जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करना अनिवार्य है। हमने देखा कि अधिनियम के उल्लंघन में, पुनरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षित डिपुओं के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र में कई निर्माण कार्य हुए थे। ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:

- रोक लगाने के लिए ए डी डप्पर के संबंध में गजट अधिसूचना जुलाई 2004 में जारी हुई थी। ए डी डप्पर ने अक्टूबर 2005 में अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत एक समाहर्ता की नियुक्ति के लिए पत्राचार किया। गजट अधिसूचना के प्रकाशन के छः वर्ष के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, मोहाली ने डिपो प्राकार से चारों ओर 1,200 गज के एक क्षेत्र को अनिर्माण क्षेत्र अधिसूचित करते हुए अप्रैल 2011 में एक अधिसूचना जारी की। परन्तु इस क्लीयरेंस जोन के अन्दर, ए डी डप्पर द्वारा 130 अप्राधिकृत निर्माण देखे गए थे तथा पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई थी (जनवरी 2008 से फरवरी 2013)।

- 18 एफ ए डी तथा 2 ए एस डी (पठानकोट) के संबंध में गजट अधिसूचना एस आर ओ²⁸ के अधीन क्रमशः अक्टूबर 2001 तथा नवम्बर 2003 में जारी की गई थी जिसमें 1,000 गज (914 मीटर) क्षेत्र को सुरक्षा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिसूचना डी एम होशियारपुर तथा डी एम गुरदासपुर द्वारा जुलाई 2008 में लागू की गई थी। डी एम होशियारपुर द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुरक्षा क्षेत्र के अन्दर बड़ी संख्या में अवैध/अप्राधिकृत निर्माण किए गए थे।

हमने देखा कि कई स्थानों पर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तथा थलसेना के सुरक्षा हितों के विरुद्ध अधिसूचित क्षेत्रों में अक्षुण्ण निर्माण हुए हैं। कई मामलों में, इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में पूरे शहर बन गए हैं तथा कई अन्य मामलों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक संयंत्र, परिसर आदि के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। थलसेना मुख्यालय का जून 2012 में मत था कि इस कार्य का समुचित रूप से पालन सुनिश्चित करने लिए उत्तरदायी संबंधित अधिकारी ने उक्त अप्राधिकृत निर्माण को उसे शुरू करने के समय पर ही रोकने के लिए समुचित कार्रवाई नहीं की थी।

तथ्य यह है कि सुरक्षा क्षेत्र के संबंध में गजट अधिसूचना के प्रकाशन में 54 वर्ष से अधिक (स्वतंत्रता के पश्चात) के विलम्ब के कारण, डिपुओं के सुरक्षा क्षेत्र के अन्दर कई निर्माण कार्य हो गए।

6.6 अग्नि-शमन उपकरण

अग्नि-शमन उपकरण का स्केल तथा अग्नि-शमन स्टॉफ का प्राधिकार पैमाना सरकार द्वारा आखिरी बार मार्च 2004 में संशोधित किया गया था।

थलसेना अनुदेश में निर्धारित तथा संबंधित स्थापनाओं में निर्धारित जोखिम के अनुसार अग्नि-शमन उपकरण की मांग के आकलन हेतु स्टेशन अग्नि समिति (एस एफ सी) मिलती है। कमान-वार स्टेशन अग्नि समिति (एस एफ सी) आखिरी बार मार्च 2002 से फरवरी 2003 के दौरान मिली थी। डी जी ओ एस ने नवम्बर 2011 में कहा कि जहां तक अग्नि-शमन उपकरण जोखिमों तथा उनके कब्जे वाले आयुध का संबंध है, ए ओ सी के अधिकतर विभागों में परिवृश्य बदल चुका है तथा उसने एस एफ सी की बोर्ड को कार्रवाई को दिसम्बर 2011 तक अन्तिम रूप देने का अनुदेश दिया था। डिपुओं द्वारा बोर्ड की कार्रवाई को तालिका 26 में दिए गए अनुसार अन्तिम रूप दिया गया था:

²⁸ एस आर ओ – सांविधिक नियम एवं आदेश, गजट अधिसूचना के अन्तर्गत आदेशों के वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्दावली

तालिका सं. 26: बोर्ड कार्रवाई के विवरण

डिपो	बोर्ड कार्रवाई को अन्तिम रूप देने की तिथि
ए डी बठिंडा	16.6.2011
15 एफ ए डी	मई 2013 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया
ए डी डप्पर	जून 2013 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया
18 एफ ए डी	2.1.2013

(स्रोत: ए डी /एफ ए डी के पत्र)

चुने गए आठ डिपुओं में 2008-13 के दौरान अग्नि-शमन स्टॉफ तथा मुख्य अग्नि-शमन उपकरण की कमी क्रमशः 47 तथा 65 प्रतिशत थी।

हमने देखा कि अग्नि-शमन स्टॉफ तथा उपकरण के संशोधन हेतु डी जी ओ एस द्वारा कार्रवाई नवम्बर 2011 में शुरू की गई थी, परन्तु उसे 31 मार्च 2013 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। इस प्रकार, डिपो अग्नि दुर्घटना के जोखिम के साथ ही काम कर रहे थे क्योंकि उपकरण तथा मानव-शक्ति अपेक्षा/अनुमोदन के अनुसार नहीं हैं, क्योंकि डिपुओं के पास गोला-बारूद के डिपो थे।

6.7 गोला-बारूद का निपटान

गोला-बारूद की वितरण प्रणाली, जो अप्रचलित, अधिक, अप्रयोज्य, मरम्मत के लिए अमितव्ययी, तथा/अथवा निरन्तर भण्डारण, अनुरक्षण, तथा/अथवा प्रयोग के लिए कंडम/खतरनाक हो गई है, को ठीक किया जाना आवश्यक है। जिस निपटान का यहां उल्लेख किया गया है मुख्यतः गोला-बारूद की बड़ी मात्रा वाले गोला-बारूद निपटान/असैन्यीकरण से संबंधित है।

6.7.1 निपटान प्रणाली

वर्तमान में गोला-बारूद का निपटान उसे जला कर अथवा उसे नष्ट करके किया जाता है। एक बार गोला-बारूद के अप्रयोज्य पाए जाने/घोषित कर दिए जाने पर, उसे निर्भर गोला-बारूद डिपो के पास जमा करा दिया जाता है जिसमें गोला-बारूद का ए टी ए टी ओ²⁹ तथा ए टी ओ³⁰ के दल द्वारा निपटान किया जाता है।

अप्रयोज्य गोला-बारूद का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर थलसेना मुख्यालय से निपटान अनुदेश प्राप्त होने के पश्चात् ब्रेकडाऊन अथवा विनाश के माध्यम से उसका निपटान किया जाता है। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के

²⁹ ए टी ए- गोला-बारूद तकनीकी सहायक

³⁰ ए टी ओ- गोला-बारूद तकनीकी अधिकारी

दौरान निपटाई गई तथा निपटान हेतु बकाया गोला-बारूद का विवरण नीचे तालिका-27 में दिया गया है:

**तालिका सं. 27 : 2008-09 से 2012 की अवधि के दौरान निपटाई गई तथा ब्रेक
डाऊन अथवा विनाश हेतु प्रतीक्षित गोलाबारूद**

(मात्रा मे.ट. में)

वर्ष	निपटाया गया	ब्रेक डाऊन हेतु प्रतीक्षित	विनाश हेतु प्रतीक्षित	कुल विनाश हेतु प्रतीक्षित
क	ख	ग	घ	ड.= ग+घ
2008	9,550	1,875	2,452	4,327
2009	5,556	2,213	3,236	5,449
2010	6,239	4,130	2,917	7,047
2011	7,683	4,410	2,787	7,197
2012	5,307	9,843	2,213	12,056

(स्रोत: डी जी ओ एस पत्र दिनांक 20 मार्च 2013 तथा 10 जुलाई 2013)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निपटान हेतु प्रतीक्षित गोला-बारूद की मात्रा 2008 के अन्त में 4,327 मे.ट. से धीरे-धीरे बढ़कर 2012 के अन्त में बहुत अधिक 12,056 मे.ट. हो गई। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रति वर्ष निपटाया गया गोला-बारूद 2008 में 9,550 मे.ट. से धीरे-धीरे घट कर 2012 में 5,307 मे.ट. हो गई है।

डी जी ओ एस ने कहा (जुलाई 2013) कि यद्यपि ए ओ सी द्वारा अप्रयोज्य गोला-बारूद के समय पर निपटान हेतु सतत प्रयास किया जाता है, तथापि विभिन्न बाधाओं जैसे सीमित मानवशक्ति, विनाश ग्राउंड/रेज तथा तापक्रम/मौसम स्थितियों आदि को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ए ओ सी का उत्तर 2008 से 2012 के दौरान जब निपटाई गई वार्षिक मात्रा लगभग 44 प्रतिशत कम हो गई, के दौरान अप्रयोज्य गोला-बारूद के निपटान में लगातार घटती हुई प्रवृत्ति तथा निष्पादन को सुधारने की कार्रवाई को स्पष्ट नहीं करता।

अप्रयोज्य गोला-बारूद के निपटान में विलम्ब के परिणामस्वरूप मूल्यवान भण्डारण स्थान पर कब्जा बना रहा तथा अनावश्यक विस्फोट, अग्नि आदि का जोखिम बढ़ गया तथा इसके अतिरिक्त सरकार समयबद्ध ढंग में निपटान से राजस्व की उगाही से वंचित रही।

6.7.2 गोला-बारूद का असैन्यीकरण

पारम्परिक निपटान तकनीकों (खुली आग तथा खुले विनाश) के नियोजन के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षति होती है। असैन्यीकरण गोला-बारूद तथा विस्फोटकों का निपटान की पर्यावरण अनुकूल विधि है।

अग्नि, विस्फोटक तथा पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र (सी एफ ई ई एस), रक्षा मंत्रालय में पर्यावरण नियमों तथा विनियमों को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। आर एवं डी स्थापना होने के कारण सी एफ ई ई एस ने फरवरी 2007 में कहा कि विनाश द्वारा अप्रयोज्य गोला-बारूद का निपटान एस टी ई सी विनियम के अनुसार ही किया जाएगा, तथापि, पर्यावरण अनुकूल विधियां वैशिक बाजार में ‘असैन्यीकरण संयंत्र’ के रूप में उपलब्ध थीं तथा अप्रयोज्य गोला-बारूद के निपटान हेतु संयंत्रों की खरीद का सुझाव दिया।

तथापि, सी एफ ई ई एस द्वारा पर्यावरणीय अनुकूल असैन्यीकरण संयंत्र विकसित करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर में डी जी ओ एस ने कहा (जुलाई 2013) कि उसके कार्यालय ने असैन्यीकरण पर प्रेजेंटेशन देने के लिए कई फर्मों से सम्पर्क किया था जिनमें से अभी तक तीन विदेशी फर्मों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। डी जी ओ एस द्वारा अभी तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

6.8 सूची नियंत्रण प्रणाली के कम्प्यूटीकरण में विलम्ब

सही गोला-बारूद लेखे एक नियंत्रण उपाय के रूप में संचयन प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग हैं क्योंकि वे स्टॉक की हानियों की शीघ्रता से पहचान कर सकते हैं। वे गोला-बारूद की प्रभावी तकनीकी निगरानी का एक अनिवार्य भाग भी हैं।

हमने देखा कि आई टी के प्रयोग के लाभों ने, मोटे तौर पर, 19 वर्ष पहले सरकार द्वारा संस्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण सेना में गोला-बारूद के प्रबंधन को टाल दिया है।

6.8.1 कम्प्यूटरीकृत सूची नियंत्रण परियोजना (सी आई सी पी)

जुलाई 1994 में, मंत्रालय ने पांच वर्षों की लक्षित अवधि के अन्दर ए एच क्यू तथा आयुध इकाईयों में समस्त इकाईयों को संबद्ध करते हुए ऑन लाईन लेन-देन प्रोसेसिंग बहु प्रयोक्ता आर डी बी एम एस कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए आयुध सेवाओं के पूर्ण-स्तरीय कम्प्यूटरीकरण के लिए सी आई सी पी की संस्वीकृति प्रदान की। सी आई सी पी के उद्देश्यों में सी ओ डी को बृहद क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) के माध्यम के मंडल आयुध इकाईयों (डी ओ यू)/ ब्रिगेड आयुध इकाईयों (बी ओ यू) के साथ आपस में जोड़ना तथा चरणबद्ध योजना तथा सूची के नियंत्रण के द्वारा

ए एच क्यू तथा मंत्रालय के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) तथा निर्णय समर्थन प्रणाली (डी एस एस) को डिजाईन करना शामिल था।

6.8.2 परियोजना क्रियाकलाप

यद्यपि मंत्रालय ने 1994 में परियोजना की संस्थीकृति प्रदान की थी, तथापि, अग्रणी चरण (चरण-I) के लिए अनुबंध ₹ 11.80 करोड़ की राशि के लिए फरवरी 2000 में किया गया था। चरण I ₹ 13.60 करोड़ की कुल लागत पर दिसम्बर 2003 में पूरा किया गया था।

23 चयनित डिपुओं/इकाईयों में चरण-II में प्रणाली अध्ययन करने तथा सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए सी सी एस अनुमोदन नवम्बर 2005 में प्रदान किया गया था। तथापि, अभी तक कोई अनुबंध नहीं किया जा सका। सी आई सी पी चरण -II अप्रैल 2013 में आर एफ पी अवस्था में था।

6.8.3 परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब

हमने देखा कि इ आर पी प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण थलसेना परिकल्पित लाभों जैसे प्रक्रियाओं में दक्षता; कम्प्यूटर सृजित एम आई एस रिपोर्ट; वास्तविक समय डाटा का एक्सेस; कुल परिसम्पत्ति दश्यता; सूची कटौती तथा प्रक्रियाओं के मानकीकरण से वंचित रही।

अध्याय - VII : निष्कर्ष

थलसेना में गोला-बारूद प्रबंधन का पुनरीक्षण, थलसेना में गोला-बारूद के प्रबंधन हेतु विद्यमान पद्धतियों, प्रक्रियाओं तथा अन्तर-निर्मित नियंत्रणों की प्रभाविकारिता के आकलन हेतु की गई थी। जबकि ऑपरेशन की प्रत्याशित अवधि को पूरा करने के लिए युद्ध क्षति रिजर्व (डब्ल्यू डब्ल्यू आर) के प्रति प्राधिकृत स्टॉक की उपलब्धता, थलसेना की परिचालनात्मक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मूल मानदण्ड था, हमने पुनरीक्षण के दौरान पाया कि 40 (I) दिनों के डब्ल्यू डब्ल्यू आर के प्रति गोला-बारूद की उपलब्धता, गोला-बारूद के रखे गए (मार्च 2013) कुल प्रकारों का केवल 10 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, गोला-बारूद के कुल प्रकारों के 50 प्रतिशत में, धारिता 'चिन्ताजनक' अर्थात् 10 (I) दिनों से कम थी। हमने देखा कि समग्र धारिता कई वर्षों से लगातार कम हो रही थी तथा अधिक महत्व की गोला-बारूद में काफी प्रमुख थी। अधिक क्षमता वाली गोला-बारूद की प्रतिशतता जो महत्वपूर्ण थी, लेखापरीक्षा की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 84 प्रतिशत थी। विद्यमान अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए सेना मुख्यालय ने एमएआरएल की न्यूनतम सीमा अर्थात् 20 (I) दिन रखी थी (1999) जिसे पहले प्राप्त किया जाना था। हमने पाया कि 15 वर्षों के बाद भी, एमएआरएल की सीमा प्राप्त नहीं की जा सकी। अत्यधिक कमी चिन्ता का एक गम्भीर कारण था जो सेना की परिचालनात्मक तैयारी पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता था।

थलसेना की मांग को पूरा करने के लिए ओ एफ बी की असमर्थता, गोला-बारूद की कमी का प्रमुख कारण थी। ओ एफ बी, जिसकी सेना की मांग के प्रति सीमित उत्पादन क्षमता थी, ने ए एच क्यू के परस्पर परामर्श से रोल ऑन इंडेंट के अन्तर्गत आने वाली गोला-बारूद की आपूर्ति के लिए लक्ष्य स्वीकार किए। तथापि वह स्वीकार की गई मात्राओं को आपूर्त करने में विफल रही, तथा गोला-बारूद की 54 से 73 प्रतिशत प्रकार तक कमी थी। ओएफबी द्वारा उत्पादन क्षमता में कमी, आरएफआर की उच्च दर के कारण और भी बढ़ गई। लेखापरीक्षा में जांचे गए 123 में से 71 मामलों में, सुधार हेतु प्राप्त मदों की प्रतिशतता 20 से 100 प्रतिशतता के बीच थी। क्यू सी तथा क्यू ए द्वारा परित गोला-बारूद भी वांछित गुणात्मक स्तर की नहीं थी। हमने पाया कि निर्माण दोषों के कारण ₹ 1,618 करोड़ मूल्य की गोला-बारूद डिपुओं में निराकृत पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त, ₹ 814 करोड़ मूल्य का गोला-बारूद उसकी घटिया गुणवत्ता के कारण उसके जीवन-काल के अन्दर ही अप्रयोज्य घोषित कर दिया गया था।

अधिप्राप्ति के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में, आयात भी अनुचित रूप से धीमा सिद्ध हुआ क्योंकि 2008-2013 की अवधि के दौरान राजस्व मार्ग के माध्यम से शुरू की गई नौ मदों के प्रति कोई अधिप्राप्ति फलीभूत नहीं हुई। राजस्व अधिप्राप्तियों के मामलों में भी, अनुबंधों के फलीभूत होने की सफलता दर काफी कम 20 प्रतिशत थी।

गोला-बारूद की समग्र प्रयोज्यता स्थिति से पता चला कि रखे गए गोला-बारूद की कुल मात्रा का 17.5 प्रतिशत, पृथक्कृत, अमरम्मतयोग्य तथा अप्रयोज्य स्थिति में पड़ा हुआ था (मार्च 2013)। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान समय पर जांच में विलम्ब के कारण ₹ 3,578 करोड़ मूल्य की गोला-बारूद पृथक्कृत स्थिति में पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त, मरम्मत संघटकों की आपूर्ति में ओएफबी की नेमी विफलता के कारण ₹ 2,109 करोड़ मूल्य का गोला-बारूद अमरम्मत-योग्य स्थिति में पड़ा हुआ था। समय पर सेंटेन्सिंग तथा इस गोला-बारूद की मरम्मत से गोला-बारूद धारिता की प्रयोज्यता स्थिति में सुधार हो सकता था।

सिफारिशें

- ❖ प्राधिकृत रिजर्वों की उपलब्धता में निरन्तर कमी को देखते हुए मंत्रालय को आयुध निर्माणियों की क्षमता, बजट की उपलब्धता तथा थलसेना की अनिवार्य आवश्यकता को विधिवत रूप से ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष तथा यथार्थ तन्त्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि थलसेना की परिचालनात्मक अपेक्षाएं पूर्णतः पूरी कर ली गई हैं।
- ❖ आयुध निर्माणियों को आधुनिक बनाने तथा थलसेना द्वारा अपेक्षित मर्दों के उत्पादन हेतु उनकी क्षमता को व्यायिक रूप से बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण गोला-बारूद की उपलब्धता में कमी को रोकने के किए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।
- ❖ मंत्रालय, ए एच क्यू तथा ओ एफ बी के बीच परस्पर परामर्श के पश्चात एक बार निर्माणियों के लिए उत्पादन लक्ष्य नियत हो जाने पर, बाद की कमियों के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाना चाहिए।
- ❖ डी पी पी/डी पी एम के अनुसार, अधिप्राप्ति हेतु समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सम्मिलित एजेंसियों को उनकी ओर से होने वाले विलम्ब के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
- ❖ बार-बार होने वाले संशोधनों से बचने के लिए, सामान्यतः जी एस क्यू आर, सम्भावित विक्रेताओं से उद्देश्यों/उत्तरों के लिए अनुरोध जारी किए जाने के बाद ही बनाए जाने चाहिए। क्यू आर के प्रति उत्तरों के विस्तृत मैट्रिक्स तैयार किए जाने चाहिए तथा ए ओ एन मांगते समय उजागर किए जाने चाहिए।
- ❖ आर एफ आर की उच्च दर तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि दोष, निर्धारित गुणवत्ता जांच के बाद भी देखे गए थे, क्यू सी तथा क्यू ए के लिए नियंत्रणों को अधिक कड़ा तथा जवाबदेह बनाने के लिए तत्काल तथा प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।
- ❖ पृथक्कृत तथा मरम्मत-योग्य प्रमुख (आर एम जे) गोला-बारूद पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। डी जी क्यू ए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषपूर्ण मामलों की जांच कर ली गई है तथा तीन महीने की निर्धारित समय सीमा के अन्दर उनका निपटान कर लिया गया है।
- ❖ गोला-बारूद तथा विस्फोटकों के निपटान हेतु पर्यावरण अनुकूल असैन्यीकरण विधि स्थापित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

- ❖ मंत्रालय को परिसम्पत्तियों की दृश्यता बढ़ाने, सीआईसीपी के तेजी से कार्यान्वयन के माध्यम से गोला-बारूद का प्रबंधन प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने, तेजी से निर्गम तथा प्राप्ति, जिसमें पहले ही विलम्ब हो चुका है, के लिए ए एच क्यू डिपो तथा प्रयोक्ता इकाईयों के बीच ऑन लाइन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी चाहिए।


नई दिल्ली
दिनांक: 24 अप्रैल 2015

(राजीव कुमार पाण्डेय)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
रक्षा सेवाएं

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 24 अप्रैल 2015


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



अनुलग्नक-I

(पैरा 1.4 के संदर्भ में)

सेना में गोलाबारूद प्रबन्धन का फ्लो चार्ट



(स्रोत: डी जी ओ एस का पत्र दिनांक 23.11.2013 और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2011 के कार्य के आवंटन का उद्धरण)

अनुलग्नक-II

(पैरा 1.7 के संदर्भ में)

पुनरीक्षा हेतु चुने हुए गोलाबारूद के 69 प्रकारों का विवरण

क्रम संख्या	गोलाबारूद का नाम
1	155 मि. मी. एम -107
2	155 मि. मी. ई आर एफ बी (बी बी)
3	155 मि. मी. ई आर एफ बी (बी टी)
4	155 मि. मी. ई आर एफ बी इल्युमिनेटिंग
5	130 मि. मी. एफ बी सी
6	130 मि. मी. आर बी सी
7	125 मि. मी. एच ई
8	125 मि. मी. एच ई ए टी
9	125 मि. मी. एफ एस ए पी डी एस/टी
10	120 मि. मी. एच ई एस एच
11	120 मि. मी. एफ एस ए पी डी एस
12	120 मि. मी. मोर्टर एच ई
13	120 मि. मी. मोर्टर इल्यूमिनेटिंग
14	120 मि. मी. स्मोक पी डब्ल्यू पी
15	105 मि. मी. टी के एच ई एस एच
16	105 मि. मी. टी के एफ एस ए पी डी एस/टी
17	105 मि. मी. आई एफ जी एच ई एस एच
18	105 मि. मी. स्मोक (रेड)
19	105 मि. मी. स्मोक (ऑरेंज)
20	105 मि. मी. स्मोक (ब्ल्यू)
21	105 मि. मी. इल्यूमिनेटिंग
22	105 मि. मी. आई एफ जी एन/चार्ज
23	105 मि. मी. आई एफ जी एस/चार्ज
24	84 मि. मी. एच ई एम के-॥
25	84 मि. मी. एच ई ए टी 55 1 एम के- ॥॥
26	84 मि. मी. इल्यूमिनेटिंग
27	81 मि. मी. मोर्टर एच ई

28	81 मि. मी. स्मोक पी डब्ल्यू पी
29	81 मि. मी. मोर्टार इल्युमिनेटिंग
30	81 मि. मी. स्मोक ग्रेनेड 3 डी 6
31	51 मि. मी. इल्युमिनेटिंग
32	40 मि. मी. एल/70/एच ई/1
33	30 मि. मी. ए पी/टी
34	30 मि. मी. एच ई/आई
35	12.7 मि. मी.म ए पी/आई
36	12.7 मि. मी. ए पी आई/टी
37	कारट्रेज एस ए 9 मि. मी. बाल एम के 2 जैड
38	स्विच एस डब्ल्यू आई टी सी एच एन ओ संख्या 10 टी पी व्हाइट
39	सी एच जी डी ई एम ओ संख्या 1
40	बैंगलौर टॉरपिडो
41	फ्यूज डी ए 117/एम 85 पी 13 पी डी-1 फ्यूज 117 एम के-20
42	फ्यूज - 213 एम के-5 एम-2
43	फ्यूज बी 429/पी डी-2
44	फ्यूज पी डी एम 572 /पी डी 3 ए
45	पी आर आई एम ई आर एम 191 ए 2
46	प्रोपैलेंट चार्ज एम 4 ए 2
47	155 मि. मी. चार्ज एम-8
48	155 मि. मी. चार्ज एम-9
49	एस ए 7.62 मि. मी. स्निप्पर रशिया
50	एस ए 7.62 मि. मी. रिमइ/स्टील कोर रशिया
51	एस ए 7.62 मि. मी. टी आर ए सी रिमड रशिया
52	एस ए 7.62 मि. मी. ए पी आई एन सी ई एन बी-32 रशिया
53	आर डी क्यू एफ 122 मि. मी. एच ओ डब्ल्यू एच ई एफ/सी-एच जी पी एल जी डी
54	आर डी क्यू एफ 122 मि. मी. एच ओ डब्ल्यू एच ई आर/सीएच जी पी एल जी डी
55	आर डी क्यू एफ 122 मि. मी. एच ओ डब्ल्यू एस एम के डब्ल्यू पी एफ/सी एच जी
56	आर डी क्यू एफ 122 मि. मी.एच ओ डब्ल्यू एस एम के डब्ल्यू पी आर/सी एच जी
57	आर डी क्यू एफ 122 मि. मी. एच ओ डब्ल्यू आई एल एल एफ/सी एच जी

58	एस एच ई एल एल 155 मि. मी. एच ओ डब्ल्यू ई आर डी पी सी ए आर जी ओ एम-397
59	बी एम सी एस 155 मि. मी. एम-91 (I) ए1 एस ए
60	बी एम सी एस 155 मि. मी. एम-92 (आई) ए1 एस ए
61	आर डी 20 मि. मी. एस ए पी एच ई आई ए एम आर एस ए
62	आर डी 30 मि. मी. एच ई/आई
63	आर डी 30 मि. मी.ए पी टी आर ए सी ई आर
64	जी आर ई एन 30 मि. मी. वी ओ जी
65	आर डी 40 मि. मी. एच ई वी ओ जी-25 बी यू एल जी
66	जी आर ई एन 40 मि. मी. एस एम के बी एस टी आर पी एस ए
67	जी आर ई एन 40 मि. मी. एच ई ए पी एम-848 एस ए
68	जी आर ई एन 40 मि. मी. एच ई डी पी
69	जी आर ई एन 40 मि. मी. टी एम

(स्रोत: ए आई ए प्रतिवेदन मार्च 2013 के लिए)

अनुलग्नक - III

(पैरा 2.3.2 के संदर्भ में)

डब्ल्यू डब्ल्यू आर में भण्डार धारण में कमी

31 मार्च 2009 तक श्रेणी अनुसार भण्डार स्थिति

क्रम संख्या	दिवसों (I) की संख्या	गोलाबारूद की श्रेणी						
		ए एफ वी	ए आर टी वाई	ए डी ए आर टी वाई	डी ई एम ओ/ई एक्स पी टी	आई एन एफ और एस ए ए	नई पीढ़ी के गोलाबारूद	ए वी एन
1	<10	2	11	---	--	2	--	--
2	10 to <=20	9	9	3	3	8	--	--
3	>20 to <=30	4	8	1	4	5	--	--
4	>30 to <=40	2	--	--	4	2	--	--
5	>40	3	1	--	11	9	--	--
		20	29	4	22	26		
		कुल=101						

31 मार्च 2010 तक श्रेणी अनुसार भण्डार स्थिति

1	<10	12	25	3	0	6	11	0
2	10 to <=20	5	16	4	4	5	2	0
3	>20 to <=30	4	7	1	3	6	0	0
4	>30 to <=40	2	1	0	4	1	1	0
5	>40	1	0	0	11	10	0	0
		24	49	8	22	28	14	0
		कुल=145						

31 मार्च 2011 तक श्रेणी अनुसार भण्डार स्थिति

1	<10	15	29	7	3	1	7	0
2	10 to <=20	2	12	2	1	11	1	0
3	>20 to <=30	4	7	2	4	5	1	0
4	>30 to <=40	3	2	0	7	5	1	0
5	>40	0	0	0	7	5	1	0
		24	50	11	22	27	11	0
		कुल=145						

31 मार्च 2012 तक श्रेणी अनुसार भण्डार स्थिति

1	<10	18	36	10	3	3	9	0
2	10 to <=20	4	14	4	3	11	0	0
3	>20 to <=30	1	5	0	4	4	1	0
4	>30 to <=40	0	2	0	3	2	0	0
5	>40	0	0	0	9	8	0	0
		23	57	14	22	28	10	
		कुल=154						

31 मार्च 2013 तक श्रेणी अनुसार भण्डार स्थिति

1	<10	13	46	11	3	3	7	2
2	10 to <=20	8	15	4	2	11	0	0
3	>20 to<=30	0	4	1	5	4	0	2
4	>30 to <=40	0	3	0	2	5	0	2
5	>40	1	1	0	10	5	0	0
		22	69	16	22	28	7	6
		कुल= 170						

स्रोत: मार्च 2009, 2010, 2011, 2012, और 2013 तक ए आई ए प्रतिवेदन में दिखाया गया सेवा भण्डार। उन युपो जिनमें दिनों में सेवा भण्डार बताए नहीं गए हैं, से इतर प्रतिवेदन में व्यक्त सभी युपो को सम्मिलित किया गया है।

अनुलग्नक - IV

(पैरा 3.3.2 के संदर्भ में)

2008-2009 के बाद आयात द्वारा गोलाबारूद की अधिप्राप्ति का विवरण

क्रम संख्या	मद	संविदा संख्या	दिनांक
1	9 मि. मी. 115 जी आर जे एच पी	बी/30607/एस पी/जी एस/डब्ल्यू ई-4	13 मई 2008
2	9 मि. मी. 147 जी आर एफ एम सी फ्लैट सबसौनिक		
3	40 मि. मी. गैनेड	बी/30607/ए एस एल	13 अगस्त 208
4	5.56 मि. मी. गोला-बारूद	टी-1183/जी एस/डब्ल्यू ई-4	
5	40 मि. मी. वी ओ जी -2	पी सी -12 (2008) ए/154361/बुल/पी पी ओ-3	21 नवंबर 2008
6	विस्फोटक राकेट शीर्ष एफ जेड-71	ए/18104/लानसर/ओ एस-6 बी/डी (ओ-1)	29 जनवरी 2009
7	राकेट मोर्टार एफ जेड-90		
8	स्मोक राकेट शीर्ष एफ जेड-32		
9	राकेट मोर्टार एम. कें-40		
10	कारट्रेज 122 मि. मी. आर सी	ए/18139/ओ एस-6 बी/डी (ओ-1)	25 मई 2009
11	कारट्रेज 122 मि. मी. एच ई आर सी		
12	कारट्रेज 122 मि. मी. स्मोक आर सी (डब्ल्यू पी)		
13	कारट्रेज 122 मि. मी. आई एल एल		
14	125 मि. मी. एफ एस ए पी डी एस	पी/035606140991	10 दिसम्बर 2010
15	84 मि. मी. एच ई ए टी	ए/18151/84 मि. मी. /ओ एस-6 बी/डी (ओ-1)	09 मार्च 2011

अनुलग्नक-V

पैरा 3.3.2.1 के संदर्भ में

आयात द्वारा गोला-बारूद हेतु संविदाओं के निर्णय में विलम्ब

(राजस्व अधिप्राप्ति)

क्र.सं.	मामले के शुरूआत/आवश्यकता की स्वीकृति का दिनांक	गोलाबारूद का नाम	डी पी एम 2006 के अनुसार अधिप्राप्ति पूर्ण होने का दिनांक (20 से 23 सप्ताह)	मामले की वर्तमान स्थिति	अधिकतम अवधि 23 सप्ताह को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2013 तक अधिप्राप्ति में विलम्ब (सप्ताह में
1	2	3	4	5	6
1	01 अक्टूबर 06	कॉरट्रेज 7.62 स्टील कोर बुलैट	30.04.2007	प्रगति पर	308
2	01 अक्टूबर 06	कॉरट्रेज एस ए 7.62 मि. मी. बी-32	30.04.2007	प्रगति पर	308
3	01 अक्टूबर 06	कॉरट्रेज 7.72 मि. मी. टी-46	30.04.2007	प्रगति पर	308
4	10 अप्रैल 06	12.7 एच ई (बॉल)	10.10.2006	प्रगति पर	335
5	19 सम्बर 08, 28 नवम्बर 11	7.02 स्निपर गोलाबारूद	19.06.2008	सी एन सी चरण	245
6	17 अक्टूबर 11, 07 दिसम्बर 11	20 मि. मी. एस ए पी एच ई आई	17.04.2012	प्रगति पर	46
7	17 मई 10	30 मि. मी. वी ओ जी 17	17.10.2010	आर एफ पी वापस ली गई, मामला प्रगति पर	126*
8	जुलाई 2008	40 मि. मी. एम जी एल (टी एम)	30.01.2005	मंत्रालय ने आर पी एफ को वापिस लेने का निर्णय लिया और नई नियिदा जाँच जारी की जानी है।	252
9	जुलाई 2008	40 मि. मी. एम जी एल आर पी	30.01.2005	वही	252
10	जुलाई 2008	40 मि. मी. एम जी एल एम ई एच सी/डी पी	30.01.2005	वही	252
11	जुलाई 2008	40 मि. मी. एम जी एल एच ई ए पी	30.01.2005	वही	252
12	31 जनवरी 11	40 मि. मी. एल 70	30.06.2011	परीक्षण चरण	88*
13	22 फरवरी 10	ई आर ए तत्व टी-90 टैंक हेतु	22.08.2010	प्रगति पर	133

क्र.सं.	मामले के शुरूआत/आवश्यकता की स्वीकृति का दिनांक	गोलाबारूद का नाम	डी पी एम 2006 के अनुसार अधिप्राप्ति पूर्ण होने का दिनांक (20 से 23 सप्ताह)	मामले की वर्तमान स्थिति	अधिकतम अवधि 23 सप्ताह को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2013 तक अधिप्राप्ति में विलम्ब (सप्ताह में)
1	2	3	4	5	6
14	04 जनवरी 2010	23 मि. मी. एच ई आई/टी	04.07.2010	प्रगति पर	139
15		23 मि. मी. ए पी आई/टी		प्रगति पर	139
16	02 जुलाई 2010	बौम्ब एम एल 120 मि. मी. मोर्टार स्मोक पी डब्ल्यू पी	02.01.2011	प्रस्ताव अनुरूप नहीं पाया गया, नई आर एफ पी पुनरीक्षणाधीन	112
17	18 मार्च 2011, 22 सितम्बर 2011	40 मि. मी. ओ जी-25	18.09.2011	मामला मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षित किया गया और फरवरी 2013 को सी एफ ए संस्वीकृति प्रदान की गई। आर पी एफ को जारी किया गया है।	78
18	एन ए	30 मि. मी. ओ जी-17	-----	तकनीकी पैमाने पर भिन्नता होने के कारण मंत्रालय ने आर एफ पी को वापस ले लिया। नया आर पी एफ जारी किया जाना है।	-----
19	24 मार्च 2011, 09 मई 2011	122 मि. मी. रॉकेट बी एम-21	24.09.2011	गोला-बारूद रोड मैप के अनुमोदन हेतु मामला रोका गया है।	77
20	24 मार्च 2011, 09 मई 2011	एफ जेड एम आर यू-49 ई 244	24.09.2011	वही	77
21	जून 2011 6 जून 2013	वायु प्रशिक्षण अनुकारक(ए टी आई)	31.12.2011	एन ए	64
22	05 मई 2010 30 जून 2010	माइन एच पी डी-2	05.11.2010	मसौदा आर एफ पी चरण (मात्रा संशोधित)	123
23	19 जून 2012	एच ई ए पी 40 मि. मी. एम जी एल	19.12.2012	गोलाबारूद रोड मैप के अनुमोदन हेतु मामला	13

क्र.सं.	मामले के शुरूआत/आवश्यकता की स्वीकृति का दिनांक	गोलाबारूद का नाम	डी पी एम 2006 के अनुसार अधिप्राप्ति पूर्ण होने का दिनांक (20 से 23 सप्ताह)	मामले की वर्तमान स्थिति	अधिकतम अवधि 23 सप्ताह को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2013 तक अधिप्राप्ति में विलम्ब (सप्ताह में
1	2	3	4	5	6
24	19 जून 2012	एच ई एच सी/डी पी 40 मि. मी. एम जी एल	19.12.2012	रोका गया है।	13
25	19 जून 2012	आर पी 40 मि. मी. एम जी एल	19.12.2012	प्रगति पर वही	13
26	19 जून 2012	टी एम 40 मि. मी. एम जी एल	19.12.2012		13
27	29 मई 2012	12.7 मि. मी. बॉल लांसर एयरक्राफ्ट हेतु	29.11.2012	वही	16
28	29 मई 2012	12.7 मि. मी. ए पी आई लांसर एयरक्राफ्ट हेतु	29.11.2012	वही	16

अनुलग्नक - VI

(पैरा 3.2 और 4.3 के संदर्भ में)

वर्ष 2008-13 के दौरान ओ एफ बी द्वारा विर्तिमित गोला-बारूद के मदों के अनुसार लक्ष्य और कमियाँ

सं.	गोला बारूद का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)								
1.	155 मि.मी. एम 107	20000	0/0	20000	0/0	30000	23/0.08	35000	3032/9	35000	2191/6
2.	155 मि. मी. ई आर एफ बी (बी बी)	50000	6000/12	60000	26771/45	20000	0/0	15000	2884/19	15000	7448/50
3.	155 मि.मी. ई आर एफ बी (बी टी)	30000	0/0	10000	0/0	5000	4451/89	5000	3043/61	5000	1034/21
4.	155 मि.मी. ई आर एफ बी इल्युमिनेटिंग	1900	1900/100	1000	895/90	1000	1000/100	1000	1000/100	1000	1000/100
5.	130 मि.मी. एफ बी सी	0	0/0	10000	10000/100	20000	2059/10	20000	79/0.40	10000	0/0
6.	130 मि.मी. आर बी सी	40000	2420/6	50000	7229/14	130000	26290/20	132000	0/0	140000	20835/15
7.	125 मि.मी. एच ई	38000	0/0	45000	1296/3	70000	23043/33	80000	39092/49	80000	39431/49
8.	125 मि.मी. एच ई ए टी	0	0/0	16000	13996/87	20000	18003/90	30000	30000/100	30000	11298/38
9.	125 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस/टी	45000	43982/98	15000	13720/91	30000	21000/70	30000	29571/99	30000	30000/100
10.	120 मि.मी. एच ई एस एच	0	0/0	2000	253/13	5000	1220/24	5000	0/0	6000	6000/100
11.	120 मि.मी. एफ एस ए पी डी एस	0	0/0	3000	1308/44	5000	0/0	5000	0/0	5000	0/0
12.	120 मि.मी. मोर्टार एच ई	0	0/0	40000	26082/65	40000	3087/8	50000	36451/73	47000	25398/54
13.	120 मि.मी. मोर्टार इल्युमिनेटिंग	3000	1989/66	1000	0/0	2000	995/50	2500	0/0	2000	0/0

क्र.सं.	गोला बास्ट का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)
14.	120 मि.मी. स्मोक पी डब्ल्यू पी	0	0/0	10000	8031/80	5000	5000/100	5000	3000/60	5000	5000/10
15.	105 मि.मी. टी के एच ई एस एच	20000	5792/29	10000	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0
16.	105 मि.मी. टी के एफ एस ए पी डी एस/टी	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0
17.	105 मि.मी. आई एफ जी एच ई एम एच	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0
18.	105 मि.मी. स्मोक (रैड)	0	0/0	1000	0/0	1000	1000/100	1000	0/0	1000	0/0
19.	105 मि.मी. स्मोक (ऑरेंज)	8000	6819/85	3000	161/5	3000	248/8	2000	0/0	1500	0/0
20.	105 मि.मी. स्मोक (ब्ल्यू)	3000	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0
21.	105 मि. मी. इल्युमिनेटिंग	8000	0/0	5000	0/0	5000	475/10	5000	171/3	4000	75/2
22.	105 मि.मी. आई एफ जी एन/चार्ज	300000	0/0	275000	9475/3	130000	0/0	135000	6335/5	150000	103/0.0
23.	105 मि.मी. आई एफ जी एस/चार्ज	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0
24.	84 एम एम एच ई एम के -2	40000	0/0	35000	0/0	35000	0/0	30000	0/0	30000	22250/2
25.	84 मि.मी. एच ई ए टी 551 एम के-3	30000	8820/29	40000	22900/57	60000	14800/25	70000	23000/33	70000	19000/2
26.	84 मि.मी. इल्युमिनेटिंग	40000	0/0	35000	0/0	45000	9000/20	45000	18634/41	40000	0/0
27.	81 मि.मी. मोर्टार एच ई	300000	65804/22	440000	105745/24	600000	233165/39	650000	264392/41	650000	272564/
28.	81 मि.मी. स्मोक पी डब्ल्यू पी	50000	123/0.25	75000	27164/36	100000	76033/76	150000	134050/89	150000	106059/

सं.	गोला बारूद का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)
29.	81 मि.मी. मोर्टार इल्युमिनेटिंग	40000	2974/7	40000	0/0	50000	5000/10	50000	9551/19	40000	5205/13
30.	81 मि. मी. स्मोक ग्रेनेड 3 डी 6	0	0/0	0	0/0	45000	35120/78	0	0/0	0	0/0
31.	51 मि.मी. इल्युमिनेटिंग	60000	0/0	100000	0/0	60000	0/0	30000	0/0	23000	0/0
32.	40 मि.मी. एल/70/एच ई/1	150000	456/0.30	150000	0/0	200000	30000/15	200000	28900/14	200000	35277/18
33.	30 मि.मी. ए पी/टी	0	0/0	200000	67620/34	150000	43037/29	100000	16545/17	100000	0/0
34.	30 मि.मी. एच ई/आई	150000	65000/43	150000	88092/59	150000	0/0	100000	23084/23	100000	15713/16
35.	12.7 मि.मी. ए पी /आई	400000	55000/14	650000	0/0	400000	0/0	400000	0/0	300000	0/0
36.	12.7 मि.मी. ए पी आई/टी	300000	45000/15	150000	0/0	60000	0/0	45000	45000/100	40000	0/0
37.	कॉरटेज एस ए 9 मि.मी. बॉल एम के 2 जेड	0	0/0	0	0/0	200000 00	0/0	200000 00	1607000/8	20000000	0/0
38.	स्विच संख्या 10 टी पी व्हाइट	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0
39.	सी एच जी डेमो सं 1	0	0/0	1000	0/0	4000	3800/95	4000	0/0	4000	0/0
40.	बैंगलोर टोरपिडो	2600	0/0	0	0/0	10000	920/9	5000	3/0	5000	52/1
41.	फ्यूज डी ए 117/एम 85 पी 13 पी डी-1 फ्यूज 117 एम के-20	0	0/0	304403	302425/99	300000	160116/53	160000	38203/24	150000	93530/62
42.	फ्यूज 213 एम के 5 एम-2	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	20000	19000/95
43.	फ्यूज बी 429/पी डी-2	0	0/0	0	0/0	0	0/0	15536	1132/7	50000	45878/92
44.	फ्यूज पी डी एम 572/पी डी 3 ए	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0

क्र.सं.	गोला बास्ट का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)	लक्ष्य	कमी/ (प्रतिशत)
45.	प्राइमर एम 191 ए 2	0	0/0	0	0/0	70000	0/0	70000	0/0	75000	24882/33
46.	प्रौपेलेंट चार्ज एम 4 ए 2	40000	0/0	30000	7300/24	15000	9000/60	15000	6920/46	20000	4992/25
47.	155 मि.मी. चार्ज एम-8	32	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0
48.	155 मि.मी. चार्ज एम-9	142	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0	0	0/0

- स्रोत:- वर्ष 2008-09 हेतु लक्ष्य निर्धारण बैठक (सेना) का कार्यवृत्त और सेना का ओ एफ बी पर पाँच वर्ष हेतु (2005-10 से 2-13-14) संमेकित मांगपत्र
- वर्ष 2008-09 से 2012-13 हेतु उत्पादन निष्पादन प्रतिवेदन भाग-1 (सेना)
(विशेष और विशेष मदों के अतिरिक्त)
- भारत में आयुष्म एवं आयुष्म उपकरण निर्माणियों के वार्षिक लेखे खण्ड-II (वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए)

अनुलग्नक-VII

(पैरा 4.4 के संदर्भ में)

एम ए आर एल आवश्यकता के मामले में निर्माणियों की घटक बनाने की और भरने की क्षमता

क्र.सं.	गोलाबारूद का नाम	प्रतिवर्ष औसत एम ए आर एल आवश्यकता	भरने की क्षमता (कमी)	मुख्य घटकों का क्षमता (कमी)				
				खाली खोल	फ्यूज	प्रणोदक	कॉरट्रेज केस/एस सी सी सी	
155 एम एम								
1	एम-107	40000	40000	ओ एफ सी-2000 (50%)	क्षमता निर्धारित	सी एफ ए-40000	लागू नहीं	
2	ई आर एफ बी (बी बी)	20000	75000	ओ एफ ए जे-पूर्ण क्षमता (एफ सी)	नहीं की गई 100%	पूर्ण क्षमता		
3	ई आर एफ बी (बी टी)	5000	30000	ओ एफ ए जे-एफ सी				
4	ई आर एफ बी इल्युमिनेटिंग	1000	2000	ओ एफ सी-2000				
5	130 मि.मी. एफ बी सी	160000 (38%)	100000 (38%)	ओ एफ सी-40000 ओ एफ ए जे-50000	ओ एफ ए जे-50000 (69%)	सी एफ ए और ओ एफ आई-पूर्ण क्षमता	ओ एफ के ए टी -30000	
6	आर बी सी			ए जे-80000 (25%)			ओ एफ ए -138000	
125 मि.मी.								
7	एच ई	80000	50000 (38%)	ओ एफ ए जे-50000 ओ एफ सी-20000 (13%)	ओ एफ ए जे-80000	शून्य	ओ एफ बी एल 45000 (44%)	
8	एच ई ए टी	30000	30000	जी एस एफ -20000 (33%)	जी एफ एफ-20000 (33%)	शून्य	ओ एफ सी एच-20000 (33%)	
9	एफ एस ए पी डी एस	100000	50000 (50%)	एच ए पी पी-30000 (शौट्) (70%)	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	ओ एफ के-30000 (70%)	
120 मि.मी.								
10	एच ई एस एच	5000	5000	ओ एफ सी- पूर्व क्षमता	ओ एफ के-पूर्ण क्षमता	सी एफ ए-पूर्ण क्षमता	व्यापार स्रोत	
11	एफ एस ए पी डी एस	5000	5000	एच ए पी पी-पूर्ण क्षमता	आवश्यक नहीं है	आवश्यक नहीं है	व्यापार स्रोत	

क्र.सं.	गोलाबारूद का नाम	प्रतिवर्ष औसत एम ए आर एल आवश्यकता	भरने की क्षमता (कमी)	मुख्य घटकों का क्षमता (कमी)			
				खाली खोल	फ्लूज	प्रणोदक	कॉरट्रेज केस/एस सी सी सी
12	मोर्टार एच ई	45000	40000 (11%)	व्यापार स्रोत	ओ एफ ए जे-45000	ओ एफ बी ए -45000	ओ एफ सी एच- पूर्ण क्षमता
13	एम ओ आर इल्युमिनेटिंग	2500	2000 (20%)	एन ए	ओ एफ डी आर पूर्ण क्षमता	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
14	स्मोक पी डब्ल्यू पी	5000	5000	व्यापार स्रोत	ओ एफ सी एच-पूर्ण	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं

84 मि.मी.

15	एच ई एम के-2	42500	40000 (6%)	एन. ए	ओ एफ के-पूर्ण	एन ए	एन ए
16	एच ई ए टी 551 एम के-3	77000	30000 (61%)	ओ एफ ए जे शून्य- आयात द्वारा पूर्ति	ओ एफ के-पूर्ण	ओ एफ बी ए-शून्य (100%)	ओ एफ ए जे 77000
17	इल्युमिनेटिंग	48000	38000 (21%)	ओ एफ ए जे-48000	जी एस एफ-पूर्ण	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं

81 मि.मी.

18	मोर्टार एच ई	835000	550000 (34%)	जी एस एफ, एम टी पी एफ, ओ एफ एम, एच ए पी पी-390000 (53%)	ओ एफ डी सी, जी एस एफ, ओ एफ ए जे-420000 (50%)	ओ एफ बी ए-शून्य (100%)	आवश्यक नहीं
19	स्मोक पी डब्ल्यू पी	145000	100000 (31%)	ओ एफ एम-75000 (48%)	ओ एफ सी एच-100000 (31%)	एन ए	आवश्यक नहीं
20	मोर्टार इल्युमिनेटिंग	138000	60000 (57%)	एन ए	ओ एफ डी आर-60000 (57%)	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं

51 मि.मी.

21	इल्युमिनेटिंग	130000	100000 (23%)	ओ एफ सी पूर्ण क्षमता	एन ए	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
----	---------------	--------	--------------	----------------------	------	-------------	-------------

40 मि.मी.

22	एल/70 एच ई /आई	200000	170000 (15%)	ओ एफ के-170000 (15%)	ओ एफ के-170000 (15%)	ओ एफ बी ए-पूर्ण क्षमता	ओ एफ के, ओ एफ ए-पूर्ण क्षमता
----	----------------	--------	--------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------------

क्र.सं.	गोलाबारूद का नाम	प्रतिवर्ष औसत एम ए आर एल आवश्यकता	भरने की क्षमता (कमी)	मुख्य घटकों का क्षमता (कमी)			
				खाली खोल	फ्यूज	प्रणोदक	कॉरट्रेज केस/एस सी सी सी
30 मि.मी.							
23	ए पी/टी	150000	पूर्ण क्षमता	जी एस एफ, ओ एफ के-150000	एन ए	ओ एफ बी ए-पूर्ण क्षमता	ओ एफ ए जे, एम एस एफ- पूर्ण क्षमता
24	एच ई/आई	150000	पूर्ण क्षमता	पूर्ण क्षमता	ओ एफ के, जी एस एफ, ओ एफ ए जे-200000	एन ए	ओ एफ ए- पूर्ण क्षमता
9 मि.मी.							
25	बॉल	70000000	40000000 (43%)	ओ एफ ए, ओ एफ के ए टी-पूर्ण क्षमता	आवश्यक नहीं	ओ एफ बी ए-पूर्ण क्षमता	आवश्यक नहीं

स्रोत- क- श्री बी. एन. सिंह समिति का प्रतिवेदन (दिसम्बर 2010)

(ख) 26.08.2008 को हुई बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त।

(ग) ओ एफ बी का पत्र सं. 983/IV/कैपेसिटी/पी ए/ए दिनांक 27.01.2012

अनुलग्नक-VIII

(पैरा 5.2 के संदर्भ में)

एस क्यू ए ई/सी क्यू ए (ए) द्वारा भरे हुए गोला-बारूद/संघटकों के अस्वीकृति का विवरण

वर्ष	मट्टे	सम्मिलित निर्माणी	लॉटों की संख्या/अस्वीकृति की गई मात्रा	अस्वीकृत मट्टों की लागत (₹ करोड़ में)	अस्वीकृत किए जाने का कारण
155 मी.मी. गोला- बारूद					
2008-09	155 मी.मी. का बी बी यू ई आर एफ बी बी बी गोला-बारूद	ओ एफ चंदा	02/4066	10.98	कारतूस की निम्न दूरी, प्रकार्य न करना, और गलत प्रकार्य न करना
2009-10	155 मी.मी. का बी बी यू ई आर एफ बी बी बी	ओ एफ चंदा	05/10165	27.44	कारतूस की निम्न दूरी, प्रकार्य न करना, और गलत प्रकार्य करना
2010-11	155 मी.मी. का बीबी यू ई आर एफ बी बी बी	ओ एफ चंदा	02/4066	10.98	कारतूस की निम्न दूरी, प्रकार्य न करना, और गलत प्रकार्य करना
2011-12	155 मी.मी. का बी बी यू ई आर एफ बी बी बी	ओ एफ चंदा	01/2033	5.49	कारतूस की निम्न दूरी, के बेस ब्लीड मोटर की विफलता
2012-13	155 मी.मी. का बीबी यू ई आर एफ बी बी बी	ओ एफ चंदा	01/2033	5.49	प्रकार्यकरण में बेस ब्लीड मोटर की विफलता
2012-13	155 मी.मी. गोला ई आर एफ बी (बी बी)	ओ एफ चंदा	02/3797	24.52	अपरिपक्व प्रकार्यकरण
2011-12	155 मी.मी. गोला एच ई एम 107	ओ एफ बड़मल	01/2000	4.45	जाँच के अधीन
2008-09	155 मी.मी. गोला एच ई ई आर एफ बी (बीटी)	ओ एफ बड़मल	01/2000	6.89	सी क्यू ए (ए) के लिए अस्थगित किया गया।
2011-12	155 मी.मी. गोला एच ई	ओ एफ बड़मल	01/2000	8.50	जाँच के अधीन
2012-13	155 मी.मी. गोला एच ई	ओ एफ बड़मल	01/2000	8.50	फ्लाइट के दौरान प्रकार्य न करना

वर्ष	मर्दे	सम्मिलित निर्माणी	लॉटो की संख्या/अस्वीकृत की गई मात्रा	अस्वीकृत मर्दों की लागत (₹ करोड़ में)	अस्वीकृत किए जाने का कारण
130 मी.मी. गोला-बारूद					
2012-13	130 मी.मी. गोला आर वी सी	ओ एफ चंदा	03/6,000	24.48	सी क्यू ए के लिए लॉट अस्थगित किया गया, जाँच के अधीन
2012-13	130 मी.मी. गोला आर वी सी	ओ एफ बडमल	01/2000	9.41	गोले का अप्रकार्यकरण जाँच के अधीन
बार्म्ब 120 मी.मी. गोला -बारूद					
2010-11	बार्म्ब 120 मी.मी. एच ई	ओ एफ चंदा	01/1999	2.47	मानक विचलन विनिर्दिष्ट से कहीं अधिक पाया गया।
2009-10	बार्म्ब 120 मी.मी. पी डब्ल्यू पी	ओ एफ चंदा	01/1004	1.18	मानक विचलन विनिर्दिष्ट से कहीं अधिक पाया गया।
105 मी.मी. गोला- बारूद					
2009-10	105 मी.मी. गोला आई एफ जी	ओ एफ बडमल	01/2000	1.92	मजल ब्रेक क्षतिग्रस्त
2010-11	105 मी.मी. गोला आई एफ जी	ओ एफ बडमल	03/6000	5.95	मजल ब्रेक क्षतिग्रस्त
84 मी.मी. गोला -बारूद					
2012-13	आर डी 84 मी.मी. एच ई	ओ एफ खमारिया	02/1626	2.12	ब्लाइंड, मिसफायर और ग्राउंड ब्रस्ट
81 मी.मी. गोला -बारूद					
2009-10	बार्म्ब 81 मी.मी. एच ई	ओ एफ चंदा	01/2013	1.16	उच्च मानक विचलन, ब्लाइंड, आंशिक विस्फोट आदि
2010-11	बार्म्ब 81 मी.मी. एच ई	ओ एफ चंदा	02/4026	2.51	उच्च मानक विचलन, ब्लाइंड, आंशिक विस्फोट आदि
2011-12	बार्म्ब 81 मी.मी. एच ई	ओ एफ चंदा	04/8052	5.22	उच्च मानक विचलन, ब्लाइंड, आंशिक विस्फोट आदि
2012-13	बार्म्ब 81 मी.मी. एच ई	ओ एफ चंदा	10/20130	12.91	उच्च मानक विचलन, ब्लाइंड, आंशिक विस्फोट आदि

वर्ष	मर्दे	सम्मिलित निर्माणी	लॉटो की संख्या/अस्वीकृत की गई मात्रा	अस्वीकृत मर्दों की लागत (₹ करोड़ में)	अस्वीकृत किए जाने का कारण
2009-10	बॉम्ब 81 मी.मी. एचई	ए एफ किरकी	01/2000	1.01	उच्च मानक विचलन
2012-13	बॉम्ब 81 मी.मी. एच ई	ए एफ किरकी	02/4000	2.61	उच्च मानक विचलन
2008-09	बॉम्ब 81 एम एम पी डब्ल्यू पी	ओ एफ चंदा	02/4,010	1.78	उच्च मानक विचलन, ब्लाइंड, आदि
2009-10	बॉम्ब 81 मी.मी. पी डब्ल्यू पी	ओ एफ चंदा	01/2,005	1.11	ब्लाइंड
2010-11	बॉम्ब 81 मी.मी. पी डब्ल्यू पी	ओ एफ चंदा	03/6,015	3.56	उच्च मानक विचलन, ब्लाइंड, आदि
2011-12	बॉम्ब 81 मी.मी. पी डब्ल्यू पी	ओ एफ चंदा	04/8020	4.80	उच्च मानक विचलन, ब्लाइंड, मिसफायर, आंशिक विस्फोट आदि
2012-13	बॉम्ब 81 मी.मी. पी डब्ल्यू पी	ओ एफ चंदा	02/4010	2.61	उच्च मानक विचलन, ब्लाइंड, मिसफायर, आंशिक विस्फोट आदि
2012-13	81 मी.मी. स्मोक ग्रेनेड 3 टी 6	ओ एफ खमारिया	01/1920	1.14	ब्लाइंडस
2010-11	बाम्ब 81 मी.मी. इल्युमिनेटिंग	ओ एफ देहु रोड	02/2052	1.55	प्रमाण देने में विफलता
2011-12	बाम्ब 81 मी.मी. इल्युमिनेटिंग	ओ एफ देहु रोड	01/1026	1.02	प्रमाण देने में विफलता
2012-13	बाम्ब 81 मी.मी.इल्युमिनेटिंग	ओ एफ देहु रोड	08/8208	7.19	प्रमाण देने में विफलता
30 मि.मी. गोला-बारूद					
2012-13	30 मी.मी. ए पी/टी	ओ एफ बडमल	02/4957	1.82	मिसफायर
2012-13	30 मी.मी. एच ई/आई	ओ एफ बडमल	01/4670	2.49	मिसफायर
12.7 मि.मी. गोला-बारूद					
2010-11	12.7 मी.मी. ए पी आई टी	ओ एफ वरनगाँव	02/32000	1.12	वेलोसिटी और मास चार्ज में दिक्कतें

वर्ष	मर्दे	सम्मिलित निर्माणी	लॉटो की संख्या/ अस्वीकृत की गई मात्रा	अस्वीकृत मर्दों की लागत (₹ करोड़ में)	अस्वीकृत किए जाने का कारण
फ्यूज बी 429 ई (भरे हुए)					
2010-11	फ्यूज बी 429 ई (भरे हुए)	ओ एफ चंदा	01/2,060	0.49	ब्लाइंड इन डाइनामिक प्रूफ
2011-12	फ्यूज बी 429 ई (भरे हुए)	ओ एफ चंदा	01/2,120	0.64	दूरी में विलंब डाइनामिक प्रमाण में कमी
2012-13	फ्यूज बी 429 ई (भरे हुए)	ओ एफ चंदा	04/8414	3.01	स्टैटिक प्रूफ के विनिर्देश की तुलना में विलंब
फ्यूज 117 एम के 20 (भरा हुआ)					
2008-09	फ्यूज 117 एम के 20 (भरा हुआ)	ओ एफ चंदा	01/2,009	0.3	अपरिपक्व फ्लाइट
2010-11	फ्यूज 117 एम के 20 (भरा हुआ)	ओ एफ चंदा	01/2013	0.65	दो राउंडस ब्लाइंड पाए गए
2011-12	फ्यूज 117 एम के 20 (भरा हुआ)	ओ एफ चंदा	01/2,013	0.54	एक राउंडस ब्लाइंड पाया गया।
फ्यूज बी 429 (भरा हुआ/0)					
2011-12	फ्यूज बी 429 (भरा हुआ)	ओ एफ चंदा	06/12606	8.14	फ्यूज ब्लाइंड पाए गए
2012-13	फ्यूज बी 429 (भरा हुआ)	ओ एफ चंदा	03/6346	4.15	दो फ्यूज निम्न स्तर के विस्फोटक पाए गए

अनुलग्नक-IX

(पैरा 5.2 के संदर्भ में)

सी क्यू ए (ए)/एस क्यू ए ई द्वारा खाली घटकों के अस्वीकृति का विवरण

वर्ष	मर्दे	सम्मिलित निर्माणी	लॉटों की संख्या/अस्वीकृत मात्रा	अस्वीकृति मर्दों की लागत (₹ करोड़ों में)	अस्वीकृति का कारण
खाली गोलो 155 मि.मी.					
2011-12	गोला 155 मी.मी. एच ई ई आर एफ बी (बीबी)	ओ एफ अम्बाइज़ारी	03/6048	14.03	ड्राइविंग बैड (डीबी) के ऊपरी बाड़ी पर भूमि उत्कीर्ण
2011-12	गोला 155 मी.मी. एच ई ई आर एफ बी (बीटी)	ओ एफ अम्बाइज़ारी	01/2018	5.87	डीबी का दुगुना भूमि उत्कीर्ण और डीबी के नीचे कापर वाश
2012-13	गोला 155 मी.मी. एच ई ई आर एफ बी (बी बी)	ओ एफ अम्बाइज़ारी	01/2013	4.51	नब पर भूमि उत्कीर्ण
2012-13	गोला 155 मी.मी. एम-107	ओ एफ कानपुर	01/1000	1.54	जाँच के अधीन
खाली गोले 130 मि.मी. एच ई					
2012-13	खाली गोला 130 मी.मी. एच ई 1 बी	ओ एफ अम्बाइज़ारी	01/2010	1.80	बाड़ी और सीबी पर भूमि उत्कीर्ण
खाली गोले 30 मि.मी.					
2011-12	खाली गोला 30 मी.मी. ए पी/टी	जी एस एफ कोसीपुर	03/15210	1.43	सीमा के परे लम्बवत और लेटरल फैलाव
2012-13	खाली गोला 30 मी.मी. ए पी/टी	जी एस एफ कोसीपुर	04/20000	1.98	सीमा के परे लम्बवत और लेटरल फैलाव
खाली गोले 125 मि.मी.					
2011-12	खाली गोला 125 मी.मी. एच ई ए टी	जी एस एफ कोसीपुर	01/1028	4.00	अलग करने पर गोले की स्टेवलाइज़र युनिट का टूटना
2012-13	खाली गोला 125 मी.मी. एच ई एटी	जी एस एफ कोसीपुर	05/5140	19.90	फनल का विकृत होना, लैड गैसकेट का जलना

2011-12	खाली गोला 125 मी.मी. एचई	ओ एफ कानपुर	01/2000	1.80	जाँच के अधीन
2012-13	खाली गोला 125 मी.मी. एच ई	ओ एफ कानपुर	02/4000	5.53	जाँच के अधीन
खाली गोले 105 मि.मी.					
2012-13	खाली गोला 105 मी.मी. आई एफ जी	ओ एफ कानपुर	04/8000	5.73	गोले में सेट अप का निर्माण
खाली गोला 51 एम एम					
2012-13	खाली गोला 51 मी.मी.	ओ एफ कानपुर	04/8116	0.37	डिफेक्टिव फिलिंग
टेल युनिट 8 ए					
2009-10	51 मी.मी. बॉम्ब हेतु टेल युनिट 8 ए	ओ एफ कानपुर	03/12174	0.49	निम्न दूरी
2012-13	51 मी.मी. बॉम्ब हेतु टेल युनिट 8 ए	ओ एफ कानपुर	02/8112	0.48	निम्न दूरी
टेल युनिट 1 ए					
2009-10	टेल युनिट 1 ए	ओ एफ अम्बाझारी	02/8052	0.46	ब्लाइंड एवं अधिक मानक विचलन
2010-11	टेल युनिट 1 ए	ओ एफ अम्बाझारी	03/12078	0.55	अधिक मानक विचलन
2011-12	टेल युनिट 1 ए	ओ एफ अम्बाझारी	08/32205	1.34	अधिक मानक विचलन, दो राठडस की निम्न दूरी
2012-13	टेल युनिट 1 ए	ओ एफ अम्बाझारी	05/20130	0.97	अधिक मानक विचलन
टेल युनिट 2 ए					
2010-11	टेल युनिट 2 ए	ओ एफ कानपुर	02/3986	1.08	अधिक मानक विचलन
2011-12	टेल युनिट 2 ए	ओ एफ कानपुर	02/3996	1.57	अधिक मानक विचलन
2012-13	टेल युनिट 2 ए	ओ एफ कानपुर	02/4000	1.52	अधिक मानक विचलन
फ्यूज ए 670					
2009-10	फ्यूज ए 670	ओ एफ अम्बाझारी	03/15448	1.35	50° सेंटीग्रेट में पर्याप्त कार्रवाई में विफल रहना
2011-12	फ्यूज ए 670	ओ एफ अम्बाझारी	04/20380	1.81	ब्लाइंड स्थिति, मिसफायर

2012-13	फ्यूज ए 670	ओ एफ अंबाझारी	08/40841	3.67	ब्लाइंड, दागे नहीं गए, मानक विचलव
फ्यूज ए 670					
2008-09	फ्यूज ए 670	जी एस एफ कोसीपुर	03/15000	1.32	अपरिपक्व प्रकार्य/प्रकार्य न करना
2010-11	फ्यूज ए 670	जी एस एफ कोसीपुर	04/20000	2.59	अपरिपक्व प्रकार्य/प्रकार्य न करना
2011-12	फ्यूज ए 670	जी एस एफ कोसीपुर	01/5000	0.69	अपरिपक्व प्रकार्य/प्रकार्य न करना
2012-13	फ्यूज ए 670	जी एस एफ कोसीपुर	03/15000	2.01	अपरिपक्व प्रकार्य/प्रकार्य न करना
फ्यूज बी 429 खाली					
2010-11	फ्यूज बी 429	ओ एफ अंबाझारी	03/6371	0.39	ए और बी में ब्लाइंड स्थिति
2011-12	फ्यूज बी 429	ओ एफ अंबाझारी	07/14786	2.08	अब्सैस ऑफ प्रिमेचर ब्लाइंड
2012-13	फ्यूज बी 429	ओ एफ अंबाझारी	02/4236	0.73	अपरिपक्व ब्लाइंड की अनुपस्थिति
फ्यूज 162 एम के-8					
2012-13	फ्यूज 162 एम के- 8	ओ एफ अंबाझारी	02/4036	0.24	ब्लाइंड
फ्यूज 162 एम के-9					
2009-10	फ्यूज 162 एम के- 9	ओ एफ अंबाझारी	01/2005	0.19	ब्लाइंड
प्राइमर जी यू बी-7					
2010-11	प्राइमर जी यू बी-7	ओ एफ अंबाझारी	02/4046	0.27	स्थिति सी में मिसफायर
₹ 94.29 करोड़					

परिशिष्ट-I

संक्षिप्तियों की सूची

ए

ए/टी के	:	टैक रोधी
ए ए पी	:	वार्षिक अधिग्रहण योजना
ए डी	:	गोला-बारूद डिपो
ए डी जी	:	अपर महानिदेशक
ए डी जी ओ एस (टी एस)	:	अपर महानिदेशक आयुध सेवाएँ (तकनीकी भंडार)
ए ई एफ जी	:	गोला-बारूद और विस्फोटक निर्माणियां समूह
ए एफ के	:	गोला-बारूद निर्माणी, किरकी
ए एफ वी	:	कवचित निर्माणी वाहन
ए जी एल	:	एंटी गाइडेड लांचर
ए एच क्यू	:	सेना मुख्यालय
ए एच एस पी	:	अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स
ए आई ए	:	अखिल भारतीय उपलब्धता
ए आई सी पी	:	गोला-बारूद भंडार सूची नियंत्रण पैकेज
ए आई सी एस	:	गोला-बारूद भंडार सूची नियंत्रण प्रणाली
ए आई एम एम	:	गोला-बारूद भंडार सूची प्रबंधन प्रणाली
ए एल ओ	:	गोला-बारूद लदान आदेश
ए एम ए	:	सेना रखरखाव क्षेत्र
ए एम आई	:	गोला-बारूद रखरखाव निर्देश
ए एम के	:	गोला-बारूद मास्टर कुंजी
ए एम एन	:	गोला-बारूद
ए ओ एन	:	आवश्यकता का स्वीकृति
ए पी जी	:	गोला-बारूद योजना समूह
ए पी आर	:	वार्षिक प्रावधान पुनरावलोकन
ए आर	:	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
ए आर डी ई	:	युद्ध सामग्री अनुसंधान और विकास स्थापना
ए आर टी वाई	:	तोपखाना

ए एस ई सी	:	सेना की स्थायी स्थापना समिति
ए टी	:	निविदा की स्वीकृति
ए टी जी एम	:	एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल
ए टी एन	:	एक्शन टेक्न नोट
ए टी ओ	:	गोला-बारूद तकनीकी अधिकारी
ए डब्ल्यू एम एस	:	गोला-बारूद गोदाम प्रबंधन प्रणाली
30 (आई): 30 (एन)	:	30 दिन गहन : 30 दिन सामान्य

बी

बी डी एल	:	भारत डाइनामिक लिमिटेड
बी ई	:	बजट आकलन
बी पी सी	:	थोक उत्पादन अनुमति

सी

सी ए डी	:	केंद्रीय गोला-बारूद डिपो
सी सी सी	:	ज्यलनशील कारटेज केस
सी सी एस	:	सुरक्षा की मंत्रिमंडल समिति
सी डी एम	:	रक्षा प्रबंधन कॉलेज
सी ई ई एस	:	पर्यावरण एंव विस्फोटक सुरक्षा केंद्र
सी एफ ए	:	कारडाइट निर्माणी अरुवनक़ू
सी एफ ई ई एस	:	अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र
सी जी एस आर	:	सामान्य स्टॉफ रिजर्व कमान
सी आई सी पी	:	कम्प्यूट्रीकृत भंडार सूची नियंत्रण परियोजना
सी एच टी	:	भाड़े पर सिविल परिवहन
सी आई सी पी टी जी	:	सी आई सी पी तकनीकी समूह
सी आई एम एस	:	सी ओ डी भंडार सूची प्रबंधन प्रणाली
सी एन सी	:	व्यवसायिक वार्तालाप समिति
सी ओ डी : सी ओ डी	:	केंद्रीय आयुध डिपो
सी ओ एल	:	कर्नल
सी ओ एन सी ओ आर	:	मेसर्स कनटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सी क्यू ए (ए)	:	गुणवत्ता आशासन नियंत्रक (युद्ध सामग्री)
सी क्यू ए (एम ई)	:	गुणवत्ताता नियंत्रण आशासन (सैन्य विस्फोटक)

सी क्यू ए (मेट)	:	गुणवत्ता आशासन नियंत्रक (धातु)
सी आर	:	करोड़

डी

डी ए सी	:	रक्षा अधिग्रहण परिषद
डी डी जी	:	उप महा निदेशक
डी डी पी	:	रक्षा उत्पादन विभाग
डी बी एस	:	रक्षा बिक्र भण्डार
डी सी ओ ए एस	:	उप सेना अध्यक्ष
डी जी एम एफ	:	महानिदेशक यांत्रिक बल
डी जी ओ एफ	:	महानिदेशक आयुध निर्माणियाँ
डी जी ओ एस	:	महानिदेशकालय आयुध सेवाएँ
डी जी एम ओ	:	महानिदेशक सैन्य परिचालन
डी जी क्यू ए	:	महानिदेशक गुणवत्ता आशासन
डी आई	:	त्रुटि जाँच
डी आई एम एस	:	डी ओ यू सूची प्रबंधन प्रणाली
डी पी एम	:	रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली
डी पी पी	:	रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया
डी आर डी ओ	:	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

ई

ई सी आई एल	:	इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ई एम	:	उपस्कर प्रबंधन
ई ओ आई	:	रुचि की अभिव्यक्ति
ई आर पी	:	एंटरप्राइज संसाधन योजना
ई एस एच	:	विस्फोटक भण्डार गृह

एफ

एफ ए आई	:	अंतिम स्वीकृति निरीक्षण
एफ ए डी	:	फील्ड गोला-बारूद डिपो
एफ एफ	:	अग्निशमन/पूर्ण विकसित
एफ एफ सी	:	फील्ड संपर्क बल

एफ आई एफ ओ	:	फस्ट इन फस्ट आउट
एफ पी	:	वित्तीय योजना
एफ एस ए पी डी एस	:	फिन स्टेबलाइज़ेशन आरमर पियरिंग डिस्कारडिंग सैबोट

जी

जी एम	:	महा प्रबंधक
जी एफ आर	:	सामान्य वित्तीय विनिमय
जी एस एफ	:	बंदूक एवं गोला निर्माणी, कोसीपुर
जी एस	:	सामान्य स्टॉफ
जी एस क्यू आर	:	सामान्य स्टॉफ गुणात्मक आवश्यकता

एच

एच ई	:	उच्च विस्फोटक
एच ई ए टी	:	अत्यधिक विस्फोटक टैक रोधी
एच ई एम आर एल	:	उच्च ऊर्जा तत्व अनुसंधान प्रयोगशाला
एच ओ डब्ल्यू	:	हाउइटसर
एच ए पी पी	:	भारी मिश्रधातु भेदक परियोजना
एच क्यू	:	मुख्यालय
एच वी एफ	:	भारी बाह्न निर्माणी

आई

आई ए	:	भारतीय थल सेना
आई सी डी	:	स्वदेशी कंटेनर डिपो
आई एफ जी	:	भारतीय फिल्ड गन
एम ओ डी का आई एच क्यू	:	रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय
आई पी	:	अंतरिम अवधि
आई एस ओ	:	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आई टी आई	:	भारतीय दूरभाष उद्योग

के

के आर ए	:	मुख्य परिणाम क्षेत्र
---------	---	----------------------

एल

एल डब्ल्यू ई	:	भूमि, कार्य एवं पर्यावरण निदेशालय
एल एफ जी	:	हल्की फील्ड गन
एल एम जी	:	हल्की मशीन गन
एल आई सी ओ	:	हल्की तीव्र युद्ध परिचालन
एम ए आर एल	:	न्यूनतम स्वीकृत जोखिम स्तर
एम बी आर एल	:	बहु-वैरल रॉकेट लान्चर
एम एफ एफ आर	:	महाजन फील्ड फाइरिंग रॅज
एम जी ए ओ सी	:	मेजर जेनरल सेना आयुध कोर
एम जी ओ	:	मास्टर जेनरल आयुध
एम एण्ड सी	:	सामग्री और संघटक
एम जी एल	:	बहु ग्रेनेड लांचर
एम आई एस	:	सूचना प्रबंधन प्रणाली/आंतरिक मैटेरियल स्लिप
एम आई एस ओ	:	प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन
एम ओ	:	सैन्य परिचालन
मंत्रालय	:	रक्षा मंत्रालय
एम ओ एफ	:	वित मंत्रालय
एम एस टी सी	:	धातु और स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन
एम टी	:	सैन्य प्रशिक्षण
एम डब्ल्यू पी	:	प्रमुख कार्य योजना

एन

एन ए बी एल	:	प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड
एन ई एस	:	गैर-विस्फोटक भण्डार
एन आई ए एम के	:	गोला-बारूद मास्टर कुंजी (ए एम के) में नहीं
एन आई एस जी	:	स्मार्ट शासन का राष्ट्रीय संस्थान
एन एफ पी	:	आगे कोई अधिप्राप्ति नहीं

ओ

ओ बी ई	:	अप्रचलित
ओ बी टी	:	पुराना
ओ ई एम	:	मूल उपस्कर निर्माता

ओ ई समूह	:	आयुध उपस्कर समूह
ओ एफ	:	आयुध निर्माणी
ओ एफ ए जी	:	आयुध निर्माणी, अंबाझारी
ओ एफ बी एल	:	आयुध निर्माणी, बड़मल
ओ एफ सी एच	:	आयुध निर्माणी, चंदा
ओ एफ डी आर	:	आयुध निर्माणी, देहु रोड
ओ एफ के	:	आयुध निर्माणी, खमारिया
ओ एप सी	:	आयुध निर्माणी, कानपुर
ओ एफ आई	:	आयुध निर्माणी, इटारसी
ओ एफ बी ए	:	आयुध निर्माणी, भण्डारा
ओ एफ के ए टी	:	आयुध निर्माणी, कटनी
ओ एफ वी	:	आयुध निर्माणी, वरनगाँव
ओ एफ वी	:	आयुध निर्माणी बोर्ड
ओ आई एम एस	:	आयुध भण्डार अनुभाग सूची प्रबंधन प्रणाली
ओ एल	:	परिचालनात्मक संभारतंत्र
ओ एस	:	आयुध भण्डार

पी

पी और एस	:	योजना और प्रणालियाँ
पी ए	:	निष्पादन लेखापरीक्षा
पी डी सी	:	संभावित समापन तिथि
पी डी आई	:	प्रेषण पूर्व निरीक्षण
पी ई	:	शांति स्थापना
पी के टी	:	प्यूलिमयोट किलोशनसपैरा टैंक
पी एम बी	:	परियोजना प्रबंधन पोर्ड
पी एम एफ	:	अर्द्ध सैन्य बल
पी एम टी	:	परियोजना प्रबंधन दल
पी और पी	:	उत्पादन और योजना
पी आर एफ	:	प्रावधान पुनरावलोकन प्रपत्र
पी एस यू	:	सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम
पी टी एल	:	पूर्व सूचक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला
पी टी एस	:	प्रूफ टैस्ट शांट
पी एक्स ई	:	प्रमाण और अविष्कारक स्थापना

क्यू

क्यू ए	:	गुणवत्ता दृष्टिकोण
क्यू ए	:	गुणवत्ता आश्वासन
क्यू ए एस आर	:	तिमाही गोला बारूद भण्डार विवरणी
क्यू सी	:	गुणवत्ता नियंत्रण
क्यू एम जी	:	क्वाटर मास्टर जेनरल

आर

आर डी बी एम एस	:	संबंधात्मक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली
आर ई	:	संशोधित अनुमान
आर एफ पी	:	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
आर आई एम एस	:	आर ओ डी सूची प्रबंधन प्रणाली
आर एल	:	प्रतिबंधित सारणी
आर एम	:	रक्षा मंत्री
आर एम जे	:	रिपेयएबल मेजर
आर आर	:	प्राप्ति का रिकार्ड
आर ओ ई	:	रोसोबोरोनएक्सपोर्ट
आर यू आर एम	:	रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री

एस

एस सी सी सी	:	अर्द्ध ज्वलनशील कारट्रेज केस
एस ए ए	:	लघु शस्त्र गोला-बारूद
एस डी	:	स्टॉफ इयूटीज
एस ई जी सूची	:	पृथक सूची
एस एफ सी	:	स्टेशन अग्नि समिति
एस के डी	:	सेमी नौक डाउन
एस ओ सी	:	मामले का विवरण
एस ओ पी	:	मानक परिचालन प्रक्रिया
एस क्यू आर	:	स्टॉफ गुणात्मक आवश्यकता
एस क्यू ए ई (ए)	:	वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (गोला बारूद)
एस टी ई सी	:	विस्फोटक समिति का भण्डारण और परिवहन

टी

टी डी परियोजना	:	प्रौद्योगिकी विकास परियोजना
टी जी एस एम	:	टर्मिनल गाइडेड सबम्युनिशन
टी बी आर एल	:	टर्मिनल प्रक्षेपास्त्र अनुसंधान प्रयोगशाला
टी ई सी	:	तकनीकी मूल्यांकन समिति
टी आई एल	:	टाटा इनफो टेक लिमिटेड
टी एम	:	एम ए आर एल तक पहुँचने का उपलब्ध समय
टी एन टी	:	ट्राई नाइट्रो टौलौन
टी ओ टी	:	प्रौद्योगिकी का हस्तातरण
टी आर	:	तकनीकी सेवाएँ

यू

यू बी जी एल	:	अंडर बैरेल ग्रेनेड लांचर
यू ई	:	यूनिट हकदारी
यू एच	:	यूनिट होल्डिंग
यू एन एस वी	:	सेवा में नहीं
यू एस डी	:	नष्ट करने हेतु सेवा में ही

वी

वी सी ओ ए एस	:	उप सेना स्टॉफ प्रमुख
--------------	---	----------------------

डब्ल्यू

डब्ल्यू वी और ई	:	हथियार, वाहन और उपस्कर
डब्ल्यू ई	:	यूद्ध स्थापना
डब्ल्यू डब्ल्यू आर	:	यूद्ध क्षति रिजर्व

परिशिष्ट -II

तकनीकी शब्दावली

1. ए आई ए	अखिल भारतीय उपलब्धता (ए आई ए) को देश के अन्दर कुछ ही दिनों में डब्ल्यू डब्ल्यू आर गोला-बारूद हेतु एवं केवल प्रशिक्षण के उद्देश्य से उपयोग से लाए गए गोला-बारूद हेतु गोला-बारूद भण्डार की कुल उपलब्धता के तौर पर परिभाषित किया गया है।
2. गोला-बारूद लदान के आदेश (ए एल ओ एस)	केंद्रीय गोला-बारूद डिपो और अन्य डिपों द्वारा फील्ड गोला-बारूद डिपो और गोला-बारूद डिपो को गोला-बारूद जारी करने हेतु गोला-बारूद लदान आदेशों को थलसेना मुख्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
3. वार्षिक पुनरीक्षण	वह प्रक्रिया जिसमें किसी मद की अधिकता या कमी को नियत करने हेतु प्रतिवर्ष सम्पत्तियों के साथ देयताओं की तुलना होती है।
4. सेना मुख्यालय रिजर्व (जी एस रिजर्व)	यह उपकरण गोला-बारूद और वाहनों के महत्वपूर्ण मदों का रिजर्व है जिसका उद्देश्य अप्रत्याशित परिचालन आकस्मिकताओं को कवर करना है, विशेषकर अभियान के प्रारंभिक दौर के दौरान। इसे निर्दिष्ट बल की इकाई पात्रता की सीमा तक आयोजित किया जाता है और थलसेना मुख्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
5. परिसम्पत्तियाँ	पहले से ही लिए गए प्रावधान कारवाई के परिणामस्वरूप उपलब्ध होने की संभावना।
6. अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पर्टिकुलर्स(ए एच एस पी)	वह स्थापना जो तकनीकी सूचना जैसमें ड्राईंग और विनिदेशों को बनाए रखना शामिल है के लिए जिम्मेदार है विशेषकर उन भण्डारों के संबंध में क्षेत्र में आता है। ए एच एस पी रक्षा मांगों के विरुद्ध निविदाओं की समीक्षा हेतु निरीक्षण मापदंड की समीक्षा हेतु, निरीक्षण मापदंड बनाना, भण्डारों के लगाने हेतु तकनीकी दस्तावेज का मसौदा तैयार करना, और उद्योगों द्वारा भंडारणों की अधिप्राप्ति एवं उत्पादन हेतु मार्गदर्शन के लिए भी उत्तरदायी हैं।
7. बोटेम लाइन आवश्यकताएँ/ न्यूनतम स्वीकार्य जोखिम स्तर (एम ए आर एल)	परिचालन तैयारियों को हर समय पूरा करने हेतु गोला-बारूद की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता को बनाए रखना।
8. सैन्सस भण्डार	वे मदें जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं और जिनकी आपूर्ति प्रतिबंधित हैं इकाइयों की समग्र स्टॉक की स्थिति की जाँच के लिए वापसी की जरूरत महसूस होती है।
9. वर्ग 'क' भण्डार	आम तौर पर उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार यूनिट हकदारी प्लस नीति रिजर्व के लिए एक निश्चित प्रतिशत अपव्यय के आधार पर, उपकरणों के दायित्वों के आधार, यू ई प्लान पर रख-रखाव आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है वर्ग 'क' मदों की सम्पत्तियों में डिपो इकाइयों में रखे गए सभी स्टॉक शामिल होते हैं। थलसेना मुख्यालय द्वारा इन स्टॉर्स के प्रावधान की व्यवस्था की जाती है।

10. वर्ग 'ख' भण्डार	मुख्य उपकरण से संबंधित मर्दै और सामान्य भण्डारों तथा वस्त्रों की मर्दै जिसका प्रावधान स्केलस या मामलों के अनुभवों पर आधारित है। वर्ग 'ख' भण्डार हेतु सम्पत्तियों के लिए सामान्यतः केवल आयुध डिपो द्वारा समिलित स्टॉक रखती है। इन भण्डारों के लिए प्रावधान आम तौर पर सी ओ डी द्वारा व्यवस्थित किया जाता है।
11. संनघटक	पूर्ण वस्तु का एक भाग जैसे कि बटूक (गन) का ब्रीच ब्लॉक जिसके बिना वस्तु अनुपयोगी है।
12. संविदा दर्रे	उपकरणों/वाहनों की औसत संख्या जो शत्रु के साथ बल की परिस्थिति में पिछले ऑपरेशन के दौरान बर्बाद हुई थी, और जिसे प्रतिशतता में (उदाहरण यू ई की प्रतिशतता) दर्शाया गया है।
13. नियंत्रित भण्डार	वह भण्डार, जो अपने महत्व, ऊँची कीमतों एवं उत्पादन में होने वाली कठिनाइयों के कारण ए एच क्यू फार्मेशन मुख्यालय (जनरल स्टॉफ) के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसे भण्डारों के विवरणों का प्रकाशन ए डी जी प्रणाली, एम आई एस ओ, जी एस शाखा, ए एच क्यू द्वारा किया जाता है। (नियंत्रित और सैन्सस भण्डार की मूल सूची (1989))
14. महत्वपूर्ण भण्डार	वह गोला-बारूद जिसमें ए आई ए 10(1) से कम हो को महत्वपूर्ण गोला-बारूद कहा जाता है।
15. मांग	एक विशेष मद की वास्तविक आवश्यकता जिसकी मांग की गई हो।
16. ड्यूज इन	ड्यूज इन डी जी ओ एफ/व्यापार से बाकाया पड़े उन मर्दै/गोला-बारूद को दर्शाता है जिनके विरुद्ध मांग दी गई है।
17. ड्यूज आउट	वे भण्डार जो डिपो से किसी यूनिट या स्थापना के ऋणी हैं, जोकि भंडार से जारी करने हेतु उस डिपों में उपलब्ध नहीं हैं।
18. क्षेत्र बल	थलसेना का वह भाग जिसे डब्ल्यू ई पर संगठित किया गया हो और जिसे आपातकालीन स्थिति में ऑपरेशनल क्षेत्र में लगाए जाने की संभावना हो।
19. सामान्य स्टॉक रिजर्व	यह सभी मर्दै का एक ऐसा रिजर्व है जिसे निम्न फार्मेशन मुख्यालयों या कमान मुख्यालयों के निर्देश पर कमानों के निपटान हेतु रखा जाता है। यह केवल इकाइयों और फार्मेशनों के परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में निर्दिष्ट संरचनाओं के मुख्यालय के जनरल स्टाफ के आदेश पर इस्तेमाल किया जाता है। इसको सिगनल थियेटर स्टोर्स और इंजीनियर थियेटर स्टोर्स रिजर्व में शामिल नहीं किया जाएगा।
20. असमर्थता प्रतिशतता	आश्रित युनिटों से मांग की प्रतिशतता को दर्शाता है, जिसको मांगे गए भण्डार की उपलब्धता न होने के कारण आपूर्ति डिपो पूरा करने में असमर्थ रहा। असमर्थता प्रतिशत उपयोगकर्ता की संतुष्टि के स्तर से व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है।
21. मांगपत्र	एक प्रपत्र जिसपर एक यूनिट, फॉरमेशन या व्यक्ति विशेष जिसको ए ओ सी से भण्डार की आवश्यकता होती है, इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। यह प्रपत्र जब स्वीकृत होता है तब इसके पास जारी करने के अधिकार आ जाते हैं।

22. प्रारंभिक आवश्यकताएँ	ये स्टोर्स की आवश्यकताएँ हैं जिसमें परिणामस्वरूप स्केल में बढ़ोतरी, नई यूनिटों या नई मदों की स्थापना की शुरूआत होती है। वे निर्भर संख्या द्वारा एक मद के लिए स्केल की गुणा करके गणना की जाती है।
23. मामले क- साधारण ख- विशेष	अधिकृत स्केल के विरुद्ध बार-बार उठने वाले मुद्दे। वे मुद्दे जो नियमितता के स्तर पर बार-बार नहीं उठते जैसे कि प्रारंभिक मुद्दे, स्केल में बढ़ोतरी, विशेष कार्यशाला कार्यक्रम एवं मामले जिनके लिए साधारणतः विशेष प्रावधान कारबाई की गई हैं।
24. देयता	सभी कॉल जो कि स्टॉक पर की गई या किए जाने की संभावना है।
25. रखा-रखाव संबंधी मांग	उस अवधि के दौरान जिसके लिए प्रावधान बनाए गए, प्रत्याशित सामान्य मुद्दों को पूरा करने के लिए प्रावधान पुनरावलोकन के समय मांग को रखा गया।
26. रख-रखाव संचय	यह मदों का संचय है, जिसके भण्डार यूनिट्स में होते हैं, जैसेकि ओ एफ पी/ओ एम सी, विशेष समयावधि हेतु रख-रखाव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और जिसको यूनिटों को जारी करने का नियंत्रण सामान्य गठन स्टाफ द्वारा नहीं होता है।
27. गैर-क्षेत्रीय बल	सेना का वह भाग जो पी ई पर संगठित हुआ है और जिसकी शांतिमय क्षेत्र में रहने की संभावना है। सेना के इस भाग का रख-रखाव शांति क्षति दरों में प्रदान किया गया है।
28. अप्रचलित भण्डार	वह उपकरण/भण्डार जिनके लिए आगे कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा किंतु यदि कोई मौजूदा भण्डार है तो उनका प्रयोग तब तक किया जाएगा, जब तक वह खाली नहीं होते।
29. पुराना भण्डार	वह उपकरण/भण्डार जिसके सेवाओं से हटाये जाने का अनुमोदन दिया गया है।
30. परिचालन अवधि (ओ पी)	द्वितीय वित्तीय वर्ष भण्डार विस्तार की दिनांक के साथ वार्षिक पुनरावलोकन से संबंधित है।
31. आयुध भण्डार	भण्डार एवं सभी प्रकार की, वस्तुएँ ऐ ओ सी द्वारा आपूर्ति की जाती हैं।
32. परिचालन अवधि उपरांत	तीसरे एवं चौथे वित्तीय वर्ष भण्डार विस्तार की दिनांक के साथ वार्षिक पुनरावलोकन से संबंधित है।
33. परिचालन पूर्व अवधि	भण्डार विस्तार का दिनांक तथा अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच की अवधि।
34. प्रावधान	यह वह प्रक्रिया है जिसमें थलसेना के लिए आवश्यक भण्डारों की मात्रा की गणना एवं प्राप्ति की जाती है।
35. प्रावधान घटक (पी एफ)	वह गुणन घटक, जो महीनों/वर्षों था उसके अंशों में अभिव्यक्त किया जाता है, और जहाँ अधिकृत है, अनुरक्षण अवधि प्लस स्टोर मार्जिन प्लस अंतरिम अवधि के संबंध में देयता प्राप्त करने के लिए मासिक अनुरक्षण आंकड़ा/वार्षिक अनुरक्षण आंकड़े के साथ लगाया जाता है।

36. प्रावधान पुनरीक्षण प्रपत्र (पी आर एफ)	एक प्रपत्र जिसमें कमान डिपो, सी ओ डी अथवा ए एच क्यू केंद्रीय प्रावधान अनुभाग पर वर्ग 'ख' मद का पुनरीक्षण करते समय मद के प्रावधान पुनरीक्षण से संबंधित आंकड़े व परिकलन को रिकार्ड किया जाता है। सी ओ डी/ ए एच क्यू केंद्रीय अनुभाग में प्रयुक्त प्रपत्र का रिवर्स, स्थापनाओं द्वारा प्रावधान आंकड़ा रिकार्ड करने हेतु वर्किंग शीट तथा विस्तृत प्रावधान परिकलन करने हेतु प्रस्तुत होता है। इस प्रपत्र का मुख्यपृष्ठ मद की स्थिति एवं प्रावधान से संबंधित अन्य सूचनाओं से संबंधित विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त समेकित आंकड़ों को रिवर्स से मुख्यपृष्ठ में प्रतिलेखित किया जाता है। यह प्रपत्र प्रावधान कार्य का एक स्थायी अभिलेख है और इसकी वित्तीय जांच हो सकती है।
37. क्यू ए एस आर	तिमाही गोला-बारूद भण्डार विवरण का एकमात्र लक्ष्य सभी आवश्यक डेटा को विवरणीय प्रपत्र में विभिन्न स्तरों पर प्राप्त करना है जिसे सभी स्तरों पर उचित प्रबंधकीय निर्णयों तथा प्रभावकारी गोला-बारूद प्रबंधन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है।
38. प्रासि वात्चर	लेजर के प्रासि भाग पर भण्डार की प्रासि के संदर्भ में प्रविष्टियों को दिखाता हुआ एक अभिलेख।
39. संचयन	विशिष्ट युद्ध के उद्देश्य हेतु रखा गया भण्डार। संचय विभिन्न प्रकार का हो सकता है। आमतौर पर इनको नामकरण इनके उद्देश्यों, जिनके लिए ये बनाए जाते हैं के आधार पर होता है।
40. पुनरावलोकन	एक मद हेतु पूँजी के साथ ऋण की तुलना करने की वह प्रक्रिया जिसका उद्देश्य मद की अधिकता एवं न्यूनता का पता करना है।
41. पुनरावलोकन कार्रवाई गणना (आर ए एफ)	पहले से पता किया हुआ भण्डार का वह स्तर (एस) जिसके की मद को प्रावधान स्थिति को पुनरावलोकित किया जाना है।
42. भण्डार विवरण/भण्डार व्यौरा	एक विशेष समयावधि में भण्डार शेष का वह विवरण जिसमें मुद्दों की सूचना और ड्यूज आउट सम्मिलित हैं, जो पुनरावलोकन के समय में सी ओ डी को विभिन्न आयुध युनिटों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
43. अधिशेष भण्डार	सेवायोग्य और मरम्मत योग्य वह भण्डार, जो वर्तमान एवं पूर्वानुमानित आवश्यकताओं के विरुद्ध एक समय अवधि में उपयोग में नहीं लाए जा सकते, जैसा कि सेना मुख्यालय द्वारा समय-समय पर बताया जाता है और जिसकी सामान्य परिस्थितियों में जारी किए जाने पर क्षय होने की संभावना हो सकती है।
44. मांगपत्र परीक्षण हेतु	डी जी ओ एफ और डी जी एस और डी पर यह देखने आदेश दिया जाया कि क्या भारत में आयुद्ध निर्माणियाँ और उद्योग वांछित मानक तक भण्डार का विनिर्माण कर सकते हैं।
45. यूनिट अधिकार	सैन्य आदेश और भारत सरकार के पत्र अनुसार मद का वह संख्या जो यूनिट चार्ज पर अधिकृत की गई है डबलयू/पी ई टी यूनिट के अंतर्गत प्राधिकृत है।

46. युद्ध क्षति संचय	यह वह संचय है जो परिचालन में उपकरण, गोला-बारूद और वाहनों की मर्दाँ में युद्ध के अधिकतम पहले छः माह तक की क्षति को कवर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जब तक कि देसी उत्पादन चरण में आता है या आपूर्ति की अधिप्राप्ति हेतु अन्य प्रबंध किए जाते हैं। इसे संविदा की दरों पर बनाया गया है। इस संचय का एक भाग कमान के निपटान के लिए दिया जाएगा जिसे कि प्रशासनिक और परिचालन बिंदु के आधार पर पता लगाया जा सकता है और सामान्य स्टॉफ संचय के कमान और निर्माण जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है का भाग भी होना।
47. डब्ल्यू डब्ल्यू आर स्तर	यह उस स्तर के दर्शाता है जिसमें कि भण्डार की आवश्यकता को बनाए रखा जाता है ताकि परिचालन की पूर्ण अवधि को जब तक की वांछित चरम बिंदु तक पहुँचा जाए, कवर किया जा सके। वर्तमान मामले में स्तर 3 दिनों के लिए तीव्र होगा और 30 दिनों के लिए सामान्य रहेगा। बौटम लाइन स्तर को समाविष्ट किया गया है जैसाकि इन हाउस अंतरिम व्यवस्था वित्तीय प्रतिबंध की वजह से।
48. डब्ल्यू डब्ल्यू दरै	यह उस दर को दर्शाता है, जिसमें किसी उपकरण/हथियार की लेसन परिचालन के 24 घण्टे में क्षय होने की संभावना है। इसे 6 प्रतिदिन की मात्रा से दर्शाया जाता है और दो श्रेणियों में बाँटा गया है। तीव्र युद्ध और सामान्य युद्ध।
49. डब्ल्यू डब्ल्यू स्केल्स	यह दर्शाएगा भण्डार स्तर/स्केल को जिसमें कि एक विशेष उपकरण/हथियार को अखिल भारतीय आधार पर बनाए रखा जाता है, ताकि डब्ल्यू डब्ल्यू आर स्तर पर अनुकूलता के आधार पर रखा जाए। डब्ल्यू डब्ल्यू आर दरों से स्केल्स को प्रक्षिप्त किया गया: ताकि क्षति और पूर्ति के बीच अंतराल विधिवत संशोधित किया जाए। डब्ल्यू डब्ल्यू आर स्केल्स के दृढ़ता अतः उदगम की अतिरिक्त परीक्षा, अधिप्राप्ति की श्रेणी के साथ ही साथ लीड समय का भी अनिवार्य करेगी।

